न्यायालय—विशेष सत्र न्यायाधीश (अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988) भोपाल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी—भागवत प्रसाद पाण्डेय)

Registration No.	SPL. S.T.Lok-14/1997
Filing No.	440/1997
CNR No.	M.P.0401-000004/1997
Filing Date	23 -07 -1997

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा—विशेष पुलिस स्थापना
लोकायुक्त संगठन, भोपाल .... **अभियोजन**

विरुद्ध

1— **दिनेश नारायण अग्रवाल** आ0 सीताराम अग्रवाल
आयु—77 वर्ष, पेशा—सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री
निवासी—6, बरखेडी कलां नीलबढ़
थाना रातीबड़ जिला भोपाल म0प्र0

2— **जी0 एम0 कृपलानी** आ0 एम0 एम0 कृपलानी
आयु—76 वर्ष, पेशा—सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता
निवासी—बी—1/203, पारस हैरीटेज
थाना मिसरोद जिला भोपाल

3— **दयाल एम. डेटानी** आ0 सूरजमल डेटानी
आयु—68 वर्ष, पेशा—ठेकेदारी, निवासी—बी—35
गिदवानी पार्क के पास, न्यू बैरागढ़, थाना बैरागढ़,
भोपाल म0प्र0 .... **अभियुक्तगण**

अभियोजन द्वारा	श्री आर0 के0 खत्री सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा	श्री संदीप गुप्ता, अधिवक्ता
अभियुक्त जी0एम0कृपलानी द्वारा	श्री अनुराग श्रीवास्तव, अधिवक्ता
अभियुक्त दयाल डेटानी द्वारा	श्री हरीश मेहता, अधिवक्ता

//: निर्णय ://

(आज दिनांक 20/09/2019 को परिदत्त)

01. **अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल** एवं **जी0 एम0 कृपलानी** पर धारा **13 (1) (डी), सहपठित धारा 13 (2)** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व धारा **420** सहपठित धारा **120–बी,** भा0 दं0 सं0 एवं **अभियुक्त दयाल डेटानी** पर धारा **420** सहपठित **धारा 120–बी,** भा0 दं0 सं0 का आरोप है कि–अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल अप्रेल 1994 से मार्च 1996 के मध्य राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल में कार्यपालन यंत्री व जी0एम0 कृपलानी राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल में अधीक्षण यंत्री के रूप में लोकसेवक रहते हुए, अभियुक्त दयाल डेटानी संविदाकार के साथ आपराधिक षडयंत्र कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल इनडोर म्यूजियम के निर्माण में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए निविदा में निर्दिष्ट कार्य के संबंध में स्वीकृत दर से अधिक बढ़ी हुई दर से एक्स्ट्रा आईटम बताकर या अन्यथा रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (शासन) को प्रवंचित करते हुए बेईमानीपूर्वक अवैध रूप से अभियुक्त दयाल डेटानी संविदाकार को लगभग **1.42 करोड़** रूपयें का आर्थिक लाभ पहुंचाकर आपराधिक अवचार एवं छल किए तथा अभियुक्त दयाल डेटानी संविदाकार ने टेंडर में निर्दिष्ट कार्य ही किये जाने पर भी उन्हें एक्स्ट्रा आयटम के रूप में दर्शाकर या अन्यथा टेंडर की निर्धारित दरों से अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर भुगतान प्रवंचित करने के आशय से प्राप्त किया जिससे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (शासन) को क्षति हो और स्वयं अवैध लाभ प्राप्त कर छल किया ।

02– यह अविवादित तथ्य है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के इन्डोर म्यूजियम हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा राजधानी

परियोजना प्रशासन भोपाल को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया तथा निर्माण एजेंसी को डिपाजिट वर्क के रूप में कार्य दिया गया। निर्माण कार्य हेतु प्राकलन राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार कर निर्माण कार्य हेतु 6.00 करोड़ रूपयें का टेंडर आयटम रेट टेंडर आमंत्रित किया गया जिसमें न्यूनतम टेंडर राशि 5,41,97,320—30 रूपयें मेसर्स एम. संस जिसका प्रोपराइटर अभियुक्त दयाल डेटानी है, होने से कार्यपालन यंत्री द्वारा टेंडर स्वीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गई जिसे शासन द्वारा स्वीकार कर निर्माण कार्य हेतु मेसर्स एम. संस को आदेश जारी किया गया। यह भी अविवादित है कि सुसंगत समय पर अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल कार्यपालन यंत्री एवं अभियुक्त जी0 एम0 कृपलानी अधीक्षण यंत्री (दिनांक 26—07—1994 से 18—08—1994) थे।

03— सहअभियुक्त **अमोलक राम जग्गी** की मृत्यु विचारण के दौरान हो जाने से आदेश पत्रिका दिनांक **10.02.2012** के अनुसार उसके विरूद्व कार्यवाही समाप्त की गई है तथा शेष अभियुक्तगण का विचारण किया गया है।

04— अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि— विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल को राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल के विरूद्व ''सूत्र सूचनापत्र'' के रूप में इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई कि—केन्द्र शासन के तत्वाधान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के परिसर का निर्माण राजधानी परियोजना भोपाल (आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत) द्वारा डिपाजिट वर्क के रूप में किया जा रहा है कुल मिलाकर 06 करोड़ का प्राकलन प्रारंभिक रूप में केन्द्रीय आर्कीटेक्ट के तत्वाधान में तैयार हुआ था जिसके लिए राजधानी परियोजना प्रशासन ने निविदाऐं जारी की तथा उन निविदाओं के परिणामस्वरूप जिनमें आईटम रेट आधार बनाया गया था, जो निविदाऐं प्राप्त हुई उन निविदाओं में से न्यूनतम निविदा 5,41,97,320—30 रूपयें

की स्वीकृत होकर अप्रेल 1994 में कार्य प्रारंभ हुआ ।

05– उक्त निर्माण कार्य के लिए 4.48 करोड़ रूपयें का भुगतान इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को किया गया था, इसके बाद राजधानी परियोजना ने 4.42 लाख रूपयें की प्रतिपूर्ति मांगी है इसमें 10 प्रतिशत एसकेलेशन का भी प्रावधान था, टेंडर राज्य शासन द्वारा पास हुए । अभी कार्य प्रारंभिक अवस्था में है किन्तु टेंडर शर्त और लोक निर्माण विभाग मेनुअल के सर्वथा विपरीत इस काम में दरें अनाधिकृत रूप से बढाई गई है। आईटम रेट पर जिस कार्य का निष्पादन होना था उनमें कई गुना अधिक मात्रा में रेट स्वेच्छया बढ़ा दिये गये, सेंटरिंग, शटरिंग,लोहे कांक्रीट का काम और 6 एम.एम. का सीमेंट प्लास्तर तथा कोटा पत्थर के फर्श के काम के अनुबंध की दर से कई गुना ज्यादा जो कि शायद अन्य विभागों के चालू कार्यो की दर से भी अत्यधिक था, भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया । इस तरह न्यूनतम निविदा को वास्तविक रूप से बहुत अधिक निविदा के रूप में काम कर लाभ दिया जा रहा है।

06– राजधानी परियोजना सीधे राज्य शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के नियंत्रण में है और ठेके का यह कार्य और वित्तीय अनियमितताऐं इस स्तर की है कि उन्हें केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं माना जा सकता। उक्त सूत्र सूचना पत्र के आधार पर प्राथमिक जांच श्री मोहकम सिंह नैन, डी.एस.पी. विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल द्वारा की गई । जांच के दौरान कार्यालय अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्र0–1, से निर्माण कार्य संबंधी अभिलेख प्राप्त किये गये ।

07— जांच में पाया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्था है, इस संस्था के द्वारा भोपाल में संग्रहालय के प्रागंण में इनडोर म्यूजियम के भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया तथा इस हेतु संस्था ने वास्तुविद मे0 राम शर्मा एण्ड एसोसियेट नई दिल्ली के साथ अनुबंध किया जिनके द्वारा मास्टर प्लान प्रपी0—152 व 153 तैयार किया गया। संस्था की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रथम चरण में केवल 10000 वर्गमीटर क्षेत्र में भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया गया तथा राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल की सहमति से निक्षेप कार्य के रूप में म्यूजियम भवन फेस—1 का निर्माण उन्हें सौंपा गया। वास्तुविद द्वारा उपलब्ध कराई गई ड्रांईग प्रडी—1 लगायत डी—3 तथा डिजाइन के आधार पर समुचित परामर्श कर राजधानी परियोजना के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्राकलन तैयार किया गया जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा 7.5 करोड़ रूपयें की प्रशासकीय स्वीकृति प्रपी0—9 अनुसार प्रदान की गई । इस विस्तृत प्राकलन में से एयर कंडीशन, हटिंग आदि कार्य को छोडकर शेष करीब 6.00 करोड़ रूपयें के कार्य के प्राकलन के आधार पर राजधानी परियोजना द्वारा आईटम दर से निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में सामान्य शर्तो के अतिरिक्त विशेष शर्तो का भी समावेश किया गया था। विशेष शर्त क्0 3 के अनुसार निविदा में ठेकेदार द्वारा दी गई दरें आईटम के पूर्ण कार्य (फिनिंश वर्क) के लिए थी जिसमें लीड तथा लिफट, स्केफोलडिंग, स्टेजिंग आदि का समावेश था। विशेष शर्त क्0 6 के अनुसार निविदा देने के पूर्व ठेकेदार ने समस्त ड्रांईग स्टेडर्डस तथा स्पेसिफिकेशन, परीक्षण कर लिया है,ऐसा माना जावेगा का प्रावधान किया गया है। विशेष शर्त क्0—12 के अनुसार वास्तुविद की ड्रांईग, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य करने के

लिए ठेकेदार बाध्य है।

08– एन0 आई0 टी0 पैरा–2.3.2 के अनुसार ठेकेदार निविदा में उसके द्वारा दी गई एवं अनुबंधित दरों को परिवर्तित नहीं कर सकता है। एन0आई0टी0 पैरा–2.6 के अनुसार वह आईटम जो आईटम दरें टेंडर में नहीं दिये गये है और कार्य के दौरान कराये जाते है उनकी दरें अधीक्षण यंत्री सी. पी.ए.के द्वारा निर्धारित की जावेगी जो कि ठेकेदार को बंधनकारी होगी, लेकिन इस प्रकार के कार्य की मात्रा अनुबंध के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर ठेकेदार एवं विभाग के मध्य सहमति होने पर ही कार्य किया जा सकता है। पैरा–5.4.1 के अनुसार ठेकेदार को प्रचलित स्पेसिफिकेशन–77 प्रडी0–4 के अलावा विशेष स्पेसिफिकेशन जो पृथक से संलग्न दिये गये है, के अनुरूप एवं अनुमोदित ड्रांईग के अनुसार कार्य निष्पादित करना था। अनुबंध की शर्त क्रं0 13 के अनुसार यदि ऐसा काम कराया जाता है जिसके लिए अनुबंध में कोई दरें नहीं दी गई है तब यह कार्य जिले में प्रचलित दरों की अनुसूची जो अनुबंध के समय प्रभावशील थी, में दी गई दर के अनुसार किया जावेगा । वे समस्त आईटम जिनका कार्य कराया जाना था अनुबंध में दिये गये है, इन आईटम की मात्रा भी उनके सामने दर्शाई गई है। ठेकेदार द्वारा इन आईटम की दरें एवं कुल मात्रा की राशि निविदा में भरी गई है।

09– सी0पी0ए0के द्वारा कार्य निक्षेप कार्य के रूप में किया जा रहा है निक्षेप कार्य का नियमन कार्य विभाग नियमावली म0प्र0के पैरा–2.162 से पेरा 2.173 के प्रावधानों के अनुसार होता है। पैरा–2.168 के अनुसार एस0डी0ओ0 को स्वीकृत प्राकलन के अतिरिक्त पूर्वानुमानित आधिक्य की जानकारी कार्यपालन यंत्री को देना चाहिए, कार्यपालन यंत्री इस बात से संतुष्ट है कि आधिक्य अपरिहार्य है तब उसे केशदाता को सूचना देना चाहिए और अतिरिक्त

राशि प्राप्त करना चाहिए और उसी समय कार्यपालन यंत्री को प्राकलन का पुनरीक्षण करना चाहिए। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय तथा सी0पी0ए0 के मध्य इंडोर म्यूजियम फेस–1 के निर्माण के संबध में कोई अनुबंध आज दिनांक तक नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय द्वारा अनुबंध का ड्राफ्ट तैयार कर सी0पी0ए0 को भेजा है जिसमें विवाद की स्थिति में मध्यस्थतता बाबत थर्ड पार्टी का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा राज्य शासन, आवास व पर्यावरण विभाग से अनुमोदित ड्राफ्ट में प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन को अकेला एवं अंतिम मध्यस्थ प्रस्तावित किया है। स्वतंत्र मध्यस्थ बाबत सहमति न होने पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय तथा राजधानी परियोजना प्रशासन के मध्य अनुबंध नहीं हो सका है।

10– इस निर्माण कार्य के लिए कुल 08 ठेकेदार ने निविदाऐं दी थी जिसमें से मे0 एम0संस द्वारा प्रस्तुत निविदा न्यूनतम पाई गई यह निविदा रूपयें 5,41,97,520/–रूपयें राशि की थी । यह निविदा म0प्र0 शासन आवास व पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 20.1.1994 को (प्रपी0–49) स्वीकृत की गई, इसके अनुसरण में कार्यपालन यंत्री निर्माण संभाग क्0–1 राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल एवं ठेकेदार मेसर्स एम0 संस प्रोपराइटर दयाल डेटानी के मध्य अनुबंध कमांक 148/डीएल/93–94, दिनांक 20.1.1994 निष्पादित किया गया। अनुबंध के अनुसार तीस माह में कार्य पूरा किया जाना था, ठेकेदार द्वारा माह अप्रेल 1994 से कार्य प्रारंभ किया गया। वास्तुविद द्वारा समय समय पर विस्तृत वर्किंग ड्राईग उपलब्ध कराई गई जिनके अनुसार कार्य निष्पादित किया जाता रहा। अनुबंध की संपूर्ण राशि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को एकमुश्त नहीं दी गई है बल्कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा मांग करने पर समय–समय पर अंशों

में प्रदान की गई है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को निर्माण कार्य प्रगति एवं व्यय की संक्षिप्त जानकारी प्रत्येक माह भेजी जाती थी इस रिपोर्ट में किस आईटम में किस रेट से तथा उस आईटम की कुल कितनी मात्रा के लिए कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है, का विवरण नहीं रहता था, इसलिए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को रनिंग बिल उपलब्ध कराने हेतु बार–बार लिखा गया । राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा प्रथम बार जो रनिंग बिल भेजा गया वह रनिंग बिल कमांक 17 प्र0पी0–52 था जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में दिनांक 13.10.1995 को प्राप्त हुआ ।

11– दिनांक 14.2.1996 के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए वास्तुविद तथा राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारीगण व ठेकेदार की बैठक में राजधानी परियोजना प्रशासन के अधीक्षण यंत्री ने यह बताया कि परियोजना की कीमत बढकर 10 करोड रूपयें हो जावेगी। यह वृद्वि कीमतों में वृद्वि, आईटम की मांग में परिवर्तन, वास्तुशिल्प व अन्य संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होगा। इस पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक द्वारा अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को पुनरीक्षित प्राकलन कारण सहित उन आईटम जिनका प्रावधान अनुबंध में नहीं है की रेट एनालेसिस सहित प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिससे कि उन्हें बिल्डिंग कमेटी, वित्त समिति तथा कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जा सके परंतु राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को पुनरीक्षित प्राकलन प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही रेट एनालेसिस ही उपलब्ध कराई गई ।

12— इसके पश्चात 22 वां रनिंग बिल प्र0पी0—55 दिनांक 30.3.1996 को प्राप्त हुआ था, का बी.आर.सरवटे द्वारा उसका अध्ययन एवं विश्लेषण करने पर पाया गया कि कालम, स्लेब, 6 एम.एम. सीमेंट प्लास्तर, 1:3, स्टेयर केस, अतिरिक्त उंचाई, शैल के बाहरी फेस, शैल के भीतरी फेस, डोम के बाहरी फेस, तथा डोम के भीतरी फेस इन सभी आईटम की सेंटरिंग के कार्य को एक्स्ट्रा आईटम मानकर अनुबंध की दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया गया है। इस प्रकार 22 वें रनिंग बिल प्र0पी0—55 में विश्लेषण (प्रपी0—57) के अनुसार 1.42 लाख रूपयें के अधिक भुगतान होना पाया जाने से इसकी जानकारी राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल को प्रेषित की गई।

13— इसके पश्चात प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन की ओर से अतिरिक्त आईटम का औचित्य प्रेषित करते हुए लिखा गया कि तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते है । इस पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की ओर से तीन सदस्यीय तकनीकी विशेषज्ञों की समिति गठित कर उनसे राय प्राप्त की गई, समिति ने प्रतिवेदन प्र0पी0—4 में यह बताया कि जिन आईटम को अतिरिक्त आईटम मानकर बढ़ी हुई दरों का भुगतान किया गया है वे अनुबंध में पूर्व से ही है, और इनका भुगतान अनुबंधित दरों पर ही किया जाना चाहिए था। वास्तुविद राम शर्मा एसोसियेट द्वारा भी यह बताया गया कि ये आईटम अनुबंध में पूर्व से ही है तथा टेंडर डिजाइन एवं ड्रांईग एवं डिटेल वर्किंग ड्रांईग में कोई अंतर नहीं है। ड्रांईग के आधार पर ही कार्य निष्पादन किया गया है ।

14— इस प्रकार से स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाने के बाबजूद राजधानी परियोजना प्रशासक के अधिकारियों के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर की गई वित्तीय अनियमितताओं एवं शासन को हुई आर्थिक क्षति को छिपाने के उददेश्य से षडयंत्रपूर्वक प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन के द्वारा पांच

सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें ठेकेदार के वेतन भोगी इंजीनियर श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, को भी रखा गया तथा मनचाही रिपोर्ट प्राप्त की गई। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा प्रकरण में मनचाहा विशेषज्ञ मत प्राप्त कर अवैध भुगतान को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है जिस कारण न्यूनतम निविदा अधिकतम निविदा में परिवर्तित हुई है। प्राथमिक जांच के पश्चात अभियुक्त डी0 एन0 अग्रवाल कार्यपालन यंत्री एवं राजधानी परियोजना के अधिकारीगण द्वारा पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट आचरण से अवैधानिक लाभ प्राप्ति के उददेश्य से ठेकेदार दयाल डेटानी के साथ सांठगांठ कर षडयंत्रपूर्वक अनुबंध में दिये गये आईटमों को एक्स्ट्रा आईटम बताकर अनुचित रूप से बढी हुई दरों से भुगतान कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया जाना पाये जाने से अपराध कमांक 71/96 की प्रथम सूचना प्रपी0–115 दर्ज कर अनुसंधान कार्य किया गया। औपचारिक अनुसंधान कार्य पूर्ण कर अभियुक्त डी0एन0अग्रवाल कार्यपालन यंत्री, दयाल डेटानी ठेकेदार, व राजधानी परियोजना के अन्य अधिकारीगण के विरूद्व धारा **420/120** एवं धारा **13**(1)(डी), सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक 23.07.97 को अभियोग पत्र क्0 70/97 के रूप में प्रस्तुत किया गया ।

15— निर्णय के कण्डिका–01 में वर्णित धाराओं के आरोप मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा तैयार कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया था जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किये। अभियुक्त **दिनेश नारायण अग्रवाल** का बचाव यह है कि उसने अपना कार्य नियमानुसार अनुशासन में रहते हुए ईमानदारी के साथ किया है तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्व षडयंत्रपूर्वक साक्ष्य बनाई गई है, वह निर्दोष हैं, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त **जी0एम0कृपलानी** का बचाव यह है कि उसका कार्यकाल दिनांक

26.7.1994 से 18.8.1994 तक सिर्फ 22 दिनों का था, उसके द्वारा नियमानुसार प्रपी0–39 के अनुसार एक्स्ट्रा आईटम के बारे में स्वीकृति दी गई थी जिससे शासन भी सहमत था, जिस कारण उसके विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने से असहमति प्रकट की गई थी, शासन उसके कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट था जिस कारण लोकायुक्त का प्रकरण विचाराधीन होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन ने उसे मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान किया था उसे गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु दो बार स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है वह पूर्णतः निर्दोष है उसे झूंठा फसांया गया है। अभियुक्त **दयाल डेटानी** का बचाव यह है कि उसने आर्बीट्रेशन में बकाया राशि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया था उसमें उसके पक्ष में आदेश हुआ है, इस प्रकरण में एक्स्ट्रा आईटम से संबंधित विवाद भी शामिल था आई.जी.आर.एम.एस. ने एक सिविल सूट इसी प्रकरण के संबंध में लगाया था जो न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है वह निर्दोष है उसे झूंठा फसांया गया है। अभियुक्त जी0 एम0 कृपलानी द्वारा अपने बचाव में बलवीर सिंह (व0सा01),रमेशचंद्र चुग (व0सा02), विनय कुमार शुक्ला (व0सा03) एवं एस.आर.पांडे(व0सा04) को परीक्षित किया गया है।

16– प्रकरण के निराकरण के लिये न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :–

1 **क्या अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल एवं गोविन्दराम कृपलानी के विरूद्व अभियोजन चलाने की अनुमति देने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग सक्षम प्राधिकारी है ?**

2 **क्या सुसंगत समय पर अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल एवं जी0 एम0 कृपलानी द्वारा अपने लोक पद का दुरूपयोग कर निविदा की शर्तो के विपरीत संविदाकार अभियुक्त दयाल डेटानी को आर्थिक लाभ पहुंचाकर आपराधिक अवचार किए थे ?**

3 क्या अभियुक्तगण निविदा में उल्लेखित स्वरूप के कार्य को ही एक्स्ट्राआईटम के रूप में दर्शाते हुए निविदा में स्वीकृति दर से अधिक दर से भुगतान हेतु अवैध रूप से आपस में सहमत होकर आपराधिक षडयंत्र किए थे ?

4 क्या अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल कार्यपालन यंत्री एवं जी0एम0कृपलानी अधीक्षण यंत्री ने आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में कपटपूर्वक इं.गां.रा.मा.सं. को प्रवंचित कर निविदाकार अभियुक्त दयाल डेटानी को लगभग 1.42 करोड़ रूपयें का भुगतान कर छल कारित किए और तथा छल के फलस्वरूप संविदाकार अभियुक्त दयाल डेटानी अवैध रूप से लाभान्वित हुआ?

! विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 पर निष्कर्ष व उसके आधार !

17– तर्क के दौरान अभियुक्त डी. एन. अग्रवाल के अधिवक्ता श्री संदीप गुप्ता द्वारा माननीय म0प्र0उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पुनरीक्षण कमांक 529/98 (जी0एम0कृपलानी बनाम म0प्र0व अन्य) आपराधिक पुनरीक्षण कमांक 587/98 (अमोलक राम जग्गी बनाम म0प्र0 राज्य व अन्य) एवं आपराधिक पुनरीक्षण कमांक 722/98 (दिनेश नारायण अग्रवाल बनाम म0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 08.02.2005 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई, इस एक आदेश के माध्यम से माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उपरोक्त तीनों ही पुनरीक्षण याचिकाओं का निराकरण एकसाथ किया गया है। उक्त आदेश का प्रभावी पैरा कमांक–03 इस प्रकार है :–

> " it is submitted at the bar that the trial has commenced and the prosecution has examined number of witnesses . I am, therefore, at this stage not inclined to interfere with the impugned order . these revisions are being disposed of with a liberty to the applicants to raise the question of validity of senction at the time of final arguments before the trial court after the complete recording of evidence.

18— माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से दी गई स्वतंत्रता के आधार पर अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल एवं अभियुक्त जी.एम.कृपलानी के अधिवक्ता द्वय द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश के संबंध में तर्क किया गया कि अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रपी0—1 एवं प्रपी0—3 वैध नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम अभियोजन स्वीकृति अभियुक्तगण के प्रशासकीय विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग से मांगी गई थी जिसने अभियोजन स्वीकृति देने से इंकार कर दिया था इसके पश्चात विधि विभाग से प्रपी0—1 व प्रपी0—3 की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण के प्रशासकीय विभाग द्वारा जब अभियोजन स्वीकृति से इंकार कर दिया गया तब उन्हीं तथ्यों, दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर विधि विभाग से प्रपी0—1 व प्रपी0—3 की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई है जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि एक बार अभियोजन स्वीकृति अस्वीकार करने के बाद उन्हीं आधारों पर पुनः अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती ।

19— अभियुक्तगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अवर सचिव अभियोजन स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में विधि सचिव को ही सक्षम अधिकारी बताया गया है। अतः अवर सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व दी गई अभियोजन स्वीकृति दूषित होने से अभियुक्तगण का विचारण पूर्ण रूप से दूषित हो गया है जिस कारण अभियुक्तगण दोषमुक्ति के पात्र है ।

20— धारा—19 भ्रष्टाचार अधिनियम में लोक सेवको के विरूद्व अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक बताया गया है जो निम्नानुसार है —:

<u>अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना :—</u>

(1)— कोई न्यायालय धारा 7, धारा 10, धारा 11 या धारा 13 और धारा—15 के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसकी बाबत् यह अभिकथित है कि वह लोकसेवक द्वारा किया गया है। निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं होगा :

(क)— ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के संबंध में, नियोजित है और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्र सरकार

(ख)– ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार

(ग)– किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी .

(2)– जहां किसी भी कारणवश शंका उत्पन्न हो जाए कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जाना चाहिए वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित हो–

(3)– <u>दण्ड प्रकिया संहिता,1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी–</u>

(क)– विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश किसी न्यायालय द्वारा अपील,पुष्टिकरण या पुनरीक्षण में,अभियोजन के लिए उपधारा (1)के अधीन अपेक्षित मंजूरी के न होने या उसमें कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता होने के आधार पर तब तक नहीं उलटा या परिवर्तित किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की राय में उसके कारण वास्तव में कोई अन्याय हुआ है

(ख)– कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में किसी त्रुटि,लोप या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी त्रुटि,लोप या अनियमितता के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ है :
(ग)– कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आधार पर कार्यवाहियॉ नहीं रोकेगा और कोई न्यायालय किसी जांच, विचारण, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंर्तवर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करने में कि ऐसी मंजूरी के न होने से या उसमें किसी त्रुटि,लोप या अनियमितता के होने से कोई अन्याय या परिणामित

हुआ है या नहीं न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या कार्यवाहियों के किसी पूर्वत्तर प्रक्रम पर आक्षेप किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था या नहीं.

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''त्रुटि'' के अंतर्गत मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की सक्षमता भी है.

(ख) ''अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी'' के अंतर्गत इस अपेक्षा के प्रति निर्देश भी है कि अभियोजन किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से, या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की मंजूरी से होगा या समतुल्य प्रकृत्ति की कोई अपेक्षा भी है।

21– अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल की अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रपी01 एवं अभियुक्त गोविन्द राम कृपलानी की अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रपी0– 03 की कंडिका–11 के अनुसारः –आरोपी (दिनेश नारायण अग्रवाल व गोविन्दराम कृपलानी) के विरूद्व अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश शासन सक्षम है। भारत के संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड–(2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा बनाए गए मध्यप्रदेश कार्य नियमों के नियम 13 के अधीन अनुपूरक भाग–5 के अनुदेश कमांक–2–क, के प्रावधानों के अनुसार विधि सचिव तथा अपर सचिव विधि, शासकीय सेवको के अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए राज्य शासन को अधिकारिता के प्रयोग करने में सक्षम है ।

22– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित कमांक–35 भोपाल, बुधवार दिनांक 03.फरवरी 1988, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग भोपाल दिनांक 03 फरवरी 1988 कमांक एफ–ए–1–1–88–उनचास (1)–225– भारत के संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात

'' संशोधन उक्त नियमों में–

(1) अनूसूची में शीर्षक ''इक्कीस–विधि और विधायी कार्य विभाग'' के अधीन भाग (घ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के मद–4 के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए,

अर्थात :–––

4 (एक) दण्ड प्रक्रिया, जिसमें अपराधियों की परीवीक्षा को छोड़ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत आने वाले समस्त विषय सम्मिलित है, और

(दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 के अधीन अभियोजन की मंजूरी ''

(2) समस्त विभागों के शीर्षक के अधीन भाग''(घ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय'' में की निम्नलिखित मद का, जो सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2980–3632–एक (1) दिनांक 18 नबम्बर 1983 द्वारा चाहे किसी भी अनुक्रमांक से जोड़ी गई हो, और जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, लोप किया जाए–

'' उन सेवाओं के, जिनसे वह विभाग संबंधित है, सदस्यों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1947 की धारा 6 के अधीन अभियोजन की मंजूरी ''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अ.द.मोहिले, विशेष सचिव

23– उपयुर्क्त संशोधन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिनांक 08.02.1988 के माध्यम से लोकसेवकों के अभियोजन स्वीकृति हेतु शक्ति विधि एवं विधायी कार्य विभाग मध्यप्रदेश को प्रत्योजित की गई जो निम्नानुसार हैः–

मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग, आदेश भोपाल, दिनांक 08.02.1988, भारत के संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाए गए मध्यप्रदेश शासन के कार्य, नियमों के नियम–13 के अधीन जारी किये गये अनुपूरक अनुदेशों के अनुदेश क्रमांक–2–क, की मद (दो) के अनुसार मुझ में निहित प्राधिकार के अनुसरण में, मैं मोतीलाल वोरा, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, एतद् द्वारा यह निर्देश देता हूं कि सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जिन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ.ए.–1–1/88/49/1, दिनांक 08. फरवरी 1988 के अनुसार शासकीय सेवकों को अभियोजित करने की मंजूरी से संबंधित मामलों को निबटाने के लिए निर्देशित किया गया था, के अतिरिक्त विधि ओर विधायी कार्य विभाग के अपर सचिवगण भी ऐसे मामलों का निपटारा करेंगे।

हस्ताक्षर/
(मोतीलाल बोरा)
मुख्यमंत्री

24–. आदेश दिनांक 21.04.1997 के द्वारा यह उपबंध रखा गया कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग अभियोजन स्वीकृति देने के पूर्व संबंधित प्रशासनिक विभाग से अभिमत प्राप्त करेगा। आगे यह भी उपबंध किया गया कि संबंधित प्रशासनिक विभाग व विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मध्य विरोधाभास होने की दशा में मामला मंत्रीमंडलीय उपसमिति को भेजा जायेगा।

25– परंतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय कमांक एफ–15 (6) 96/1–10, भोपाल दिनांक 10.07.1997, प्रति, शासन के समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन भोपाल, विषय–शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्व अभियोजन की स्वीकृति, संदर्भ–इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ–15 (6) 96/1–10 दिनांक 21.04.1997, इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति की प्रकिया निर्धारित की गई है । आदेशानुसार उक्त परिपत्र के पैरा–2 उल्लेखित प्रकिया में से निम्न अंश विलोपित किया जाता है :–

" विधि विभाग तथा प्रशासकीय विभाग में मतभेद होने की स्थिति में प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा मंत्रीपरिषद की उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। " संदर्भित परिपत्र की शेष प्रकिया यथावत रहेगी। कृपया भविष्य में अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों में तदानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।

हस्ताक्षर
(ए.व्ही.ग्वालियरकर)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

26– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील कमांक 1971/2015 (म0प्र0राज्य व अन्य बनाम आनंद मोहन वगैरह)** निर्णय दिनांक **09.07.2015** में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **19** के अंतर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति देने में सक्षम प्राधिकारी है। इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि मूल प्रशासनिक विभाग द्वारा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है, तो भी उसके अभिमत का कोई महत्व नहीं है क्योंकि विधि एवं विधायी कार्य विभाग ही कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति देने में सक्षम है ।

27— **<u>बी.एस.विसोरिया बनाम म0प्र0राज्य आई.एल.आर. (2014) एम0पी0 1264</u>** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा धारा–19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की मंजूरी के संबंध में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि– कार्य आवंटन नियमों के अधीन विधि एवं विधायी कार्य विभाग को अभियोजन हेतु मंजूरी की शक्ति दी गई है तथा विधि विभाग सक्षम प्राधिकारी है। यदि नियोक्ता/आनुशासनिक प्राधिकारी अर्थात याची के पैतृक विभाग द्वारा मंजूरी को अस्वीकार भी किया गया है, तब भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि पैतृक विभाग, नियोक्ता एवं अनुशासनिक प्राधिकारी का मत विधि एवं विधायी कार्य विभाग पर बंधनकारी नहीं है, जो कि मंजूरी प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करते समय मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है ।

28— **<u>अविनाश दुबे बनाम म0प्र0 राज्य आई.एल.आर.(2014) एम0पी0 2507</u>** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि विभाग की अनुशंसा अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी के विरूद्व बंधनकारक नहीं है। मंजूरी प्रदान करने वाला प्राधिकारी संपूर्ण उपलब्ध अभिलेख जिसमें विभाग द्वारा की गई अनुशंसा समाविष्ट है, को विचार में लेने के पश्चात मामलें का विचार कर सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन हेतु दी गई मंजूरी इस आधार पर आक्षेपित नहीं की जा सकती कि संबंधित विभाग द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

29— **ओमप्रकाश वर्मा बनाम मध्यप्रदेश राज्य व अन्य 2013 कि0लॉ0रि0 (एम0पी0) 782** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा यह विधिक सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि जब विधि एवं विधायी कार्य विभाग को मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत किया गया है वहां मूल प्रशासनिक विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति को अस्वीकार किये जाने का कोई मूल्य नहीं रह जाता है।

30— अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल एवं गोविन्दराम कृपलानी के विरूद्व विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा अभियोजन हेतु मंजूरी आदेश दिनांक 16.07.1997 जो क्रमशः प्रपी0–1 व प्रपी0–3 है, द्वारा दी गई है जो कार्य

आवंटन नियमों के अधीन अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम है तथा यदि अभियुक्तगण के मूल प्रशासनिक विभाग द्वारा अभियोजन हेतु मंजूरी नहीं दी गई है तो उसका कोई प्रभाव विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा अभियोजन हेतु दी गई मंजूरी पर नहीं पड़ेगा क्योंकि कार्य आवंटन नियमों के अधीन जैसा कि निर्णय के पूर्व के चरणों में लेख किया गया है, कर्मचारी/अधिकारी के अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग सक्षम है न कि अभियुक्त का मूल प्रशासनिक विभाग.ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के अधिवक्तागण का यह तर्क मान्य योग्य नहीं रह जाता कि उनके मूल प्रशासनिक विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति नामंजूर किये जाने के पश्चात विधि एवं विधायी कार्य विभाग को उनके विरूद्व अभियोजन स्वीकृति देने का कोई अधिकार नहीं था तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा उनके विरूद्व दी गई अभियोजन स्वीकृति विधि विरूद्व है ।

31– अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल एवं अभियुक्त गोविन्दराम कृपलानी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग किये बिना अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है तथा दी गई अभियोजन स्वीकृति सरसरी है ऐसी स्थिति में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति को विधि की दृष्टि से अभियोजन की मंजूरी नहीं माना जा सकता, साथ ही साथ यह भी तर्क किया गया कि अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रपी0–01 व प्रपी0–03 को देने वाले अधिकारी को न्यायालय में परीक्षित कर उसे प्रमाणित नहीं कराया गया है इसलिए भी अभियोजन मंजूरी आदेश दूषित है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टांत **किमिनल अपील नंबर 766/2001 स्टेट आफॅ कर्नाटक विरूद्व अमीर जान मनु/एस.सी./ 7922/2007, किमिनल अपील नंबर 502/1993 मनसुखलाल विटठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य मनु/एस. सी./1303/1997 के** न्याय दृष्टांतों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है।

32. स्टेट आफ कर्नाटक (उपयुर्क्त) वाले मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति देने वाले अधिकारी को ऐसी स्वीकृति देते समय मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग करना चाहिए तथा प्रस्तुत अभिलेखों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार का मत मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान (उपयुर्क्त) वाले मामलें में भी व्यक्त किया गया

है ।

33— अभियोजन स्वीकृति के आदेश का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है और यदि ऐसे आदेश में कोई तथ्य विशेष नहीं है तो उसे अन्य साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित कराया जा सकता है। इस संबंध में <u>**विश्वभूषण नायक बनाम उड़ीसा राज्य ए.आई.आर. 1954 (सुप्रीम कोर्ट) 359**</u> अवलोकनीय हैं।

34— मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.07.1997 (प्रपी0—1) के माध्यम से अभियुक्त तत्कालीन कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल एवं प्रपी0—3 के माध्यम से अभियुक्त तत्कालीन अधीक्षण यंत्री जी0एम0 कृपलानी के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें अभियोजित किये जाने हेतु अनुमति दी गई है। अभियोजन स्वीकृति के उक्त दोनों आदेश विस्तृत रूप से समग्र तथ्यों एवं संकलित साक्ष्य को विचार में लेते हुए दिये गये है। अभियोजन स्वीकृति आदेशों के साथ दस्तावेज सूची अनुलग्न ''अ'' एवं साक्षियों की सूची अनुलग्न ''ब'' भी संलग्न है। अभियोजन मंजूरी आदेशों को समग्र रूप से देखने से यह तथ्य भलिभांति प्रमाणित होता है कि अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य का पूर्ण मनोयोग से विश्लेषण उपरांत विस्तृत आदेश पारित करते हुए अभियोजन स्वीकृतियां अभियुक्तगण दिनेश नारायण अग्रवाल एवं गोविन्दराम कृपलानी के विरूद्व प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **क्रिमिनल अपील नंबर 766/2001 स्टेट आफॅ कर्नाटक विरूद्व अमीर जान मनु/एस.सी./7922/2007, क्रिमिनल अपील नंबर 502/1993 मनसुखलाल विटठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य मनु/एस.सी./1303/1997** का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है साथ ही अभियुक्तगण के अधिवक्ता का यह तर्क भी मान्य योग्य नहीं है कि अभियोजन मंजूरी देने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग किये बिना अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल एवं गोविन्दराम कृपलानी के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है ।

35— जहां तक अभियुक्तगण दिनेश नारायण अग्रवाल एवं गोविन्दराम कृपलानी के अधिवक्तागण के इस तर्क का सवाल है कि अभियोजन मंजूरी आदेशों को ऐसे आदेश देने वाले प्राधिकारी को न्यायालय में परीक्षित कर उसे प्रमाणित नहीं कराया गया है, से भी यह न्यायालय सहमत नहीं है, क्योंकि

अभियोजन स्वीकृति आदेश धारा 74 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक दस्तावेज है और इसे केवल प्रस्तुत करने मात्र से इसे प्रमाणित माना जा सकता है तथा इसे प्रमाणित करने हेतु इसे जारी करने वाले प्राधिकारी को परीक्षित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में **शिवराजसिंह यादव बनाम म0प्र0राज्य 2010(IV) एम.पी.जे.आर. 49** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्वांत अवलोकनीय है ।

36— **श्रीमती कृष्णादास** (अ0सा01) ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि वह जुलाई 1997 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल में सहायक के पद पर कार्यरत थी, तत्समय श्री टी0पी0शर्मा, अतिरिक्त सचिव विधि व विधायी कार्य विभाग के पद पर पदस्थ थे, तथा वह उनके हस्ताक्षर को पहचानती है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल ने आरोपी डी0 एन0 अग्रवाल, ए 0आर0जग्गी, एवं जी0 एम0 कृपलानी के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति क्रमशः प्रपी0—1,प्रपी0—2 व प्रपी0—3 के आदेश पारित किये थे उक्त आदेशों पर ए से ए भाग पर श्री टी0 पी0 शर्मा तत्कालीन अतिरिक्त सचिव, विधि व विधायी कार्य विभाग के हस्ताक्षर है। इस साक्षी द्वारा अपने कथन में यह बताया गया है कि वह विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल में श्री टी.पी.शर्मा अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के साथ कार्य करने से उनके हस्ताक्षर भलिभांति पहचानती है तथा साक्षी की उक्त अभिसाक्ष्य को प्रतिपरीक्षण में खण्डित भी नहीं किया जा सका है। अभियुक्तगण का यह भी बचाव नहीं है कि अभियोजन मंजूरी आदेश प्रपी0—1 व प्रपी0—3 पर जो साक्षी ने ए से ए भाग पर श्री टी.पी.शर्मा, अतिरिक्त सचिव विधि व विधायी कार्य विभाग का हस्ताक्षर होना बताया है वे हस्ताक्षर श्री टी.पी.शर्मा के नहीं है। इससे यह तथ्य भलिभांति प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल श्री टी.पी.शर्मा द्वारा प्रदान किया गया है।

37— जहां तक अभियुक्तगण के अधिवक्ता के इस तर्क का सवाल है कि अवर सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग अभियोजन स्वीकृति देने में सक्षम नहीं है। तो उससे भी यह न्यायालय कतई सहमत नहीं है क्योंकि दिनांक 08.02. 1988 (पूर्वोक्त) में श्री मोतीलाल बोरा, तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश द्वारा अपने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि एवं विधायी कार्य विभाग के समस्त अवर सचिव को अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत कर दिया गया

था।

38— अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल के अधिवक्ता द्वारा **ननजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य ए.आई.आर. 2015 (एस.सी.) 3060** का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अवैध अभियोजन स्वीकृत पाये जाने पर अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना चाहिए न कि दोषमुक्त । मौजूदा प्रकरण में जैसा कि पूर्व में लेख किया जा चुका है कि अवर सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है तथा इस प्रकरण में अवर सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल एवं गोविन्द राम कृपलानी के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों से प्रभेदनीय होने के कारण बचाव पक्ष को उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है ।

39— उपयुर्क्त विश्लेषण के प्रकाश में इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त तत्कालीन कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल एवं अभियुक्त तत्कालीन अधीक्षण यंत्री गोविन्द राम कृपलानी के विरूद्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। फलतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक—01 को **''प्रमाणित''** निष्कर्षित किया जाता है ।

!! विचारणीय प्रश्न कमाक 02 लगायत 04 पर निष्कर्ष व उसके आधार !

40— उपर्युक्त सभी विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन द्वारा मिश्रित साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिस कारण सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य विवेचन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विचारणीय प्रश्न क्रमांक—2 से 4 के संबंध में साक्ष्य विश्लेषण एकसाथ किया जा रहा है।

41— अभियुक्त दयाल डेटानी के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के अनुसार संविदाकार दयाल डेटानी ने 17 एक्स्ट्रा आयटम गलत रूप से बताते हुए उनका भुगतान प्राप्त किया है जबकि आरोप में उन 17 एक्स्ट्रा आयटमों का

उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त जी0एम0कृपलानी के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त जी0 एम0 कृपलानी बहुत कम अवधि 22 दिनों के लिए अधीक्षण यंत्री के पद पर राजधानी परियोजना प्रशासन में रहा है तथा उसके द्वारा केवल दो आदेशों के माध्यम से एक्स्ट्रा आयटम की मंजूरी दी गई है परंतु अभियुक्त पर जनरलाइज चार्ज 1.42 करोड़ रूपयें का लगाया गया है। जबकि अभियुक्त द्वारा दिया गया सेंक्शन केवल 42.60 लाख रूपयें का है। उक्त तर्को के आधार पर त्रुटिपूर्ण आरोप होना बताते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है ।

42— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **211** आरोप में किन तथ्यों का समावेश होना चाहिए बताया गया है जो निम्नानुसार है :—

Contents of charge-

1- Every charge under this Code shall state the offence with which the accused is charges.

2- If the law which creates the offences gives it any specific name,the offence may be described in the charge by that name only .

3- If the law which creates the offence dose not give it any specific name ,so much og the definition of the offence must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged.

4- The law and section of the law against which the offence is said to have been committed shall be mentioned in the charge.

5- The fact that the charge is made is equivalent to a statment that every legal condition required by law to consitute the offence

charged was fulfilled in the particular case.

6- The charge shall be written in the language of the court.

7- If the accused, having been previously convicted of any offence, is liable, by reason of such previous convection, to enhanced punishment, or to punishment of a different kind, for a subsequent offence, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offence, the fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted, the Court may add it at any time before sentence is passed.

43– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 215 आरोप के अंर्तवस्तु में त्रुटि का प्रभाव बताती है जो निम्नानुसार है :–

Effect of errors- No error in stating either the offence of the particular required to be stated in the charge, and no omission to state the offence or those particulars, shall be regarded at any stage of the case as material, unless the accused was in fact misled by such error or omission, and it has occasioned a failure of justice.

44– अभियुक्तगण के आरोप में वे समस्त तथ्य समाविष्ट है जिनका समाविष्ट होना धारा 211 दण्ड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। अभियुक्तगण को यह ज्ञात है कि उनका विचारण किस संबंध में किया जा रहा है। यदि

अभियुक्त दयाल डेटानी के आरोप में 17 एक्स्ट्रा आयटमों का उल्लेख नहीं है तथा अभियुक्त जी. एम.कृपलानी के आरोप में उसके द्वारा स्वीकृत राशि 42.60 लाख रूपयें का उल्लेख पृथक से न होकर कुल एक्स्ट्रा आयटमों के संबंध में किये गये भुगतान की राशि का उल्लेख है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण भ्रमित हुए हो, यह नहीं माना जा सकता तथा उक्त तथ्यों का उनके आरोपों में उल्लेख न होने से अभियुक्तगण को किसी प्रकार की कोई अपहानि नहीं हुई है। अतः अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जो आरोप के संबंध में तर्क किया गया है वह मान्य योग्य नहीं है।

45— **विकास भटट्** (अ0सा06) का कहना है कि वह वर्ष 1997 में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में डिप्टी के पद पर पदस्थ था, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है जो पूर्व में शासन के अंतर्गत था लेकिन कालांतर में स्वशासी संस्थान बना दिया गया है।

46— साक्षी ने यह भी बताया है कि वह वर्ष 1990 से मार्च 1994 के मध्य प्रभारी निदेशक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल के रूप में कार्यरत था। संग्रहालय के दो प्रमुख विभाग है एक ओपन म्यूजियम और दूसरा इनडोर म्यूजियम। इनडोर म्यूजियम के लिए भवन बनाने की योजना राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत की गई थी जो श्री राम शर्मा आर्किटेक्ट द्वारा तैयार की गई थी इसके मुताबिक 28000 वर्गमीटर स्थान पर भवन बनाया जाना था किन्तु धन की कमी के कारण केवल 10000 वर्ग मीटर में भवन निर्मित करने का निर्णय लिया गया।

47— साक्षी ने यह भी बताया है कि भवन निर्माण के लिए कार्यकारी समिति द्वारा गठित एक विशेष समिति द्वारा आमंत्रित आफर्स पर विचार करने के उपरांत यह कार्य राजधानी परियोजना भोपाल को सौंपने की अनुशंसा की गई

जिसे संस्कृति विभाग के वित्तीय सलाहकार की अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति की कार्यकारी परिषद ने स्वीकार किया। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने प्रपी0–8 का पत्र लिखा था जिसमें कार्य के संबंध में एग्रीमेंट किया जाने और उस समय जो ड्राईंग उपलब्ध हुई थी वह सी0पी0ए0 को भेजी गई थी, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी0–8 का पत्र साक्षी के द्वारा दिनांक 07–05–1992 को श्री सी0एम0श्रीवास्तव,सुपरीटेंडेंट इंजीनियर केपीटल प्रोजेक्ट प्रशासन निर्माण विभाग भोपाल को अनुबंध किये जाने एवं टर्म एण्ड कंडीशन फायनल किये जाने, 24 माह में कार्य कम्पलीट किये जाने के संबंध में भेजा गया था ।

48— साक्षी ने यह भी बताया है कि सी0पी0ए0 को कार्य सौंपने के पहले उसके द्वारा प्रपी0–18 का पत्र लिखा गया था, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने सी0पी0ए0 को एग्रीमेंट करने के बारे में प्रपी0–19 का पत्र लिखा था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

49— साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्किटेक्ट ने जितनी ड्रांईग उन्हें भेजी थी उतनी ड्रांईग सी0पी0ए0 को भेजी गई थी तथा आर्किटेक्ट ने उन्हें सारी ड्रांईग नहीं भेजी थी, उसके द्वारा पत्र प्रपी0–10 के माध्यम से ड्रांईग राजधानी परियोजना प्रशासन को भेजी गई थी उक्त पत्र पर ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

50— साक्षी ने यह भी बताया है कि कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति साढ़े सात करोड़ रूपयें की दी गई थी जो पत्र प्रपी0–09 के माध्यम से अधीक्षण यंत्री को उसके द्वारा भेजी गई थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्वशासी संस्थान था इस कारण से कार्य डिपाजिट वर्क के तहत

कराया गया था तथा प्रारंभ में 15 लाख रूपयें कार्य सौंपने पर रिलीज किये गये थे इस संबंध में जारी आदेश प्रपी0–20 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

51– साक्षी ने यह भी बताया है कि जिस स्थान पर कार्य प्रारंभ किया जाना था उस स्थान और उसके लेबल के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी इस कारण उसके द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में राजधानी परियोजना प्रशासन से जानकारी चाही गई थी इस संबंध में उसके द्वारा प्रपी0–21 का पत्र लिखा गया था ।

52– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन कंडिका–04 में बताया है कि आर्किटेक्ट द्वारा जितनी ड्रांईग संग्रहालय को भेजी गई थी उतनी ड्रांईग संग्रहालय ने राजधानी परियोजना प्रशासक को भेजा था। साक्षी ने कथन कंडिका–6 में कहा है कि एक्स्ट्रा आयटम बढ़ने का कारण संपूर्ण ड्रांईग सी.पी.ए. को न मिलना हो सकता है परंतु इसका ठीक–ठीक कारण नहीं जानता है ।

53– **विजय कुमार अमर** (अ0सा04) का कहना है कि वह राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल संभाग क्रमांक–01 में कार्यपालन यंत्री के पद पर वर्ष 1988 से 1993 तक कार्यरत रहा है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के परिसर में इनडोर म्यूजियम का भवन तैयार किये जाने के लिए राजधानी परियोजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा प्रपी0–8 के पत्र के माध्यम से निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि मानव संग्रहालय ने निर्माण कार्य ''डिपाजिट वर्क'' के रूप में सौंपा था तथा उक्त कार्य के लिए साढ़े सात करोड़ रूपयें की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी इस संबंध में राजधानी परियोजना को प्रपी0–9 का पत्र मानव संग्रहालय की ओर से लिखा गया था ।

54— साक्षी ने यह भी बताया है कि इनडोर म्यूजियम की परिकल्पना श्री राम शर्मा वास्तुविद नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई थी तथा राजधानी परियोजना को भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी नियुक्त करने के लिए मानव संग्रहालय द्वारा श्री राम शर्मा वास्तुविद द्वारा तैयार किये गये प्राकलन की प्रति उपलब्ध कराई गई थी जो दिल्ली एस0 ओ0 आर0 पर आधारित थी, उक्त प्राकलन के आधार पर राजधानी परियोजना भोपाल ने भोपाल स्थित सी0 एस0 आर0 के आधार पर प्राकलन तैयार कर मानव संग्रहालय को एजेंसी नियुक्त करने के काम्पटीशन के लिए प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर सभी प्राप्त एजेंसियों के मूल्यांकन उपरांत राजधानी परियोजना को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया एवं इस कार्य के लिए आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी।

55— साक्षी ने यह भी बताया है कि इस कार्य से संबंधित मानचित्र व प्राकलन मानव संग्रहालय के पत्र दिनांक 24—7—1992 प्रपी0—10 के साथ प्राप्त हुए थे, प्रपी0—10 में ए से ए भाग पर पावती के हस्ताक्षर श्री विनोद कौशिक, सहायक यंत्री के द्वारा किये गये है। साक्षी के अनुसार वर्ष 1992 में नया एस0ओ0आर0 आ जाने से उसके आधार पर राजधानी परियोजना द्वारा नया प्राकलन बनाया जाकर मानव संग्रहालय को प्रस्तुत किया गया था ।

56— साक्षी ने यह भी बताया है कि इस निर्माण कार्य के लिए एन0 आई0 टी0 उसके द्वारा बनाया गया था जिसे प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है, एन0 आई0 टी0 की स्पेशल कंडीशन टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल—ए के पृष्ट क्र0 141 से लेकर 154 तक में दी गई है। साक्षी के अनुसार विशेष शर्तो को एन.आई.टी. में मूल एन.आई.टी.के साथ संलग्न कर कार्य पर विशेष संतुलन के लिए संलग्न किया गया था। मानव संग्रहालय द्वारा

राजधानी परियोजना को एजेंसी नियुक्त करने के बाद एक बैठक में यह इच्छा जाहिर किया गया था, कि यथासंभव लागत को बढ़ने न दिया जाये इसके लिए निविदा में आवश्यक प्रावधान किया जाये, इस हेतु मुख्य शर्त कं0 2, 3, 6 व 12 निम्नानुसार प्रावधानित की गई है:–

शर्त कं–2 के अनुसार निविदाकार की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी एकत्रित करेगा, संबंधित मानचित्रों का अध्ययन करेगा, साईट का निरीक्षण करेगा, कार्य के स्वरूप व निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध होने वाली सामग्री के बारे में संतुष्ट रहेगा।

शर्त कं0–3 में निविदा में जो रेट दिये जावेगे उसके अंतर्गत फोल्डिंग, स्टेजिंग, श्योरिंग, लैब टेस्टिग चार्जेस, जहां आवश्यक हो वहां स्टोरेज के लिए शेड, साईट की सफाई आदि का प्रावधान सम्मिलित है।

शर्त कं0–6 के अनुसार ठेकेदार द्वारा ध्यानपूर्वक एवं पूरी तरह से कार्य में प्रयुक्त मापदंड एवं स्पेसिफिकेशन्स सभी आईटमों के लिए लगाये गये है, का अध्ययन कर लिया है एवं रेटस देने के पहले पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है।

शर्त कं0–12 के अनुसार ठेकेदार ड्रांईग, डिजाईन, स्पेसिफिकेशन, जिन्हें वास्तुविद द्वारा परियोजना के लिए एडाप्ट किया है जिसे ड्रांईग, चार्टस रिपोर्टस, टेबल्स एवं अन्य आवश्यक डाक्यूमेंट को निर्माण एजेंसी या उसके रिप्रजेन्टिटिव के द्वारा प्रदाय की जावेगी, का पालन करने को बाध्य होगा।

यदि इनमें कोई विरोधाभास परिवर्तन, परिवर्धन, निवर्चन यदि कोई हो तो उसे ठेकेदार निर्माण एजेंसी के माध्यम से आर्किटेक्ट को प्रस्तुत करेगा, जिस पर वास्तुविद का निर्णय अंतिम होगा ।

57– साक्षी ने यह भी बताया है कि एन0आई0टी0 को उसके द्वारा बनाये जाने के उपरांत प्रमुख अभियंता से अनुमोदन के पश्चात निविदा आमंत्रण के लिए उपयोग में लाया गया था तथा उसके समक्ष दो बार निविदा बुलाई गई थी तथा यह दोनों निविदाऐं उसके कार्यकाल में ही निरस्त की गई थी ।

58— साक्षी ने यह भी बताया है कि पहली निविदा आमंत्रण के समय वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत किये प्राकलन में अतिरिक्त राशि 19,80,388/—रू0 को निविदा में सम्मिलित करने हेतु निदेशक द्वारा कहा गया था जिसे निविदा प्रारूप में सम्मिलित करते हुए पुनः पुनरीक्षित निविदा प्रारूप अनुमोदन कराया गया एवं उसके आधार पर पुनः निविदा आमंत्रित की गई थी।

59— साक्षी ने यह भी बताया है कि मानव संग्रहालय द्वारा एडिशनल आईटम के संबंध में श्री राम शर्मा नई दिल्ली को पत्र प्रपी0—11 भेजा गया था जिसकी प्रति उसे भी दी गई हुई थी , जिसके संबंध में उसने पत्र प्रपी0—12 के द्वारा उत्तर प्रेषित किया गया था, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।।

60— साक्षी ने यह भी बताया है कि वह अभियुक्त डी0एन0अग्रवाल के हस्ताक्षर पहचानता है। आर्टिकल—ए—पर ए से ए भाग पर अभियुक्त डी0 एन0 अग्रवाल के हस्ताक्षर है तथा इसके पृष्ठ क्रं0 3 व 4 एवं प्रपी0—13, प्रपी0—14 पर भी ए से ए भाग पर भी अभियुक्त डी0 एन0अग्रवाल के हस्ताक्षर है । साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 24.11.1992 को उसके द्वारा जो एस्टीमेट डायरेक्टर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को भेजा गया था उसकी छायाप्रति प्रपी015—ए है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

61— साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0—15—ए के पत्र के साथ रिपोर्ट प्रपी0—16 एवं जनरल एब्स्ट्रेक्ट प्रपी0—17 व विस्तृत प्राकलन प्रपी0— 18 भी संलग्न कर प्रेषित किया था । साक्षी ने यह भी बताया है कि उक्त प्रपी0—18 का प्राकलन उसके द्वारा एस0 ओ0 आर0 आर्टिकल—बी शेडयूल आफ रेटस के आधार पर तैयार किया गया था।

62— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कंडिका—09 में यह बताया है कि ड्राईग में आर0सी0सी0 वर्क, सेटरिंग, शटरिंग की उंचाई 3.5 मीटर से अधिक थी। साक्षी के अनुसार निविदा की अनुशंसा में इसका उल्लेख किया गया है ।

साक्षी ने यह भी बताया हैकि सेंटरिंग, शटरिंग के लिए निविदा प्राकलन के लिए एक्जम्शन के साथ सेटरिंग के रेट दिये थे । साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि उसने जो प्राकलन बनाया था उसमें 3.5 मीटर से अधिक हाईट के निर्माण के लिए कोई प्राकलन नहीं बनाया था । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी0–15 में वैफल स्लेब एवं आर्डनरी स्लैब को अलग–अलग नहीं दर्शाया गया है।

63– साक्षी ने कथन कंडिका–10 में यह स्वीकार किया है कि शेडयूल ऑफ आयटम्स सी.पी.डव्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन पर आधारित है। साक्षी ने यह भी बताया है कि टेंडर डाक्यूमेंटस को वास्तुविद द्वारा ड्रांईग के आधार पर आयटम रेट टेंडर बनाकर दिया गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि यह आयटम रेट टेंडर था जो कि वास्तुविद द्वारा ड्रांईग पर आधारित कर बनाया गया था एवं इसमें वे सभी आयटम सम्मिलित है जिनका ड्रांईग के आधार पर निर्माण किया जाना था ।

64– साक्षी ने कथन कंडिका–17 में बताया है कि प्राकलन बनाने से पूर्व उसने राम शर्मा द्वारा भेजे गये सभी ड्रांईग का अध्ययन कर लिया था तथा उनसे इस संबंध में चर्चाऐं भी कर लिया था तदोपरांत ही प्राकलन प्रपी–15 का विस्तृत प्राकलन तैयार किया था । साक्षी ने कथन कंडिका–21 में बताया है कि आयटम रेट टेंडर में टेंडर के साथ शेडयूल ऑफ आयटम में निर्धारित कर मात्राओं के साथ ठेकेदार से उस पर रेट मांगे जाते है तथा इन शेडयूल आफॅ आयटम के रेट में ठेकेदार कोई कम बढ़ नहीं कर सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जो आयटम टेंडर के साथ दिये गये शेडयूल आफॅ आयटम में उल्लेखित नहीं होते उन्हें एक्स्ट्रा आयटम कहते है। साक्षी ने यह भी बताया है कि एक्स्ट्रा आयटम को कराने के लिए निविदा में सम्मिलित की गई कामन

कंडीशन अथवा विशेष शर्त अथवा प्राकलन का आधार एस.ओ.आर.में वर्णित जनरल नोट पर दिये गये विश्लेषण को ध्यान में रखा जाना होता है ।

65— साक्षी ने कथन की कंडिका—22 में यह बताया है कि टेडर डाक्यूमेंट के क्लार्ज—2.6 से यह तात्पर्य है कि जो आयटम शेडयूल आफॅ आयटम में सम्मिलित नहीं है जिनके कार्य निष्पादन के समय आवश्यकता पड सकती है उसे ठेकेदार को करना होगा और उक्त आयटम जो शेडयूल ऑफ आयटम में वर्णित नहीं है,उन्हें सामान्यतः एक्स्ट्रा आयटम कहा जाता है। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके साथ निविदा में सम्मिलित विशेष शर्ते तथा एस.ओ.आर. के जनरल नोट की कंडिका—17 के अर्थ को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा ।

66— **के0के0चकवर्ती** (अ0सा013) का कहना है कि वह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में मार्च 1994 से अक्टूबर 2000 तक निदेशक के पद पर कार्यरत रहा है उसके कार्यकाल में इनडोर म्यूजियम के निर्माण का कार्य हुआ था। साक्षी ने यह भी बताया है कि निर्माण का कार्य 5.41 करोड़ रूपयें में श्री डेटानी एम.संस कंपनी (आरोपी दयाल डेटानी) को दिया गया था।

67— साक्षी ने यह भी बताया है कि उक्त कांन्ट्रेक्ट सी.पी.ए. द्वारा प्रसारित निविदा के अनुसार प्रदत्त निश्चित आयटम रेट के अनुसार दिया गया था तथा निर्माण एजेंसी मानव संग्रहालय द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल को सुनिश्चित किया गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि हाजिर अदालत आरोपी डी0एन0अग्रवाल राजधानी परियोजना में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री थे और इस निर्माण कार्य को देखने के लिए उसे अधिकृत किया गया था । साक्षी ने यह भी बताया है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ने राजधानी परियोजना प्रशासन को बार—बार एग्रीमेंट के लिए लिखा जाता रहा, परंतु

एग्रीमेंट नहीं हो पाया था उसने इस संबंध में राजधानी परियोजना प्रशासन से पत्र व्यवहार भी किया था।

68— साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 14—3—1995 को प्रपी0—96 का पत्र सुपरीटेंडेंट इंजीनियर राजधानी परियोजना को अनुबंध निष्पादित किये जाने के संबंध में लिखा था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

69— साक्षी ने यह भी बताया है कि पत्र प्रपी0—96 के उत्तर में दिनांक 25—3—1995 को सुपरीटेंडेंट इंजीनियर राजधानी परियोजना की ओर से पत्र प्रपी0—97 प्राप्त हुआ था। साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 12—6—1995 को कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना का एग्रीमेंट के संबंध में पत्र प्रपी0—80 तथा इस पत्र के साथ एग्रीमेंट ड्राफ्ट प्रपी0—81 भी प्राप्त हुआ था ।

70— साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने एग्रीमेंट प्रपी0—81 के संबंध में प्रमुख सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को पत्र प्रपी0—98 लिखा था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के वित्त सलाहकार को नोटशीट प्रपी0—99 दिनांक 28—2—1996 को लिखा था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

71— साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने दिनांक 09—05—1996 को प्रपी0—100 का पत्र तत्कालीन सचिव आवास व पर्यावरण विभाग श्री साहनी को लिखा था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी0—100 के पत्र के अनुसार साक्षी द्वारा सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को इस निर्माण के संबंध में एग्रीमेंट को लेकर लिखा गया है, पत्र के अनुसार कई बार लिखे जाने के बाद भी राजधानी परियोजना प्रशासन ने एग्रीमेंट नहीं भेजा तथा संग्रहालय द्वारा एग्रीमेंट तैयार कर राजधानी परियोजना प्रशासन को भेजा गया लेकिन राजधानी

परियोजना प्रशासन ने मनमानी कर बदलाव किये गये है तथा राजधानी परियोजना प्रशासन व संग्रहालय के मध्य विवाद की स्थिति में मध्यस्थ कोई व्यक्ति न होकर म0 प्र0 माध्यस्थम अधिकरण हो।

72— साक्षी ने यह भी बताया है कि समय—समय पर जो निर्माण कार्य होता था उसका भुगतान किश्तों में राजधानी परियोजना को किया जाता था। धन अदायगी आदेश प्रपी0—101 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह भी बताया है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, राजधानी परियोजना की ओर से धन की मांग करते हुए पत्र प्रपी0—101 उसके कार्यालय को लिखा गया था, जिस पर उसने मार्क करते हुए ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किया था। प्रपी0—101 के माध्यम से अवशेष राशि 300 लाख रूपयें की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता होना बताते हुए राशि की मांग की गई थी ।

73— साक्षी ने यह भी बताया है कि नस्ती क्रमांक—07 में संलग्न आदेश प्रपी0—103 लगायत प्र.पी0—109 उसके कार्यालय से जारी किये गये थे। प्रपी0—103 पर श्री एस0 के0 त्यागी एकांउट आफिसर के तथा प्रपी0—104 पर श्री राजेंद्र श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी के तथा प्रपी0—105 एवं पी0—106 पर आर0 के0 श्रीवास्तव हेड आफ आफिस के तथा प्रपी0—109 पर श्री त्यागी एकांउट आफिसर के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। प्रपी0—103 लगायत पी0—109 के आदेश राशि स्वीकृति के संबंध में समय—समय पर जारी किये गये आदेश है।

74— साक्षी ने यह भी बताया है कि राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल से रनिंग बिल क्रमांक 1 से 16 तक प्राप्त नहीं हुए थे केवल स्टेटमेंट आफ एक्सपेंडिचर मिले थे। बार—बार राजधानी परियोजना को रनिंग बिलों के संबंध में लिखा गया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जब राजधानी परियोजना के

साथ फरवरी 1995 में मीटिंग हुई उसमें बताया गया कि अभी तक जो खर्चा हुआ है उससे और चार करोड़ रूपयें की आवश्यकता है जो कि स्वीकृति आंकलन से अधिक था । इस पर उनसे कहा गया कि जब तक आप बिल नहीं दोगे और विस्तृत रेट विवरण नहीं दोगे तथा राजधानी परियोजना और ठेकेदार के मध्य जो अनुबंध हुआ है उसके विरूद्व मांग करेंगे तो आवंटन देना मुश्किल होगा।

75— साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 21—03—1996 को उसके द्वारा श्री साहनी सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को प्रपी0—110 का पत्र लिखा था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

76— साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 10—5—1996 को श्री साहनी सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को पत्र प्रपी0—111 लिखा था। प्रपी0—111 के माध्यम से साक्षी ने श्री साहनी को संबोधित करते हुए उसके द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट से भिन्न राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पैनल गठित कर जो रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, के संबंध में कंडिका वार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रिपोर्ट की त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निश्चित समय पर पुनरीक्षित अभिमत देने के लिए अनुरोध किया गया है।

77— साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने दिनांक 11—3—1996 को प्रपी0—112 का पत्र श्री आर0सी0साहनी सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को लिखा था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी0—112 का पत्र राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा टेंडर दर से अधिक भुगतान किये जाने के संबंध में लिखा गया था तथा पत्र में यह भी लेख किया गया है कि अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को पुनरीक्षित प्राकलन बढ़ी हुई दरों से फायदा व नुकसान सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

78— साक्षी ने यह भी बताया है कि एक्स्ट्रा आईटम के संबंध में वर्ष 1996 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें तीन सदस्य थे उक्त कमेटी ने उसे दिनांक 16—4—1996 को कवरिंग लेटर प्रपी0—23 सहित कमेटी रिपोर्ट प्रपी0—4 सौंपी गई थी ।

79— साक्षी ने यह भी बताया है कि कमेटी ने एक्स्ट्रा आईटम के संबंध में जो रिपोर्ट दी थी उसमें कालम, स्लेब्स, सेंटरिंग, उंचाई, सीमेंट प्लास्तर, इन चीजों के संबंध में यह बतलाया था कि आयटम रेट टेंडर के अनुसार इन आईटम के रेटस कांट्रेक्टर तथा राजधानी परियोजना प्रशासन के मध्य निष्पादित हुए अनुबंध में पूर्व से ही थे, उन्हें भाषा बदलकर नया आईटम बनाने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट में जो रेट थे वे सब हाईटस के लिए थे अलग—अलग हाईटस के लिए अलग—अलग रेटस सुनिश्चित करने का औचित्य नहीं था ।

80— साक्षी ने यह भी बताया है कि अनुबंध के अनुसार रेटस को बढाने का अधिकार निर्माण करने वाली एजेंसी को नहीं था। साक्षी के अनुसार उसने दिनांक 8—4—1996 को सचिव, आवास व पर्यावरण विभाग को पत्र प्रपी0—113 का अधिक भुगतान के संबंध में लिखा गया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस पत्र के अनुसार 448 लाख के आवंटन के विरूद्व केवल 337 लाख का खर्च प्रमाणित है तथा 111 लाख का खर्चा प्रमाणित नहीं है । प्रपी0—113 में 22वें बिल तक कुल 460 लाख रूपयें व्यय होना जिसमें से 142 लाख रूपयें आपत्तिधीन राशि होना एवं स्वीकृत व्यय राशि 318 लाख, सुपरविजन चार्ज 19 लाख सहित कुल राशि 337 लाख व्यय दर्शाते हुए कुल भुगतान 448 लाख बताते हुए राजधानी परियोजना प्रशासन के पास अवशेष राशि 111 लाख होना बताया गया है।

81– साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने दिनांक 19–4–1996 को सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को पत्र प्रपी0–114 का रेटस अधिक होने के कारण अधिक खर्चा होने के संबंध में लिखा गया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी0–114 के पत्र में राजधानी परियोजना प्रशासन को निरंतर कार्य जारी रखने, राजधानी परियोजना प्रशासन के पास अवशेष फंड उपलब्ध होने, अनाधिकृत भुगतान को समायोजित किये जाने तथा उचित कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया है।

82– साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने वर्ष 1996 में एक पत्र एकाउंटेंट जनरल म0 प्र0 को लिखा था कि जो अभिलेख आडिट की बात राजधानी परियोजना प्रशासन बता रहा है उक्त आडिट के अतिरिक्त मानव संग्रहालय में भी आडिट होता है तो क्या सीएजी उसका भी परीक्षण करेंगे? और यदि ऐसा करेंगे तो क्या उसकी जांच राजधानी परियोजना प्रशासन की इंटरनल आडिट जांच से अलग होगी? इस पर उन्होनें लिखा था कि आपके पास जो लेखा जोखा है उसका हिस्सा राजधानी परियोजना में जो लेखा जोखा है, उसका हिस्सा होगा उसकी भी जांच होगी ।

83– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कंडिका–18 में यह बताया है कि राजधानी परियोजना प्रशासक और ठेकेदार के मध्य जो अनुबंध हुआ था, उसे उसने देखा है, साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन–77 भी उसने देखा है। साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि अनुबंध में स्पेसिफिकेशन की सभी शर्तें लिखी हुई थी इसलिए समिति के गठन की आवश्यकता नहीं थी, साक्षी के अनुसार स्पेसिफिकेशन के बाहर जा रहे थे इसलिए समिति गठन करने की आवश्यकता थी। साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही कार्य किया जा रहा था । साक्षी ने कथन कंडिका–19 में बताया है कि सी.पी.ए.

को जो फण्ड रिलीज किया गया था वह उनके आश्वासन पर किये गये थे परंतु रनिंग बिल नहीं मिलने के कारण आगे का फण्ड रोक दिया गया था । साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने राजधानी परियोजना प्रशासक को उनकी कमियों के संबंध में बार–बार पत्र भेजा था परंतु कोई लिखित उत्तर उसके कार्यालय को प्राप्त नहीं होते थे। साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि श्री सरवटे की नियुक्ति प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में की गई थी । साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि जो फण्ड रिलीज किये गये थे उससे नियमानुसार कार्य होता था ।

84– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण कंडिका–20 में यह बताया है कि 22 वें रनिंग बिल तक सी.पी.ए. कोई रनिंग बिल नहीं दे रहा था जब उसने कहा कि अब पैसा नहीं मिलेगा तब बिल क्र0 16 एवं 17 तथा इनके बाद बिल क्र.–20 भेजा गया जिनका परीक्षण कर आंकलन किया गया । साक्षी ने यह भी बताया है कि सी.पी.ए. प्रशासन द्वारा 22 वें रनिंग बिल के पूर्व तक कोई रनिंग बिल नहीं दिया था केवल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट दिये जाते थे तथा उसी के आधार पर फण्ड रिलीज किया जाता था । साक्षी ने यह भी बताया है कि राजधानी परियोजना प्रशासन साइट का निरीक्षण नहीं करने देती थी जिसके संबंध में सचिव श्री साहनी को कई बार एवं सी.ए.जी. को भी कई बार पत्र लिखा था ।

85– **गोपाल श्री धर पलनीतकर** (अ0सा015) का कहना है कि वह दिनांक 01.09.1995 से सहायक यंत्री सिविल के पद पर लोक निर्माण विभाग में शासकीय सेवा में आया था उसे लगभग 50 वर्षो का अनुभव भवन, सेतु निर्माण संबंधी कार्यो का है। वह अक्टूबर 90 में सेवानिवृत्ति के बाद सिविल आर्बिट्रेशन का कार्य कर रहा है। साक्षी के अनुसार इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के इंडोर म्यूजियम के निर्माण के संबंध में एक्स्ट्रा आईटम की जांच के लिए तीन सदस्यीय

कमेटी का गठन अप्रेल 1996 में किया गया था उक्त समिति में वह भी एक सदस्य था तथा उसके अतिरिक्त बी0 एस0 गुप्ता सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता एवं सी0व्ही0कांड, सेवानिवृत्त इंजीनियर कंसल्टेंट समिति के सदस्य थे।

86— साक्षी का यह भी कहना है कि दिनांक 12.4.1996 के पत्र के माध्यम से समिति के समक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा कॉन्ट्रेक्टर द्वारा दिये गये रनिंग बिल क्रमांक 22 एवं कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट दिखाकर समिति से रनिंग बिल क्रमांक 22 में दर्शाये गये एक्स्ट्रा आईटम के संबंध में उनके तर्क उचित होने या न होने के संबंध में रिपोर्ट चाही गई थी।

87— साक्षी का यह भी कहना है कि समिति ने आईटम क्रमांक 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 व 17 के संबंध में आर्टिकल—ए एवं रनिंग बिल प्रपी0—55 व स्क्रूटनी लिस्ट पी0—57 का अवलोकन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रपी0—4 प्रेषित की गई थी जिसका कवरिंग लेटर प्रपी04—ए है, जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा जिस पर समिति के अन्य दो सदस्यों श्री बी0 एस0 गुप्ता एवं सी0 व्ही0 कांड ने भी हस्ताक्षर किये थे।

88— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—05 में यह बताया है कि जिस दिन समिति की बैठक हुई थी उस दिन दो दस्तावेजों आर्टिकल—ए का अनुबंध दस्तावेज एवं प्रपी0—55 का रनिंग बिल क्रं. 22 रखा गया था तथा प्रपी0—57 की आयटम लिस्ट भी दी गई थी । जिनके आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रपी0—4 में आयटम नंबरों का उल्लेख किया था । साक्षी ने कथन कंडिका—09 में यह स्वीकार किया है कि किसी एक फ्लोर में सेटरिंग और शटरिंग की उंचाई 3.5 मीटर से अधिक जैसे जैसे बढ़ती जायेगी वैसे—वैसे उसकी दरों में बढ़ोतरी होती जायेगी। साक्षी ने कथन की कंडिका—11 में यह स्वीकार किया है कि टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल—ए— के आयटम क्रं. **9**—ए, बी, सी, में वैफल स्लेब का कोई

उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है वैफल स्लेब आर्टिकल–ए–के आयटम नं. 9–सी में कव्हर नहीं होगा जिस कारण उसे एक्स्ट्रा आयटम के रूप में गिना जायेगा ।

89– साक्षी ने कथन कंडिका–12 में यह स्वीकार किया है कि टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए–के आयटम नं0 9–बी में आरनामेंटल कॉलम व उसकी सेटरिंग व शटरिंग से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार 12 कोणीय आरनामेंटल कॉलम के संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है । साक्षी ने कथन कंडिका 18 में इस तथ्य को गलत बताया है कि समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रपी0–04 त्रुटिपूर्ण थी ।

90– **रमेशचंद्र जैन** (अ0सा02) का कहना है कि वह इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट नामक फर्म में मैनेजर कन्स्ट्रक्शंस मेनेजमेंट के पद पर 15 वर्ष से पदस्थ है। साक्षी का यह भी कहना है कि उसे निर्माण अनुमान देने का 25 साल का अनुभव है इस अवधि में उसने देहली में राष्ट्रीय हवाई अडडा, जीवन बीमा निगम के मुख्यालय, मोरया होटल, पार्क होटल, नया विधानसभा भवन भोपाल, म0 प्र0 राज्य व्यापार निगम भवन, म0 प्र0 उर्जा विकास निगम भवन, एस.ओ.एस. चिल्डरन विलेज तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों का अनुमान पत्रक बनाया है।

91– साक्षी ने यह भी बताया है कि भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के भवन निर्माण से संबंधित अनुमान पत्रक टेंडर ड्राईंग के आधार पर बनाया था व टेंडर ड्रांईग आर्किटेक्ट श्री राम शर्मा व एसोसियेट ने बनाई थी । साक्षी ने यह भी बताया है कि इस्टीमेट बनाने के बाद राजधानी परियोजना के अधिकारी श्री अमर व श्री कौशिक टेंडर होने के पूर्व आये थे और इस्टीमेट पर चर्चा की थी और चर्चा के दौरान उक्त अधिकारियों ने अपनी कुछ टिप्पणियां भी बनाई थी ।

92— साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके इस्टीमेट के आधार पर राजधानी परियोजना के अधिकारियों ने जो अंतिम इस्टीमेट बनाया था उसे वह नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी बताया है कि पहले ठेकेदार अर्थात एम.संस द्वारा कार्य किया जा रहा था तब उसने भोपाल आकर साइड पर जाकर नहीं देखा था किन्तु उसका ठेका निरस्त होने के बाद नये ठेकेदार एटकान कंपनी को कार्य दिया गया तब वह 2—3 बार भोपाल साइट पर आया और निरीक्षण किया था क्योंकि बिल आडिट/चैंकिग हेतु उसके यहां आते थे।

93— साक्षी ने यह भी बताया है कि में. एम0 संस ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के किसी भी बिल या उसमें लगाये गये एक्स्ट्रा आईटम के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने जो इस्टीमेट बनाया था वह आईटम रेट के आधार पर बनाया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि पहले देहली शेडयूल रेट के आधार पर इस्टीमेट बनाया था किन्तु बाद में म0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के सी.एस.आर. 1992 के आधार पर इस्टीमेट तैयार किया गया था ।

94— साक्षी ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से संबंधित इस्टीमेट कार्य के लिए वह संग्रहालय के प्रत्यक्ष सलाहकार नहीं था, उसने श्री राम शर्मा व एसोसियेट के लिए कार्य करते हुए इस्टीमेट तैयार किया था, इसलिए यदि मानव संग्रहालय से टेंडर स्वीकृति के उपरांत दस्तोवज व जानकारी भेजी गई हो तो सीधे उनके पास नहीं आई थी और न ही उन्हें देखा है। साक्षी ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा निर्माण लागत अत्यधिक आ रही थी अतः एक्स्ट्रा आईटम के रूप में लगाये गये राशि और अन्य जांच हेतु 03 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी उक्त कमेटी के द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन प्रपी0—4 की प्रति उसके पास आई थी तथा उक्त रिपोर्ट के

आधार पर उसने अपना आर्ब्जवेशन बनाया था और जब लोकायुक्त पुलिस द्वारा उसे बुलाया गया था तब उसके द्वारा उक्त आर्ब्जवेशन्स की जानकारी उनको दी गई थी ।

95— साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके अनुसार जो इस्टीमेट तैयार किया गया था वह टेंडर ड्रांईग के आधार पर बनाया था और उसी के आधार पर वर्किग ड्रांईग की थी। जांच कमेटी के प्रतिवेदन को देखते हुए उसका यह मत था कि लगभग 90 प्रतिशत मदें जो एक्स्ट्रा आईटम के रूप में क्लेम की गई थी वे वास्तव में एक्स्ट्रा आईटम नहीं थे बल्कि टेंडर व वर्किग ड्रांईग में ही समाविष्ट होती थी । साक्षी ने यह भी बताया है कि उसका यह मत था कि लगभग 90 प्रतिशत एक्स्ट्रा आईटम के रूप में लगाई गई राशि उचित नहीं थी और टेंडर ड्रांईग के आईटम को ही घुमा– फिराकर एक्स्ट्रा आईटम के रूप में भुगतान किया गया था ।

96— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कंडिका–18 में यह स्वीकार किया है कि कोई भी ठेकेदार अपना आफर निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तो व नियमों के हिसाब से ही अपने रेटस आफर करता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन कंडिका–25 में इस तथ्य को गलत बताया है कि टेंडर ड्रांईग व वर्किग ड्रांईग में भिन्नता थी । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन कंडिका–28 में बताया है कि अनुबंध में यह तथ्य उल्लेखित है कि टेंडर ड्रांईग को देखा जा सकता है। साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि शेडयूल आफॅ आयटम में कोई आयटम उल्लेखित नहीं है और ड्रांईग में उसका उल्लेख है तो ऐसे आयटम को एक्स्ट्रा आयटम माना जायेगा ।

97— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन कंडिका–30 में यह स्वीकार किया है कि वादोक्त निर्माण के ड्रांईग में उसकी उंचाई 3.5 मीटर से ज्यादा

दिखाई गई है । साक्षी के अनुसार यदि ड्रांईग में उंचाई नहीं दर्शाई गई और उंचाई 3.5 मीटर से अधिक निर्मित हो तो अधिक उंचाई एक्स्ट्रा आयटम के रूप में विचार में ली जाती है परंतु इस प्रकरण में ड्रांईग में उंचाई दर्शाई गई थी जो 3.5 मीटर से अधिक उल्लेखित थी जिस कारण उसके मद में उसे एक्स्ट्रा आयटम नहीं माना जा सकता । साक्षी ने यह भी बताया है कि डी.एस.आर. में सेंटरिंग और शटरिंग आयटम के लिए 3.5 मीटर उंचाई के संबंध में ही दरें उल्लेखित है। सी.पी.डव्ल्यू.डी. के स्पेसिफिकेशन–77 (प्र0डी–4) के आधार पर ही वादोक्त टेंडर में स्पेसिफिकेशन मान्य किये गये है ।

98– **राम शर्मा** (अ0सा03) का कहना है कि वह आर्किटेक्ट है उसकी फर्म राम शर्मा एण्ड एसोसियेट है उसने वर्ष 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बी0 ई0 की उपाधि प्राप्त की है तथा मास्टर आफ लेटस्केप आर्किटेक्चर हाबर्ड विश्वविद्यालय यू0 एस0 ए0 से प्राप्त की है, मास्टर आफ अर्किटेक्चर प्रेट इंस्टीटयूट न्यूयार्क 1962 में प्राप्त की है तथा वह पिछले 40 वर्षो से वास्तुविद के रूप में कार्यरत है ।

99– साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया था। उसने संग्रहालय के लिए वास्तुविद के रूप में पूरे प्रोजेक्ट से संबंधित 200 एकड़ भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए और उस पर होने वाले संबंधित निर्माण के लिए मास्टर प्लान बनाया था। उक्त प्रोजेक्ट के अंदर ही इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के लिए इनडोर म्यूजियम की डिजाइन और विस्तृत प्राकलन निर्मित किये गये थे तथा इनडोर म्यूजियम के लिए टेंडर ड्रांईग प्रडी–1 से डी–3 की भी उसके द्वारा बनाई गई थी तथा उक्त ड्रांईग के आधार पर ही टेंडर दस्तोवज तैयार किये गये थे इस ड्रांईग में प्लान्स, एलिगेशन्स, सेक्शन व डायमेंशन्स है। प्रडी–1

इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की टेंडर कापी ''इन्ट्रेंस कोर्ट प्लान''है। प्रडी–2 इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की टेंडर कापी ''सेक्शन''प्लान है। प्रडी–3 इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की टेंडर कापी ''एलीवेशन''प्लान है।

100– साक्षी ने यह भी बताया है कि **आर्टिकल–ए–** की टेंडर डाक्यूमेंट के पृष्ठ क्रं0–143 पर शर्त क्रं0–12 (प्रपी0–5) के अनुसार –यदि टेंडर डिजाइन के संबंध में कोई परिवर्तन, विचलन, संशोधन या उसके संबंध में कोई निर्वचन होना हो तो उक्त शर्त के अनुसार आर्किटेक्ट अर्थात उसके संस्थान को रेफर किया जाना था और इस संबध में उनके द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होना शर्त में उल्लेखित किया गया है ।

101– साक्षी ने यह भी बताया है कि वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बिल्डिंग कमेटी का मेम्बर था और भोपाल में कमेटी की कई बार मीटिंग हुई उस मीटिंग में उसके द्वारा भाग लिया गया था । साक्षी ने यह भी बताया है कि वर्ष 1993–94 में इनडोर म्यूजियम के निर्माण का कॉन्ट्रेक्ट एम. संस द्वारा निष्पादित किया गया था और निष्पादन एजेंसी राजधानी परियोजना प्रशासन था। साक्षी ने यह भी बताया है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के इनडोर भवन का टेंडर आईटम रेट टेंडर था और टेंडर डाक्यूमेंट उसके कार्यालय में तैयार करने के लिए कई बार उससे सी0 पी0 ए0 के अधिकारियों श्री अमर एवं अन्य के साथ चर्चा हुई थी और इन अधिकारियों ने सारे दस्तोवजों की जांच की थी तथा उनके पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही बिल आफ क्वांटिटी उनकी फर्म के द्वारा तैयार किया गया था और इसके पश्चात पुनः राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा अपने अनुसार बिल आफ क्वांटिटी रि–कास्ट किया गया और उसी के आधार पर आर्टिकल–'ए' का टेंडर डाक्यूमेंट तैयार किया गया था ।

102— साक्षी ने यह भी बताया है कि जनवरी 1996 में इनडोर म्यूजियम के भवन निर्माण समिति की मीटिंग भोपाल में हुई थी। इस मीटिंग में सी.पी.ए. के अधिकारियों के द्वारा कितनी राशि व्यय हो चुकी है, कितनी बची है, तथा बची हुई राशि में कार्य पूर्ण होगा या नहीं इस संबंध में दी गई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा काफी पैसा खर्च किया जाना बताया गया था और कई आईटम एक्स्ट्रा आईटम के रूप में दर्शाये जाकर उनके संबंध में बड़ी राशि का जो लगभग एक करोड़ रूपये से अधिक थी, का भुगतान किया जाना प्रकट हुआ था। इस कारण मीटिंग में यह चर्चा की गई थी कि राजधानी परियोजना प्रशासन यह बताये कि अधिक खर्चा कहां—कहां और क्यों हुआ है ? और उनका औचित्य भी दर्शाया जावे ?

103— साक्षी ने यह भी बताया है कि श्री राकेश साहनी सचिव म0प्र0 आवास व पर्यावरण विभाग ने श्री चक्रवर्ती को संबोधित पत्र प्रपी0—6 फैक्स द्वारा उसे भेजा था इस पत्र के साथ एनेक्चर—1 व 2 भी उसे प्राप्त हुए थे। प्रपी0—6 का पत्र इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 08.04.1996 के जबाब में दिनांक 11.4.1996 को श्री राकेश साहनी, सचिव आवास व पर्यावरण विभाग द्वारा श्री के.के. चक्रवर्ती डायरेक्टर को लिखा गया है। जिसमें भुगतान रिलीज संबंधी प्रस्ताव से संतुष्ट होने पर फंड रिलीज किये जाने का लेख किया गया है।

104— साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने उक्त औचित्य संबंधी प्राप्त पत्रों को देखा था उसकी राय में कई टेंडर में पूर्व से उपलब्ध आईटम्स को ही रि—टिविस्ट करके उन्हें एक्स्ट्रा आईटम के रूप में दिखाया जा रहा था जैसे कि टेंडर ड्राइंग और फाईनल ड्राइंग में कालम की डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था तथा वे मौके पर भी उक्त डिजाइन के अनुसार ही बने थे किन्तु

उक्त कालम्स को ही स्टार शेप एवं अष्टभुजा में दर्शाकर उनकी दरें 12 गुना तक अधिक एक्स्ट्रा आईटम के रूप में लगाई गई थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि इसी प्रकार अन्य कई आईटम्स भी एक्स्ट्रा आईटम्स के रूप में दर्शाकर बढ़े हुए मूल्य पर उनका भुगतान किया गया था इस कारण अनुमानित से अधिक राशि निर्माण में व्यय होना प्रकट हो रही थी।

105— साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने उक्त प्रपी0—6 के पत्र के संबंध में श्री चक्रवर्ती को प्रपी0—7 के प्रारूप का जबाब भेजा था जिसकी प्रति प्रपी0—7—सी है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी—7—सी पत्र दिनांक 8.4.1996 को के के चक्रवर्ती डायरेक्टर मानव संग्रहालय द्वारा श्री राकेश साहनी सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को लिखा गया है जिसमें 111 लाख रूपयें आधिक्य राजधानी परियोजना प्रशासन के पास होना उल्लेख किया गया है।

106— साक्षी ने कथन की कंडिका—20 में बताया है कि आयटम रेट टेंडर सभी प्रकार के टेंडरो में सबसे ज्यादा सुरक्षित दोनो पक्षों के लिए माना जाता है इसलिए इस प्रकार के बड़े कार्य में आयटम रेट टेंडर बुलाना ही उचित माना जाता है। साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि चूंकि प्रोजेक्ट बड़ा था और काफी बारीकियां उठने की संभावना रहती है इसलिए आयटम रेट टेंडर बुलाने का निर्णय लिया गया था। साक्षी ने कथन की कंडिका—23 में बताया है कि आयटम रेट टेंडर में एक शेडयूल आफॅ आयटम बनाया जाता है जो कि टेंडर डाक्यूमेंट का ही हिस्सा होता है और ठेकेदार को शेडयूल आफॅ आयटम के सामने अपने रेट भरना होते है ।

107— साक्षी ने कथन की कंडिका—27 में बताया है कि राम शर्मा एण्ड एसोसियेटस एक फर्म है तथा अनुबंध राम शर्मा एण्ड एसोसियेटस एवं

मानव संग्रहालय के मध्य हुआ था। साक्षी के अनुसार जो भी कार्य इस अनुबंध के तहत किया जाना था उसे राम शर्मा द्वारा सत्यापित किया जाना था तथा जो भी कार्य होना था वह उसकी जिम्मेदारी में होना था। साक्षी ने कथन कंडिका–32 में बताया है कि उसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निर्माण हेतु पहले अनुमानित लागत निकाला था तथा वह लागत आयटम रेट टेंडर के अनुसार ही निकाला था। साक्षी के अनुसार उसने अनुमानित लागत सी. पी. डव्ल्यू. डी. के निर्धारित मेनुअल के अनुसार अनुमानित कीमत निकाला था । सी.पी.डव्ल्यू. डी. के मेनुअल में सी.एस.आर. के जो रेट दिये होते है उसमें उस वर्ष की अनुमानित महंगाई जोडकर आयटम रेट बनाया जाता है।

108– साक्षी ने कथन कंडिका–34 में स्वीकार किया है कि टेंडर के साथ जो शेडयूल आफॅ आयटम होता है उन्ही आयटम का रेट ठेकेदार को कोड करना रहता है ठेकेदार अपनी ओर से कोई आयटम कम या बढ़ा नहीं सकता है। साक्षी ने कथन कंडिका–35 में यह भी बताया है कि उसने जो प्रारंभिक ड्रांईग तैयार किया था उसी के हिसाब से काम हुआ है और इन्हीं प्रारंभिक ड्रांईग के हिसाब से उसने अनुमानित लागत निकाला था । साक्षी ने यह भी बताया है कि वर्किग ड्रांईग और टेंडर ड्रांईग में कोई अंतर नहीं था ।

109– साक्षी ने कथन की कंडिका–36 में यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर जो कार्य ठेकेदार ने किया था वह ड्रांईग के हिसाब से किया था । साक्षी ने कथन की कंडिका–41 में यह स्वीकार किया है कि जो भी निर्माण कार्य हुआ वह उसकी ड्रांईग व डिजाइन के अनुसार ही हुआ है तथा निर्माण कार्य के स्पेसिफिकेशन भी उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार हुए है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए–के अनुसार टेंडर में यह शर्त थी कि यदि निर्माण के ड्रांईग डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन में कोई परिवर्तन

किया जाता है तो मामला आर्किटेक्ट को रेफर किया जावेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा । साक्षी ने यह भी कहा है कि आयटम रेट में परिवर्तन होने पर भी मामला उसे रेफर किया जाना था ।

110— साक्षी ने कथन की कंडिका—44 में बताया है कि प्रकरण में अंतिम इस्टीमेट सी.पी.ए. के श्री अमर द्वारा उसके साथ सलाह मशविरा करके तैयार किया गया था तथा यह इस्टीमेट काफी विस्तृत बनाया गया था। साक्षी ने कथन की कंडिका—60 में बताया है कि टेंडर ड्रांईग में जिस तरह के खम्बे दर्शाये गये है वह अपने आप में दर्शाते है कि किस कांक्रीट के खम्बे बनाये जाने थे और सभी खम्बे एक तरह के ही बनाये जाने थे तथा सभी खम्बे क्रास—शेप्ड है । साक्षी ने टेंडर ड्रांईग देखकर बताया है कि इसमें कापर के आकार की छत, डोम के आकार की, वाल्ट के आकार की और कुछ प्लेन छत दिखाई देती है परंतु शैल के आकार की छत आदि दिखाई नहीं देती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि टेंडर ड्रांईग प्रडी—1, डी—2 व डी—3 को देखकर नंबर आफ डोम्स, वाल्टस, शैल्स आदि नहीं बताये जा सकते है परंतु सभी डोम्स और वाल्टस की उंचाई एक बराबर है ।

111— साक्षी ने कथन की कंडिका—69 में स्वीकार किया है कि सीमेंट सीलिंग प्लास्तर जो सादी छत पर किया जाये वह एक अलग रेट का आयटम होता है और यदि उसी प्रकार सीमेंट सीलींग प्लास्टर जो गोलाकार अथवा रिप्ड छत (स्लेब) पर किया जाये तो उसकी दर अलग होगी और वह एक्स्ट्रा आयटम होगा। फाउंडेशन के कार्य और छत के कार्य की दरों में जो भिन्नता होती है उस संबंध में वह ठीक से नहीं बता सकता क्योंकि यह इंजीनियरिंग का कार्य है।

112— साक्षी ने कथन की कंडिका—72 में इस तथ्य को गलत बताया है कि डोम्स की उंचाईयां बराबर थी । वर्किंग ड्रांईग प्रडी—7 व डी—8 में जो डोम्स की उंचाई पृथक पृथक दर्शाई है वह वास्तव में पृथक नहीं है क्योंकि फ्लोर लाईन से डोम की हाईट एक ही है। प्रडी—7 में ए से ए भाग में एक डोम दर्शाया गया है, प्रडी—7 व डी—8 के नक्शे में फ्लोर लेबल एवं डोम की हाईट अलग—अलग उल्लेखित है और जो उल्लेखित है वह सही हैं। साक्षी के अनुसार प्रडी—7 में बी से बी भाग से चिहिंत किये गये डोम की हाईट फ्लोर लेबल से 12.26 मीटर है । प्रडी—7 के सी से सी भाग पर दूसरा डोम है तथा इस डोम की हाईट 16.16 मीटर फ्लोर से नही है बल्कि लैंडिंग से है ।

113— साक्षी के अनुसार सी.पी.ए. द्वारा सिर्फ एक डोम बनाया गया है उसके अलावा कोई और डोम नहीं बनाया गया है। साक्षी के अनुसार प्रडी—8 में ए से ए भाग से चिहिंत एक डोम है परंतु इस डोम का निर्माण नहीं किया गया था। साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि ठेकेदार द्वारा 08 डोम बनाये गये है। साक्षी ने प्रडी—8 पर सी से सी भाग पर वाल्ट होना बताया है तथा इस वाल्ट की उंचाई 8.05 मीटर होना भी कहा है। साक्षी के अनुसार प्रडी—9 में ए से ए भाग पर जो वाल्ट दिखाया गया है उसकी हाईट 7.30 मीटर एवं बी से बी भाग पर दिखाये गये वाल्ट की उंचाई 8.05 मीटर है जबकि प्रडी—10 की ड्रांईग में जो ए से ए भाग पर वाल्ट दिखाया गया है उसकी उंचाई 10 मीटर है ।

114— साक्षी ने कथन कंडिका—75 में स्वीकार किया है कि टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल—ए—तथा टेंडर ड्रांईग डी—1 लगायत डी—3 में प्रोवाइंडिंग इरेक्टिंग, स्टाईकिंग फिक्सिंग, सेटरिंग एण्ड शटरिंग इन्क्यूलिडिंग, स्ट्रटिंग आफ एप्रूव क्वालिटी, स्पेशल वाटर टाइप संटरिंग मेस आफ एम.एस.शीटस

फिक्स ओवर एंगिल इन्ट्रेसेट एण्ड साइज मेकिंग दि सेम इन लाईन एण्ड लेबिल एण्ड फिक्सिंग गो गो क्लेक्स वेयर वायर रिकवायर इन फिलिंग द ज्वाईगं इन पुटटी सेटरिंग आईल फार फिनिंश कंक्रीट सरफेस इन्क्लूडिंग फॉर्म रिनोविंग रिएसेम्बलिंग एण्ड रिफ्लेसिंग फार टायर बीइंग एक्स्ट्राकम्पली एस पर आर्किटेक्ट ड्रांईग एण्ड डिजाइन नहीं है । साक्षी के अनुसार उक्त आयटम का निष्पादन नहीं हुआ है ।

115— साक्षी ने कथन कंडिका—76 में स्वीकार किया है कि वर्किंग ड्रांईग क्रमांक 130 आर.एम.एस.10 दिनांक 02.08.1994 के अनुसार इस कार्य का निष्पादन हुआ है । साक्षी के अनुसार यह कार्य फ्रेब्रीकेटेड है तथा इस कार्य की आवश्यकता नहीं थी । साक्षी ने यह भी बताया है कि उपयुर्क्त कार्य भाषा को परिवर्तित कर नवीन कार्य करना बताया गया है जबकि टेंडर डाक्यूमेंट में इस कार्य का प्रोवीजन पहले से ही था । साक्षी के अनुसार टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल—ए—के आयटम क्रमांक 09 में उक्त कार्य का उल्लेख है। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके मत में उक्त कार्य आर्टिकल—ए—के आयटम नं0 9 के सब क्लॉज—ई— के डोम्स एण्ड वाल्टस के अंतर्गत है। इस आयटम में इस कार्य की मात्रा 6330 स्कवायर मीटर दी हुई है ।

116— साक्षी ने कथन कंडिका—77 में बताया है कि यह हो सकता है कि टेंडर ड्रांईग में एक ही फ्लोर में स्ट्रेक्चर (छतें) की उंचाई 3.5 मीटर से अधिक 17 मीटर तक दर्शाई गई हो, साक्षी के अनुसार कोई भी एक्स्ट्रा आयटम उसके या उसके कन्सल्टेंट से जांच कराये बिना नहीं बनाया जा सकता था इसलिए यदि किसी एक्स्ट्रा आयटम का निर्माण किया गया है तो उससे संबंध नहीं है। साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि जो डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा था और उसमें किसी एक्स्ट्रा आयटम की

आवश्यकता थी तो उसके लिए उसे रेफर किया जाना आवश्यक नहीं था । साक्षी ने इस तथ्य को भी गलत बताया है कि टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए के क्लॉज–12 (प्रपी–5) के अंतर्गत उसे एक्स्ट्रा आयटम रेफर करने का प्रोवीजन नहीं है ।

117– साक्षी ने कथन कंडिका–78 में बताया है कि टेडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए–में स्ट्रेजिंग का अलग से रेट नहीं दिया गया है साक्षी के अनुसार इसके स्थान पर ''प्रापिंग'' शब्द का उपयोग किया गया है और इसका आयटम नं–9 में रेट दिया गया है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल–ए– में कितने मीटर तक की प्रांपिंग का रेट है यह नहीं दिया हुआ है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि टेंडर डाक्यूमेंट में यह प्रावधान है कि ऐसे आयटम जिसका रेट नहीं दिया हुआ है उसके लिए सी.पी.डव्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन–77 तथ ब्यूरो आफॅ इंडियन स्टेंडर्ड को रिफर किया जावेगा। साक्षी ने यह भी बताया है कि यह प्रावधान तभी लागू होता है जबकि अन्यथा स्पेसिफिकेशन का प्रावधान न हो।

118– साक्षी ने कथन कंडिका–79 में स्वीकार किया है कि सी.पी.डव्ल्यू. डी. स्पेसिफिकेशन–77 के पृष्ठ कं.–105 के क्लॉज–5.2.9.2 में यह प्रावधान है कि जहां भी सेंटरिंग,शटरिंग की हाईट एक फ्लोर में 3.5 मीटर से ज्यादा होगी उसे अलग से नापा जायेगा और अलग से ही भुगतान किया जायेगा । साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि स्ट्रेजिंग 3.5 मीटर से अधिक थी इसलिए यह एक्स्ट्रा आयटम थी ।

119– साक्षी ने कथन कंडिका–80 में यह स्वीकार किया है कि टेडर ड्राईग डी–1 लगायत डी–3 तथा आर्टिकल–ए– में शैल से संबंधित छतों से संबंधित आयटम नहीं है । साक्षी ने यह भी कहा है कि उसकी वर्किंग ड्राईग में

भी शैल का काम नहीं था । साक्षी ने प्रडी–11 की ड्राइंग में ए से ए स्थान को दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि यह शैल नहीं है बल्कि यह वाल्ट है। साक्षी ने कथन कंडिका–81 में बताया है कि इस प्रकरण में जिन्हें एक्स्ट्रा आयटम बताया गया है उन्हें वह देखा है तथा यदि वह आयटम उसे रेफर किये जाते और वह उन्हें कंसीडर एवं अनुमोदित करता तभी वह एक्स्ट्रा आयटम हो सकते थे।

120– साक्षी ने कथन कंडिका–82 में बताया है कि टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए के आयटम नं0–9 में सेटरिंग शटरिंग अथवा टॉपिंग का आयटम नहीं है। साक्षी के अनुसार जब प्रोजेक्ट इंजीनियर सरवटे द्वारा उसे बिल क्रं0 22 भेजा गया तब उसे एक्स्ट्रा आयटम के संबंध में पता चला । साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि रनिंग बिल का समयोजन फायनल बिल के समय किया जाता है ।

121– **संतोष कुमार खरे** (अ0सा08) का कहना है कि वह दिनांक 21.10.1992 को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ था। उसने इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की इनडोर म्यूजियम भवन का एन.आई.टी. डाक्यूमेंट एप्रूव किया था यह एन.आई.टी. आईटम रेट से मंजूर किया गया था, आईटम रेट टेंडर के अंतर्गत जो स्पेसिफिकेशन और निर्माण की सामग्री का विवरण उसमें रहता है और दरें ठेकेदार प्रस्तुत करता है आईटम रेट टेंडर में विवरण बहुत सही तरीके से दिया जाता है।

122– **श्यामलाल यादव** (अ0सा09) का कहना है कि वह जुलाई 1995 से फरवरी 1996 तक राजधानी परियोजना प्रशासन में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ था । इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के भवन का ठेका अभियुक्त डेटानी को दिया गया था इसलिए वह उन्हें पहचनाता है। अभियुक्त दिनेश नारायण

अग्रवाल उस समय राजधानी परियोजना में कार्यपालन यंत्री थे तथा अभियुक्त कृपलानी उस समय कार्यपालन यंत्री ग्वालियर संभाग कं0 01 लोक निर्माण विभाग में पदस्थ थे। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त डी.एन. अग्रवाल तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के द्वारा एक्स्ट्रा आईटम की स्वीकृति हेतु प्रपी0–24 का पत्र उसे भेजा गया था। प्रपी0–24 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर निर्माण संभाग कं01 द्वारा सुपरीटेंडेंट इंजीनियर राजधानी परियोजना प्रशासक को नान एस.ओ. आर/नान–एग्रीमेंट आईटम के संबंध में लिखा गया पत्र है, जिसके साथ सार्टिफिकेट (प्रपी0 25, प्रपी0 27, पी. 29, पी. 30–ए, पी. 31–ए, पी. 33 व पी. 35) व रेट एनालेसिस (प्रपी0 26, पी.027 पी. 28, पी. 30, पी.31) व एक्स्ट्रा आईटम प्रपी0–32 भी भेजे गये थे।

123– साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त प्रपी0–25 लगायत 35 तक के दस्तावेज उसके समक्ष नोटशीट प्रपी0–36 के अनुसार प्रस्तुत किये गये थे, उक्त नोटशीट में उसके द्वारा यह पूछा गया था कि प्रशासकीय स्वीकृति की क्या स्थिति है, तथा इनमें से कौनसे आईटम स्वीकृत प्राकलन में है उक्त नोटशीट पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

124– साक्षी का यह भी कथन है कि उसने एक्स्ट्रा आईटम के संबंध में कोई स्वीकृति नहीं दी थी । उसने अपनी पदस्थापना के दौरान मानव संग्रहालय भवन का टेंडर डाक्यूमेंट (आर्टिकल–ए) नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0–40 का पत्र जो सुपरीटेंडेट इंजीनियर द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजधानी परियोजना प्रशासन को इनडोर म्यूजियम निर्माण के संबंध में रेट स्वीकृति बाबत जारी किया है उक्त पत्र प्रपी0–40 पर ए से ए भाग पर अभियुक्त कृपलानी के हस्ताक्षर है। प्रपी0–41 जो सुपरीटेंडेट इंजीनियर द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजधानी परियोजना प्रशासन को इनडोर म्यूजियम निर्माण के संबंध में

नान–एस.ओ.आर./ नान–एग्रीमेंट आईटम के संबंध में जारी किया है उक्त पत्र प्रपी0–41 पर ए से ए भाग पर अभियुक्त ए.आर.जग्गी के हस्ताक्षर है ।

125– साक्षी का यह भी कथन है कि प्रपी0–42 की नोटशीट पर ए से ए भाग पर अभियुक्त जग्गी के हस्ताक्षर है। प्रपी0–43 का पत्र जो कि सुपरीटेंडेट इंजीनियर द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजधानी परियोजना प्रशासन को नान –एस.ओ.आर./नान–एग्रीमेंट आईटम के संबंध लिखा गया है जिस पर ए से ए भाग पर अभियुक्त जग्गी के हस्ताक्षर है। प्रपी0–44 की नोटशीट जो कि उक्त रेटस के कारण प्राकलन पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में है, उस पर ए से ए भाग पर अभियुक्त जग्गी के हस्ताक्षर है। प्रपी0–45 का पत्र जो कि सुपरीटेंडेट इंजीनियर द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजधानी परियोजना प्रशासन को नान–शेडयूल कार्य के संबंध में जारी किया गया है, इस पर ए से ए भाग पर अभियुक्त कृपलानी के हस्ताक्षर है।

126– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण कंडिका–04 में बताया है कि यदि सेंटरिंग की हाईट 3.5 मीटर से अधिक हो तो उंचाई के हिसाब से रेट बढकर आयेगा। साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि यदि सेंटरिंग 4.5 मीटर से अधिक हो तो रेट अधिक होगा। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यदि छत का स्पान 4.5 मीटर से ज्यादा हो जायेगा तो सेंटरिंग की बल्ली ज्यादा मोटी लगानी होगी इसलिए रेट बढ़ जायेगे।

129– साक्षी ने कथन की कंडिका–16 में बताया है कि सी.पी. डब्ल्यू.डी. के स्पेसिफिकेशन–77 एवं बी.आई.एस. है । साक्षी के अनुसार स्पेसिफिकेशन–77 के पृष्ठ क्रं0 102 के क्लॉज–5.2.2.3 में 4.5 मीटर के एक स्पान और 3.5 से अधिक के आरसीसी कार्य के लिए अलग डिजाइन करने का प्रावधान इसलिए है क्योंकि दोनों 4.5 मीटर स्पान और 3.5 मीटर से अधिक कार्य के लिए सेटरिंग

करने में लागत अधिक आती है इसलिए उनको अलग–अलग नापा जाता है और अलग–अलग भुगतान भी किया जाता है ।

130– साक्षी ने कथन की कंडिका–17 में बताया है कि ब्यूरो आफॅ इंडियन स्टेंडर्ड द्वारा प्रकाशित आई.एस.1200 पार्ट–51982 के हिसाब से क्लॉज–जी– के अनुसार सीधी छत एवं वैफेल स्लेब की छत को अलग–अलग माप करने का प्रावधान है। इसी प्रकार क्लॉज–**के**–के अनुसार वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार एवं गोलाई लिये हुए कालॅम के अलग–अलग उनके शेप के हिसाब से नापा जाता है तथा उसके लिए अलग से भुगतान का प्रावधान है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जितने भी आयटम उसकी स्वीकृति के लिए भेजे गये वे सभी एक्स्ट्रा आयटम थे परंतु साक्षी यह बता पाने में असमर्थ रहा है कि शेडयूल आफॅ रेटस में इस एक्स्ट्रा आयटम के रेट के लिए है या नहीं । साक्षी ने कथन कंडिका–18 में स्वीकार किया है कि रनिंग बिल का भुगतान अग्रिम भुगतान होता है तथा उसका अंतिम बिल में समायोजन होता है ।

131– **डी0 डी0 अग्रवाल** (अ0सा010) का कहना है कि वह फरवरी 1988 से अक्टूबर 1995 तक उप प्रशासक राजधानी परियोजना एवं पदेन उप सचिव आवास व पर्यावरण विभाग भोपाल के पद पर पदस्थ था। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के इनडोर म्यूजियम निर्माण हेतु टेंडर बुलाये गये थे ।

132– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने पत्र दिनांक 25.9.1993 (प्रपी0–47) के अनुसार इनडोर म्यूजियम भवन की निविदा का प्रकरण शासन की स्वीकृति हेतु भेजा था इस पर से उसके द्वारा संक्षेपिका (प्रपी0–48) तैयार की गई थी जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी0–48 इनडोर म्यूजियम भवन के निर्माण के संबंध में डिपाजिट वर्क,

प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति, निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा व पंजीयन समिति की बैठक, निविदा संबंधी समाचारपत्रों में प्रकाशन, प्राप्त निविदाओं पर विचार एवं तुलनात्मक विवरण, प्लिंन्थ एरिया रेटस, प्रमुख अभियंता की अनुशंसा, उच्च न्यायालय का स्थगन, स्थगन व याचिका खारिज संबंधी जानकारी, वैधता अवधि, वित्त व्यवस्था, तथा निर्णय के विचारार्थ बिंदुओं संबंधी विस्तृत संक्षेपिका है।

133— साक्षी का यह भी कहना है कि पत्र प्रपी0—47 के माध्यम से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा मे0 एम0 संस की निविदा राशि 5,41,97,542—30 न्यूनतम होने से शासन से स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई थी ।

134— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—49 मे0 एम0संस के पक्ष में स्वीकृति आदेश है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी0—49 उप सचिव आवास व पर्यावरण विभाग द्वारा अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना को लिखा गया पत्र है जिसमें मे0 एम0संस की निविदा राशि 5,41,97,542—30 न्यूनतम होने पर स्वीकृत किया गया है।

135— साक्षी का यह भी कहना है कि उसने राजधानी परियोजना प्रशासन और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के मध्य अनुबंध किये जाने के संबंध में पत्र प्रपी0—50 दिनेश नारायण अग्रवाल को लिखा था जिस पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

136— **नरेन्द्र कुमार जैन** (अ0सा011) का कहना है कि वह जुलाई 1993 से जुलाई 1994 तक राजधानी परियोजना में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ रहा था उस समय राजधानी परियोजना में दो कार्यपालन यंत्री एक अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल एवं दूसरे श्री सुदीप पदस्थ थे। इंदिरा गांधी

मानव संग्रहालय भवन निर्माण का कार्य राजधानी परियोजना को मिला था, इस संबंध में निविदाऐं आमंत्रित हुई थी निविदाऐं दिनेश नारायण अग्रवाल कार्यपालन यंत्री द्वारा मंगवाई गई थी। इसी साक्षी का यह भी कथन है कि अनुशंसा पत्र उस समय कार्यपालन यंत्री के पास आता था वह पूरा प्रकरण बनाकर अधीक्षण यंत्री के समक्ष भेजते थे ।

137— साक्षी का यह भी कथन है कि नस्ती क्र0 3 में संलग्न टेंडर के संबंध में अनुशंसा पत्र डी0 एन0 अग्रवाल द्वारा उसके समक्ष भेजा गया था जो प्रपी0—87 है जिस पर दिनेश नारायण अग्रवाल के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है तथा इस पत्र के साथ चैकलिस्ट प्रपी0—88 एवं स्क्रूटनी नोट प्रपी0—89 भी संलग्न है। प्रपी0—87 लगायत प्रपी0—89 प्राप्त होने पर उसके द्वारा स्वीकृति अनुशंसा सहित मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को भेजा था उक्त पत्र प्रपी0—90 है, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पत्र के साथ उसने प्रपी0—91 के अनुसार 13 दस्तावेज भी संलग्न प्रेषित किये थे। प्रपी0—90 के पत्र में कार्यालय अधीक्षण यंत्री द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को प्राप्त न्यूनतम निविदा राशि 5,41,97,520—30 रूपयें उचित होकर निम्नतम निविदा होने से स्वीकृति किये जाने की अनुशंसा की गई है।

138— साक्षी का यह भी कथन है कि उसने पत्र के साथ निविदाऐं भी भेजी थी जो नस्ती में संलग्न नहीं है, निविदाऐं 08 जिल्द में थी तथा आर्टिकल—ए—की निविदा उन आठ निविदा में से एक है। संलग्न चैक लिस्ट प्र0पी0—92 जिसमें पांच पृष्ठ है जिसके अंतिम पृष्ठ पर ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर दिनेश नारायण अग्रवाल के हस्ताक्षर है। स्क्रूटनी नोट प्रपी0—93 तीन पृष्ठ है जिसके अंतिम पृष्ठ पर ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर दिनेश नारायण अग्रवाल के हस्ताक्षर है।

139— इसी साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 25.9.1993 को प्रमुख अभियंता ने सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को टेडर से संबंधित पत्र लिखा था जो प्रपी0—94 है। प्रपी0—94 कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा सचिव, आवास व पर्यावरण विभाग को लिखा गया पत्र है जिसमें कार्यालय अधीक्षण यंत्री के प्रस्ताव से सहमत होते हुए मे0 एम0संस की निविदा राशि 5,41,97,542—30 न्यूनतम होने से स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

140— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कंडिका—06 में यह बताया है कि आर्टिकल—ए—की निविदा के कंडिका क्रं0—26 के अनुसार एग्रीमेंट के शेडयूल ऑफ आयटम में यदि कोई कार्य सम्मिलित नहीं है और उसे कराया जाना आवश्यक है तो उसके दर का निर्धारण एक्स्ट्रा आयटम के रूप में किया जा सकेगा तथा इसके लिए अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना सक्षम अधिकारी रहेगे। साक्षी ने कथन कंडिका—7 में यह भी बताया है कि आर्टिकल—ए—की निविदा में यह भी शर्त है कि अतिरिक्त कार्य का तत्कालीन शेडयूल ऑफ रेटस में कोई दर दी गई है तो उसके अनुसार ठेकेदार कार्य करेगा । साक्षी ने कथन कंडिका—8 में यह भी बताया है कि वास्तुविद जो डिजाइन बनाकर देता है उसके अनुसार कार्य होता है तथा नक्शे में जो दर्शाया गया है उसके अनुसार कार्य किया जाता है ।

141— **डी0एस0ताम्बे** (अ0सा012) का कहना है कि वह वर्ष 1996 से 2000 तक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ था, इस दौरान अपराध क्रं0 71/96 की विवेचना के दौरान दिनांक 25.2.1997 को 06, मालवीय नगर स्थित वस्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कंसल्टेंट प्रायवेट लिमिटेड के कार्यालय की तलाशी सर्च वारंट के आधार पर की थी तथा वहां से कागजात जप्त कर प्रपी0—95 का पंचनामा तैयार किया था

जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी0–95 के जप्ती पंचनामा अनुसार कुल 14 दस्तावेज जिनमें इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेज, रजिस्टर, जांच समिति रिपोर्ट की प्रति, डिस्पेच रजिस्टर,केशबुक आदि जप्त किये गये है।

142– **चिन्तामन काण्ड** (अ0सा007) का कहना है कि वह 1953 से 1988 तक महाराष्ट्र शासन और मध्यप्रदेश शासन में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर से चीफ इंजीनियर के पद तक पदस्थ रहा तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत कंसल्टेंटिंग का कार्य कर रहा है।

143– साक्षी का यह भी कथन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के इनडोर म्यूजियम के निर्माण के संबंध में एक्स्ट्रा आईटम की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी वर्ष 1996 में गठित की गई थी जिसमें वह सदस्य था तथा दूसरे सदस्य बी.एस.गुप्ता एवं जी.एस.पलनीतकर थे। समिति के समक्ष इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कॉन्ट्रेक्टर द्वारा दिये गये रनिंग बिल क्रं0–22 एवं कांट्रेक्ट एग्रीमेंट दिखाकर समिति से यह कमेंट मांगे गये थे कि रनिंग बिल क्रं.–22 में जो एक्स्ट्रा आईटम दर्शाये गये है उनकी दरें कांन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट के अनुसार उचित है या नहीं।

144– साक्षी का यह भी कथन है कि उन्हें आर्टिकल–ए–का टेंडर डाक्यूमेंट तथा प्रपी0–55 का रनिंग बिल क्रं0–22 दिखाया गया था। समिति द्वारा उक्त दोनो का परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट प्रपी0–4 प्रस्तुत की गई थी जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कथन है कि समिति को एक्स्ट्रा आईटम क्रमांक 4, 5, 12, 13, 14,15,16 व 17 के संबंध में ही टिप्पणी देने के लिए कहा गया था। समिति द्वारा प्रत्येक आईटम का परीक्षण कर अपनी टीप दी थी ।

145— साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम क्रं0—4 जो कि स्टार टाइप पिलर से संबंधित था का रेट 35 रूपयें प्रति स्कवायर मीटर जो आर्टिकल—ए में दिया था प्रपी0—55 के बिल में इसी कार्य के लिए 414 रूपयें प्रति स्कवायर मीटर रेट दिया गया था समिति ने इसे उचित नहीं माना था । इस कार्य को एक्स्ट्रा आईटम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस कार्य का रेट टेंडर डाक्यूमेंट में दिया हुआ था ।

146— साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने रनिंग बिल क्रं0 22 का एक्स्ट्रा आईटम क्रं0—5 जो कि वेफिल स्लेब का था टेंडर में इसकी दर 125 रूपयें प्रति स्कवायर मीटर थी जबकि रनिंग बिल में 450 प्रति स्कवायर मीटर दर्शाई गई है इस कार्य को भी एक्स्ट्रा आईटम नहीं माना गया था ।

147— साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम क्रं0— 8 जो कि कोटा स्टोन फलोरिंग विथ टेरेजोस्टिक कार्य का था की दर टेंडर डाक्यूमेंट में 128 रूपयें कोटा स्टोन निर्धारित थी समिति द्वारा इस कार्य को एक्स्ट्रा आईटम माना और इसके लिए 2.10 रूपयें प्रति स्कवायर मीटर रेट से अधिक निर्धारित किया। टेरोजिस्टक का कार्य टेंडर में नहीं था और यह कार्य हाथ से करना पडता है इसलिए समिति द्वारा इस कार्य का 2.10 रूपयें स्कवायर मीटर रेट बढाकर निर्धारित किया गया था ।

148— साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम क्रं0 10 जो कि 6 एम.एम.प्लास्तर ओव्हर आरसीसी वर्क आर्टिकल—ए टेंडर में इसका रेट 17 रू0 प्रतिवर्ग मीटर दिया गया था जबकि प्रपी0—55 के रनिंग बिल में 113 रूपयें प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया गया है समिति ने बढ़ी हुई दर को उचित नहीं माना था क्योकि टेंडर डाक्यूमेंट में दर पूर्व से निर्धारित थी ।

149— साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम क्रं0—12 जो कि सेंटरिग ओर शटरिंग फार वाल्ट स्लेब डोम के कार्य के लिए टेंडर में 200 रूपयें प्रति वर्ग मीटर का रेट था जबकि रनिग बिल प्रपी0—55 में इस कार्य का 981 रूपयें प्रति वर्ग मीटर रेट दिया गया जिसे समिति ने उचित नहीं माना था ।

150— साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम क्रं0 13 जो कि एम. 25 कांक्रीट का है इसकी दर टेंडर डाक्यूमेंट में 1800 रूपयें प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित थी जबकि प्रपी0—55 में इसकी दर 2024 रूपयें प्रति क्यूबिक मीटर लेख की गई थी ।

151— साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम क्रं0—14 जो कि सेंटरिंग एवं फार्म वर्क फार टीयर स्लेब, टीयर बालकनीज, टीयर वीम की दर टेंडर में 125 रूपयें प्रति वर्ग मीटर बाटम के लिए तथा 35 रूपयें प्रति वर्ग मीटर साइट के लिए निर्धारित थी जबकि रनिंग बिल क्रमांक—22 (प्रपी0—55) में इस कार्य के लिए 299 प्रति वर्ग मीटर रेट दिया गया।

152— साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम क्रं0—15 जो कि कालम्स स्लब डोम 3.5 से 7.2 मीटर तक का टेंडर डाक्यूमेंट में इसकी दर 263 रूपयें प्रति वर्ग मीटर निर्धारित थी और टेंडर डाक्यूमेंट के आईटम नं0 9—ए,बी,सी,डी,व ई में यह कार्य शामिल था, इसलिए अलग से दरें देने की जरूरत नहीं थी जबकि प्रपी0—55 के बिल में 3.5 मीटर हाईट तक तो टेंडर अनुसार दर निर्धारित की गई परंतु 3.5 से 7.2 मीटर तक की हाईट के लिए 263 रूपयें प्रति वर्ग मीटर की दर दी गई जो अधिक दी गई है ।

153– साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम कं0–16 जो कि फार्म एण्ड सेंटरिंग, शटरिंग फार हाईट आफ 6.5 मीटर के लिए जो एग्रीमेंट था उसके लिए 200 रूपयें प्रतिवर्ग मीटर दर निर्धारित थी परंतु प्रपी0–55 में इस कार्य की दर 1282 रूपयें प्रति वर्ग मीटर और बाहर के लिए 1161 रूपयें प्रति वर्गमीटर दी गई थी ।

154– साक्षी का यह भी कथन है कि समिति ने एक्स्ट्रा आईटम कं0–17 जो कि जो आरसीसी डोम 9.62 मीटर स्पेस उसके लिए सेटरिंग व शटरिंग का कार्य था के लिए भी अनुबंध अनुसार 200 रूपयें प्रतिवर्ग मीटर दर निर्धारित थी जो समिति अनुसार पर्याप्त थी परंतु प्रपी0–55 के 22 वें रनिंग बिल में इस कार्य की दर अंदर के लिए 1282 और बाहर के लिए 1161 रूपयें दी गई थी ।

155– साक्षी का यह भी कथन है कि समिति द्वारा बिल में सिर्फ टेरेजोस्टिप का कार्य एक्स्ट्रा आईटम पाया था जिसके लिए 2.10 प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की गई थी और कोई कार्य एक्स्ट्रा आईटम नहीं माना था और जो दर प्रपी0–55 के रनिंग बिल अनुसार मांगी गई थी वह समिति के अनुसार उचित नहीं थी तथा एग्रीमेंट अनुसार ही दिया जाना था। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कवरिंग लेटर प्रपी0–23 के साथ डा0 के.के.चकवर्ती डायरेक्टर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को भेजी गई थी प्रपी0–23 के ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर श्री बी.एस.गुप्ता के तथा सी से सी भाग पर श्री परनीतकर के हस्ताक्षर है। समिति की रिपोर्ट प्रपी0–4 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर बी से बी भाग पर श्री बी.एस.गुप्ता के तथा सी से सी भाग पर श्री परनीतकर के हस्ताक्षर है ।

156– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण कंडिका–16 में यह बताया है कि समिति ने जो रिपोर्ट प्रपी0–4 दिया है वह टेंडर डाक्यूमेंट तथा बिल कमांक 22 के आधार

पर दिया है । साक्षी ने कथन कंडिका–20 में यह भी बताया है कि समिति ने प्रतिवेदन देने के लिए रनिंग बिल क्रं.–22 और टेंडर डाक्यूमेंट के अलावा पी. डब्ल्यूडी के मेनुअल को विचार में लिया था । साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि 3.5 मीटर से अधिक की उंचाई का निर्माण एक्स्ट्रा आयटम में आयेगा । साक्षी ने कथन कंडिका–24 में बताया है कि इस अनुबंध में सी.पी. डब्ल्यू.डी.स्पेसिफिकेशन–77 लागू था तथा उसने मत देने के पूर्व उक्त स्पेसिफिकेशन को इसलिए नहीं देखा था क्योंकि टेंडर डाक्यूमेंट के साथ शेडयूल ऑफ आयटम एवं स्कोप ऑफ आयटम दिया था। साक्षी के अनुसार समिति ने 10 आयटम के संबंध में अपना मत दिया था । साक्षी ने कथन कंडिका–25 में इस तथ्य को गलत बताया है कि यदि आर्किटेक्ट के द्वारा अनुबंध में दिये हुए आयटम की ड्रांईग एवं डिजाइन चेंज नहीं की गई है तो एक्स्ट्रा आयटम हो सकता है।

157– साक्षी ने कथन कंडिका–29 में इस तथ्य को गलत बताया है कि एस.ओ.आर. सामान्य किस्म के आयटम्स के लिए होते है। साक्षी ने इस तथ्य को भी गलत बताया है कि सभी टेंडर डाक्यूमेंट में एक्स्ट्रा वर्क की परिभाषा अलग–अलग रहती है । साक्षी ने यह भी कहा है कि यदि किसी कॉन्ट्रेक्ट में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा तथा उसका उल्लेख कॉन्ट्रेक्ट में नहीं है और जिसका स्कोप आफ वर्क्स में उल्लेख नहीं है वह एक्स्ट्रा आयटम रहता है तथा सभी कॉन्ट्रेक्ट के लिए एक्स्ट्रा आयटम की यही परिभाषा रहती है ।

158– साक्षी ने कथन कंडिका–30 में बताया है कि आयटम रेट कॉन्ट्रेक्ट तथा लमसम रेटस कॉन्ट्रेक्ट में यह अंतर होता है कि आयटम रेट कांन्ट्रेक्ट में कार्य की मात्रा तथा उनके रेट स्पष्ट दिये होते है जबकि लमसम कॉन्ट्रेक्ट में कुल कार्य का एवं उसका जो व्यय राशि है उसका उल्लेख होता है। उसमें

आयटम की मात्रा तथा उसका रेट निर्धारित नहीं होता है।

159— **वसंत रामचंद्र सरवटे (अ0सा005)** का कहना है कि सितम्बर 1996 से 2000 तक चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट के पद पर पदस्थ था उस समय इनडोर म्यूजियम फेस—1 का कार्य ठेके पर चालू था । इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय द्वारा कार्य की स्वीकृति राजधानी परियोजना को दी गई थी तथा राजधानी परियोजना ने निर्माण कार्य हेतु टेंडर आमंत्रित कर यह कार्य मे0 एम0 संस कन्स्ट्रक्शंस कंपनी को दिया था । इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के वास्तुविद श्री राम शर्मा थे जिन्हें केन्द्रीय समिति की सदस्य पिपुल जेकर ने कार्य सौंपा था । श्री राम शर्मा ने इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की विस्तृत ड्राईंग बनाई थी जो 22000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में थी बाद में 10000 वर्ग मीटर समिति ने निर्माण के लिए निर्धारित किया था ।

160— साक्षी ने यह भी बताया है कि निर्माण की ड्राईंग वर्ष 1992 में तैयार हो गई थी जिसे वर्ष 1992 में राजधानी परियोजना को दे दी गई थी। श्री राम शर्मा द्वारा निर्माण हेतु प्राकलन प्रस्तुत किया गया था जो दिल्ली रेट पर आधारित था। राजधानी परियोजना द्वारा भी प्राकलन तैयार किया गया था वह साढे सात करोड़ रूपयें का था जबकि राम शर्मा का प्राकलन सात करोड़ बीस लाख रूपयें का था ।

161— साक्षी ने यह भी बताया है कि राजधानी परियोजना के रेट सी.एस. आर. पर आधारित थे जिसमें एक करोड़ रूपयें एयर कंडीशनिंग के लिए तथा चालीस लाख रूपयें म्यूरलस के लिए था, इस राशि को घटाने के बाद शेष राशि के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे। साक्षी ने यह भी बताया है कि जिस समय ड्राईंग बनी व इस्टीमेट प्रस्तुत किये गये उस समय श्री अमर कार्यपालन यंत्री एवं श्री कौशिक असिस्टेंट इंजीनियर थे। जो रेटस श्री राम शर्मा के

प्राकलन में थे और राजधानी परियोजना के प्राकलन में नहीं थे उसके लिए प्राकलन का पार्ट भी राजधानी परियोजना द्वारा तैयार किया गया था जिसमें सभी एक्स्ट्रा आईटम को भी जोडा गया था।

162– साक्षी ने यह भी बताया है कि राजधानी परियोजना ने प्राकलन अगस्त 1992 में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को भेजा था । वास्तुविद द्वारा जो प्राकलन भेजा गया था उसमें एक्स्ट्रा आईटम के लिए राशि साढ़े चार लाख रूपयें हो सकती है तथा वास्तुविद ने जो एक्स्ट्रा आईटम बताये थे उसके लिए राजधानी परियोजना को पत्र भेजा गया था ।

163– साक्षी ने यह भी बताया है कि उस समय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के कार्यकारी निदेशक श्री विकास भटट् थे, उनके द्वारा राजधानी परियोजना को निर्माण के लिए कंसल्टेंसी सुपरविजन का कार्य दिया गया था जिसके अंतर्गत निर्माण कार्य का मेजरमेंट करना, उसकी गुणवत्ता व अन्य कार्य शामिल था । इस कार्य के लिए राजधानी परियोजना को 06 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज दिया गया था ।

164– साक्षी ने यह भी बताया है कि राजधानी परियोजना निर्माण की प्रोग्रेस रिपोर्ट मासिक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को भेजता था और उसके आधार पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय राजधानी परियोजना प्रशासन के पक्ष में तुलनात्मक राशि रिलीज करता था । इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय और राजधानी परियोजना की मीटिंग फरवरी 1996 में हुई, जिसमें पूछा गया कि भुगतान पूरा हो चुका है परंतु निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ है ? इस पर राजधानी परियोजना के सुपरीटेंडेंट इंजीनियर ने कहा कि कुछ और रूपयें लगेगें उन्होंने करीब चार करोड़ रूपयें और अधिक लगना बताया था।

165— साक्षी ने यह भी बताया है कि मीटिंग में श्री चक्रवर्ती, श्री यादव, श्री दिनेश नारायण अग्रवाल, श्री राम शर्मा, दयाल डेटानी, विकास भटट् आदि शामिल थे। साक्षी ने यह भी बताया है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के इनडोर म्यूजियम के निर्माण के टेंडर के लिए जो एग्रीमेंट तैयार हुआ था उसकी स्टडी उसने की थी यह टेंडर आयटम रेट टेंडर था, आयटम रेट टेंडर के रेट बाद में परिवर्तित नहीं हो सकते है। आर्टिकल—ए के पृष्ठ 13 लगायत 140 तक आयटम, क्वालिटी दिये गये है तथा उस पर रेट ठेकेदार द्वारा हाथ से लिखे गये है इसके प्रत्येक पृष्ठ पर कांट्रेक्टर व एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के हस्ताक्षर है ।

166— साक्षी ने यह भी बताया है कि पृष्ठ क्र0 141 लगायत 160 पर टेंडर की कंडीशन लिखी है तथा प्रपी0—5 पर 12 वीं कंडीशन का उल्लेख है। साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 3—9—94 को मीटिंग हुई थी जिसमें अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री तथा इंदिरा गांधी संग्रहालय के डायरेक्टर और वह उपस्थित था जिसमें राजधानी परियोजना से कहा गया था कि वह सब पैसा दे चुके है काम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है ? इस पर उन्होनें कहा था कि कुछ आयटम में ज्यादा पैसा लग रहा है तब हमने कहा था कि आपने बिल नहीं भेजे है बिल भेजिये। इस मीटिंग के मिनिटिस जो नस्ती क्र0—8 ''आर्टिकल—बी'' है, जिसके पृष्ठ क्र0—8 में मिनिटस प्रपी0—51 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

167— साक्षी ने यह भी बताया है कि मीटिंग के बाद बिल क्र0—17, 18 व 20 जो प्रपी0—52 लगायत प्र0पी0—54 है, एक साथ उनके कार्यालय को भेजे गये थे, उसने प्रपी0—54 का बिल देखा था जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी थी जबकि ड्राइंग में देखा तो वे एक्स्ट्रा चीज पहले से ही विद्यमान थी साथ ही एग्रीमेंट में भी थी।

168— साक्षी ने यह भी बताया है कि 20 वां बिल मिलने के बाद 22 वां व 23 वां रनिंग बिल राजधानी परियोजना प्रशासन से प्राप्त हुआ था। जिसमें 22 वां रनिंग बिल प्रपी0—55 तथा 23 वां रनिंग बिल प्रपी0—56 है। एग्रीमेंट और ड्रांईग से तुलना कर उसके द्वारा स्क्रूटनी रिपोर्ट प्रपी0—57 बनाई गई थी जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। स्क्रूटनी करने के पश्चात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा 1.42 करोड़ रूपयें ज्यादा भुगतान संविदाकार को किया जाना पाया गया था।

169— साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0—58 का पत्र दिनांक 6—9—94 को श्री एस.पी.सिंह सुपरीटेंडेंट इंजीनियर राजधानी परियोजना को लिखा गया था, पत्र के साथ दिनांक 3—9—94 की मीटिंग के मिनिट्स प्रपी0—51 भी भेजा गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्किटेक्ट श्री राम शर्मा द्वारा भेजा गया फैक्स प्रपी0—59 उसे प्राप्त हुआ था जिसे के0के0चक्रवर्ती, डायरेक्टर द्वारा प्रपी0—59 के दस्तावेज को उसे मार्क करते हुए भेजा गया था। प्रपी0—59 के पत्र में मानव संग्रहालय के निर्माण कार्य की त्रुटियों को रेखांकित किया गया है तथा उक्त रेखांकित त्रुटियों के संबंध में अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा प्रपी0—60 का पत्र डायरेक्टर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को भेजा गया था जो मार्क होकर उसे प्राप्त हुआ था। प्रपी0—60 के पत्र के माध्यम से प्रपी0—59 में बताई गई त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है।

170— साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0 61 का पत्र दिनांक 20.1.95 का उसके द्वारा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजधानी परियोजना को भेजा गया है। प्रपी0—61 का पत्र कार्यपालन यंत्री निर्माण राजधानी परियोजना प्रशासक को साक्षी द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि आपके द्वारा जो औचित्यता अपने पत्र दिनांक 04—01—1995 (प्रपी0—60) में बताया है उसे

वास्तुविद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा उसके द्वारा जो पत्र दिनांक 28.12.1994 (प्रपी0–59) भेजा गया है वह उसी पर कायम है। प्रपी0–62 का पत्र दिनांक 29.2.1996 को उसके द्वारा कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल को लिखा गया है। प्रपी0–62 का पत्र डिटेल इस्टीमेट प्रस्तुत किये जाने के संबंध में है।

171– साक्षी ने यह भी बताया है कि पत्र प्रपी0–63 दिनांक 21.3.1996 को ए.आर.जग्गी द्वारा भेजा गया है जो वास्तुविद को कार्यपालन यंत्री के साथ समन्वय कर कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन तैयार कर सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यवाही करने के संबंध में लिखा गया है। जिसकी प्रति साक्षी वी.आर.सरवटे को भी दी गई है। प्रपी0–64 का पत्र दिनांक 11.3.1996 को साक्षी द्वारा श्री जग्गी को लिखा गया था । प्रपी0–64 के माध्यम से साक्षी ने दिनांक 6.3.1996 की मीटिंग के दौरान जो भवन के निर्माण में बढी हुई लागतों का कारण बताया गया था उसके संबंध में मंजूर दर से अधिक दर कुछ आयटमों में बताया गया था, जिसके संबंध में आयटम रेट, टेंडर में पूर्व से रखे गये थे तथा भवन समिति की बैठक दिनांक 23.3.1996 को निश्चित होना सूचित करते हुए मीटिंग में उपस्थित होने तथा हमारे तर्को को मीटिंग में रखे तथा 14.3.1996 तक अपनी टीप भेजने हेतु कहा गया था जिससे पुनरीक्षित प्राकलन भवन निर्माण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जा सके। साक्षी ने यह भी बताया है कि उक्त पत्र के साथ जो अधिक भुगतान किया गया था उसका स्टेटमेंट प्रपी0–65 भी भेजा गया था।

172– साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0–66 का पत्र श्री राम शर्मा वास्तुविद को दिनांक 01.03.96 को लिखा गया है। प्रपी0–66 के पत्र के द्वारा दिनांक 14.2.96 को हुई मीटिंग के मिनिटस् प्रगति के निर्धारण एवं निर्माण कार्य

में आये खर्चे जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है भेजते हुए वास्तुविद से सुझाव एवं टीप यदि कोई हो, चाही गई है। उक्त पत्र के साथ मीटिंग के मिनिटस प्रपी0–67 भी भेजा गया है। प्रपी0–68 का आदेश दिनांक 31.01.96 जो 4.48 लाख रूपयें के संबंध में है। **प्रपी0 69** का पत्र दिनांक 21.03.96 का उसके द्वारा श्री जग्गी को लिखा गया है। प्रपी0–69 के पत्र के माध्यम से पुनरीक्षित प्राकलन अबिलंब (दिनांक 22.3.96 तक) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। प्रपी0–70 का पत्र दिनांक 21.03.96 का इंजीनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग को लिखा गया है । पत्र में दिनांक 29.12.95 के बाद कोई बिल प्रस्तुत न करने एवं भुगतान की गणना के संबंध में लेख है।

173— साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0–71का पत्र दिनांक 20.3.1996 को श्री राम शर्मा वास्तुविद के द्वारा डाक से अतिरिक्त आयटम के संबंध में फैक्स कनफरमेशन संबंधी पत्र है तथा प्रपी0–72 का पत्र दिनांक 26.02.1996 को श्री राम शर्मा वास्तुविद द्वारा उसे भेजा गया है । साक्षी ने यह भी बताया है कि अधिक भुगतान के संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें बी.एस.गुप्ता, जी.एस.पलनीतकर, तथा सी.व्ही.कांड सदस्य थे इस कमेटी द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रपी0–4 प्रस्तुत की गई है।

174— साक्षी ने यह भी बताया है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय व राजधानी परियोजना के बीच एग्रीमेंट के संबंध में पत्राचार हुआ था दिनांक 18.6.1992 का पत्र प्रपी0–73 प्रभारी निदेशक विकास भटट् द्वारा राजधानी परियोजना को लिखा गया है।जिसके उत्तर में दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा विकास भटट् को भेजा गया पत्र प्रपी0–74 है। प्रपी0–75 के पत्र के साथ एकांउट आफिसर श्री नायर द्वारा राजधानी परियोजना के कार्यपालन यंत्री को ड्राफ्ट एग्रीमेंट प्रपी0–76 भेजा गया है। प्रपी0–50 का पत्र डी0 डी0 अग्रवाल

उपसचिव द्वारा दिनेश नारायण अग्रवाल राजधानी परियोजना को भेजा गया है इसकी प्रति इंदिरा गांधी संग्रहालय को भेजी गई है। प्रपी0–77 का पत्र एस.के. त्यागी लेखाअधिकारी द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना को एग्रीमेंट के संबंध में प्रेषित किया गया है तथा इसी साक्षी के द्वारा एग्रीमेंट के संबंध में ही प्रपी0–78 एवं प्रपी0–79 के पत्र कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना को भेजे गये है। जिसके उत्तर में कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना भोपाल आरोपी दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा निदेशक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को प्रपी0–81 का पत्र प्रेषित किया गया है ।

175– साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने दिनांक 29.8.1995 को प्रपी0–82 का पत्र प्रमुख सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को लिखा है जिसकी प्रति राजधानी परियोजना को दी गई है। प्रपी0–82 के अनुसार साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा बिना एग्रीमेंट के अग्रिम भुगतान किये जाने को अनौचित्यपूर्ण होना बताया गया है जिस कारण हस्तक्षेप करते हुए संबंधित विभाग को यथाशीघ्र मामला निपटाने हेतु निर्देश दिये जाने का आग्रह किया गया है । इसी पत्र के निरंतरित कम में साक्षी द्वारा प्रपी0–83 का पत्र दिनांक 01.11.1995 को प्रमुख सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को प्रेषित किया गया है। प्रपी0–84 का पत्र दिनांक 29.12.1995 को अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना द्वारा कार्यपालन यंत्री को लिखा गया है पत्र में संशोधित करारनामा का प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। प्रपी0–84 के पत्र का जबाब प्रपी0–85 दिनांक 05.12.1995 को अधीक्षण यंत्री को दिया गया है।

176– साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0–86 का पत्र उप सचिव आवास व पर्यावरण विभाग द्वारा अधीक्षण यंत्री को लिखा गया है जिसमें अनुबंध

के प्रारूप के पैरा–4 पृष्ठ–4 राजधानी परियोजना प्रशासन को मानव संग्रहालय द्वारा किये जाने वाले भुगतान से संबंधित है, पर कुछ शर्तो के अधीन सहमति प्रदान की गई है परंतु उक्त अनुसार एग्रीमेंट नहीं हो पाया था ।

177– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–26 में बताया है कि आर्किटेक्ट श्री राम शर्मा थे जिनकी जिम्मेदारी थी वह बतायेगे कि क्या एक्स्ट्रा आयटम होगे। श्री शर्मा की यह भी जबाबदारी थी कि एक्स्ट्रा आयटम का जो कार्य था उसका भुगतान किस रेट से होगा और कितना होगा। साक्षी ने कथन कंडिका–33 में बताया है कि सी.पी.ए.के कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल ने जो पांच लोगो की एक्स्ट्रा आयटम के संबंध में कमेटी बनाई गई थी उसकी सूचना उसे नहीं दी गई थी और न ही उसे इसके संबंध में कुछ मालुम है। साक्षी के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट प्रडी–12 गलत तथ्यों पर आधारित थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि रिपोर्ट प्रडी–12 में यह बताया गया था कि एग्रीमेंट हुआ है जबकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था । साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–4 की रिपोर्ट जिन पांच लोगो ने दिया था उनमें से एस0 के0 श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता पी.डव्ल्यू.डी., पी.के. रहटकर सेवानिवृत्त मुख्य वास्तुविद एमपी.पी.डव्ल्यू.डी, आर.के.खरे, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर एम.पी. पी.एच.ई.डी. तथा जी.डी.राव व नवीन चंद्र सदस्य थे। साक्षी ने यह भी बताया है कि आर0 के0 श्रीवास्तव चीफ इंजीनियर के सहायक थे श्री खरे एवं राहटकर को कोई अनुभव नहीं था जबकि राव रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़े गये थे तथा नवीन चंद्र बी.आर्च. थे तथा उन्हें कोई अनुभव नहीं था ।

178– साक्षी ने कथन की कंडिका–36 में बताया है कि सी0पी0ए0 के लिए जो भुगतान जारी होता था वह सी0पी0ए0 द्वारा कार्य की जानकारी भेजे जाने के बाद वह कितना पैसा मांगते थे उन्हें तब पैसा दिया जाता था। साक्षी

के अनुसार पैसे की डिमांड में जो डाक्यूमेंट भेजे जाते थे उस पर कितने पैसे जारी किये जाना है यह वह लिखता था। परंतु किस आयटम में कितना पेमेंट हुआ है वह यह नहीं देखता था। साक्षी ने कथन कंडिका–37 में यह भी बताया है कि पूरे कार्य में कुछ स्पेशल कंडीशन लागू थी जो सी.पी.डव्ल्यू.डी.के स्पेसिफिकेशन को प्रिवेल करती थी। साक्षी के अनुसार टेंडर डाक्यूमेंट में छत की उंचाई, लंबाई, चौड़ाई के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया था तथा इस पर स्पेसिफिकेशन–77 लागू न होकर स्पेशल कंडीशन लागू थी ।

179– साक्षी ने कथन कंडिका–40 में बताया है कि दिनांक 23.11.1995 को 40.00 लाख रूपयें एवं दिनांक 24.12.1995 को 65.00 लाख रूपयें का भुगतान हुआ था। साक्षी के अनुसार किस आयटम का कितना भुगतान हुआ था वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि उक्त भुगतान कमशः 17 वें एवं 18 वें बिल के थे। साक्षी के अनुसार उक्त भुगतान एडवांस भुगतान था। साक्षी ने कथन कंडिका–41 में इस तथ्य को गलत बताया है कि 17 वें एवं 18 वें बिल में एक्स्ट्रा आयटम का समावेश था । साक्षी ने इस तथ्य को गलत बताया है कि एक्स्ट्रा आयटम स्पेसिफिकेशन–77 के अंतर्गत थे। साक्षी के अनुसार स्पेसिफिकेशन– 77 नार्मल कंडीशन के संबंध में था।

180– **मोहकम सिंह नैन** (अ0सा014) का कहना है कि वह दिनांक 31.08.1996 को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ था । राजधानी परियोजना प्रशासन के विरूद्व प्राप्त सूत्र सूचनापत्र के आधार पर विशेष पुलिस स्थापना मुख्यालय भोपाल में प्राथमिक जांच का पंजीयन किया था। प्राथमिक जांच से प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर उसने दिनांक 31.8.1996 को अपराध कं0 71/96 अंतर्गत धारा 13 (1) (डी), धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 व भा0दं0वि0 की धारा 420 एवं

120–बी के अंतर्गत अभियुक्त डी0 एन0 अग्रवाल तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना, तथा राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्य अधिकारीगण तथा निर्माण कार्य के ठेकेदार दयाल डेटानी के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया था।

181– साक्षी का यह भी कहना है कि जांच के दौरान एकत्र किये गये रिकार्ड व साक्षीगण के कथन से पाया गया था कि भारत सरकार के तत्वधान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नामक स्वशासी संस्थान जो भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था है, भोपाल में स्थित है, उसके द्वारा म्यूजियम भवन का निर्माण किया जाना था और इस कार्य हेतु संस्था ने दिल्ली स्थित श्री राम शर्मा एण्ड एसोसियेट के साथ अनुबंध किया था जिनके द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया था और सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया गया था कि मात्र दस हजार वर्गमीटर पर निर्माण कार्य किया जाये।

182– साक्षी का यह भी कहना है कि राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल की सहमति से निक्षेप कार्य के रूप में डिपाजिट वर्क म्यूजियम भवन फेस–1 के निर्माण कार्य का दायित्व उन्हें सौंपा गया था । वास्तुविद द्वारा तैयार की गई ड्राईंग व डिजाइन एवं वास्तुविद से परामर्श कर राजधानी परियोजना के अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्राकलन तैयार किया गया था जिस पर संस्था की कार्यकारिणी समिति द्वारा 7.5 करोड रूपयें के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। इस विस्तृत प्राकलन में से वातानुकुलन, हटिंग व मूरल्स कार्य को छोड़कर शेष करीब 6.00 करोड रूपयें के निर्माण के प्राकलन के आधार पर राजधानी परियोजना ने आईटम रेट पर निविदाऐं आमंत्रित की थी ।

183– साक्षी का यह भी कहना है कि निविदा में सामान्य शर्त के अतिरिक्त विशेष शर्तो का भी समावेश किया गया था । विशेष शर्त क्रं.–3 के

अनुसार ठेकेदार द्वारा निविदा में कोड की गई दरें फिनिश्ड आईटम के लिए थी तथा इनमें समस्त लीडस एवं लिफ्ट, स्केफोल्डिंग, स्टेजिंग शामिल थे। विशेष शर्त क्रं.–6 के अनुसार ठेकेदार द्वारा टेंडर भरने के पूर्व यह माना जावेगा कि उसके द्वारा निविदा में दरे कोड करने के पूर्व समस्त ड्राईंग का स्टेंडर्ड का तथा स्पेसिफिकेशन का परीक्षण कर लिया गया है तथा विशेष शर्त क्रं.–12 के अनुसार यह माना जावेगा कि ठेकेदार वास्तुविद् की ड्रांईग डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य करने के लिए बाध्य है।

184– साक्षी का यह भी कहना है कि निविदा की विशेष शर्त क्रं.–2.6 के अनुसार जो आईटम रेट टेंडर में नहीं दिये गये है और कार्य के दौरान कराये जाते है उनकी दरें अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा निर्धारित की जावेगी जो ठेकेदार के लिए बंधनकारी होगे लेकिन इस प्रकार के कार्य की मात्रा अनुबंध के 10 प्रतिशत कार्य से अधिक होने पर ठेकेदार तथा विभाग के मध्य सहमति पर ही कार्य किया जा सकेगा। ये समस्त आईटम जिनका कार्य कराया जाना था अनुबंध के एनेक्चर ''शेडयूल आफ आइटम'' में दिये गये है तथा इन आईटम की मात्रा आईटम के सामने दर्शाई गई है।

185– साक्षी का यह भी कहना है कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा यह कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में किया जा रहा था। साक्षी के अनुसार इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय एवं राजधानी परियोजना के मध्य इनडोर म्यूजियम के निर्माण कार्य के संबंध में कोई अनुबंध नहीं हुआ था। साक्षी का यह भी कहना है कि मानव संग्रहालय द्वारा एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार कर राजधानी परियोजना प्रशासन को भेजा गया था जिसमें विवाद की स्थिति में मध्यस्थता बाबत थर्ड पार्टी का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था लेकिन राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा अपने प्रस्ताव में मध्यस्थता की स्थिति में राज्य शासन की ओर से

अकेला एवं अंतिम मध्यस्थ प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन को बनाने का प्रस्ताव किया गया था परंतु स्वतंत्र मध्यस्थ न होने से मानव संग्रहालय इस पर सहमत नहीं हुआ था ।

186— साक्षी का यह भी कहना है कि इस निर्माण कार्य के लिए कुल 08 ठेकेदारों ने निविदा प्रस्तुत की थी, जिनमें से मेसर्स एम0 संस जिसके प्रोपराइटर आरोपी डी0 एम0 डेटानी है, की निविदा न्यूनतम पाई गई थी जो राशि 5,41,57,520.30/—रू0 की थी। उक्त निविदा म0प्र0शासन आवास व पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 20.01.1994 को स्वीकृत की गई थी जिसके अनुसरण में कार्यपालन यंत्री निर्माण संभाग क्रं0—1 तथा ठेकेदार मे0 एम0 संस के मध्य अनुबंध निष्पादित हुआ था। उक्त अनुबंध के अनुसार तीस माह में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था माह अप्रेल 1994 में ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।

187— साक्षी का यह भी कहना है कि वास्तुविद द्वारा समय—समय पर डिटेल्ड वर्किंग ड्राईंग उपलब्ध कराई गई जिनके अनुसार कार्य निष्पादित किया जाता रहा, निर्माण कार्य के अनुबंध की संपूर्ण राशि संग्रहालय द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को एक साथ नहीं दी गई । राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा संग्रहालय को प्रतिमाह निर्माण कार्य में हुए व्यय व प्रगति की संक्षिप्त जानकारी दी जाती रही, परंतु इस प्रतिवेदन में किस आईटम में किस रेट से तथा उस आईटम की कुल कितनी मात्रा के लिए कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया का विवरण नहीं रहता था। इस पर संग्रहालय द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को रनिंग बिल उपलब्ध कराने हेतु बार—बार पत्र लिखे गये थे।

188– साक्षी का यह भी कहना है कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्व ारा दिनांक 13.10.1996 को प्रथम बार रनिंग बिल क्रमांक–17 भेजा गया। दिनांक 14.2.1996 को संग्रहालय में मीटिंग के दौरान राजधानी परियोजना प्रशासन के अधीक्षण यंत्री ने बताया था कि परियोजना की लागत बढ़कर करीब दस करोड़ हो जावेगी तथा यह वृद्वि आईटम की मात्रा में परिवर्तन, कीमतों में बढ़ोत्तरी तथा वास्तुशिल्प तथा अन्य संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होगी। इस पर निदेशक संग्रहालय ने अधीक्षण यंत्री को पुनरीक्षित प्राकलन प्रस्तुत करने तथा आईटम जिनका उल्लेख आईटम रेट टेंडर में नहीं किया गया है तथा जिनका निर्माण कार्य किया गया है, का रेट विश्लेषण भी प्रस्तुत करने को कहा गया था परंतु राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पुनरीक्षत प्राकलन व विश्लेषण पत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

189– साक्षी का यह भी कहना है कि दिनांक 30.3.96 को 22 वां रनिंग बिल संग्रहालय को भेजा गया था जिसका अध्ययन एवं विश्लेषण करने पर इस निर्माण कार्य के लिए संग्रहालय की ओर से नियुक्त मुख्य अभियंता वी0 आर0 सरवटे ने यह पाया कि कालम, स्लेब , सिक्स एमएम प्लास्तर, वाल्ट, स्टेयर केस, अतिरिक्त उंचाई, वाल्ट तथा शैल के बाहरी फेस वाल्ट तथा शैल के भीतरी फेस, डोम के बाहरी तथा भीतरी फेस इन सभी आईटम की सेटरिंग के कार्य को अतिरिक्त आईटम मानकर अनुबंध की दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया गया है। इस 22 वें रनिंग बिल तक हुए 1.42 करोड़ रूपयें के अधिक भुगतान की जानकारी संग्रहालय के निदेशक द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को प्रेषित की गई थी ।

190– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा संग्रहालय निदेशक को लिखा गया था कि इस अधिक भुगतान के संबंध में तकनीकी परामर्श कर सकते है इस पर संग्रहालय द्वारा तीन उच्च

कोटि के तकनीकी विशेषज्ञ जो कि म0 प्र0 आर्बीट्रेशन ट्रब्यूनल के सदस्य रह चुके थे, को नियुक्त कर उनकी राय प्राप्त की थी ।

191— साक्षी का यह भी कहना है कि इन तीन सदस्यीय तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि जिन आईटम्स को अतिरिक्त आईटम्स मानकर बढ़ी हुई दरों पर भुगतान किया गया है वे आईटम्स अनुबंध में पूर्व से ही मौजूद है और इनका भुगतान अनुबंधित दरों पर ही किया जाना चाहिए था ।

192— साक्षी का यह भी कहना है कि निर्माण कार्य के वास्तुविद श्री राम शर्मा द्वारा यह बताया गया था कि ये आईटम्स पूर्व से अनुबंध में मौजूद है तथा टेंडर डिजाइन तथा ड्राईंग एवं डिटेल्स वर्किंग ड्राईंग में कोई अंतर नहीं है तथा उसके द्वारा दी गई ड्रांईग के आधार पर ही कार्य निष्पादित किया गया है।

193— साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाने के बाद भी राजधानी परियोजना के अधिकारीगण द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण से की गई वित्तीय अनियमितताओं व शासन को हुई वित्तीय हानि को छिपाने के उददेश्य से षडयंत्रपूर्वक एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसमें ठेकेदार के वेतनभोगी इंजीनियर एस.के.श्रीवास्तव को भी रखा गया तथा मनचाही रिपोर्ट प्राप्त की गई ।

194— साक्षी का यह भी कहना है कि आरोपी दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा कुछ आईटम्स को अतिरिक्त आईटम्स मानकर बढ़ी हुई दरों से स्वयं ही भुगतान कर दिया। ठेकेदार आरोपी डी.एम.डेटानी द्वारा आईटम्स के रेट विश्लेषण प्रस्तुत करने , कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुशंसा करने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा जो दरें स्वीकृत की गई उनकी गणना में संगठको की मात्रा गलत लगाई गई कुछ अन्य कार्य जो कि अतिरिक्त आईटम्स थे जैसे कि टेराजो स्ट्रिप आदि की माप बढ़ा चढ़ाकर की गई और अधिक भुगतान किया गया ।

195— साक्षी का यह भी कहना है कि जांच से यह निष्कर्ष सामने आया था कि ठेकेदार द्वारा प्राकलन की राशि से काफी कम राशि की निविदा देकर अनुबंध प्राप्त किया तथा राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सांठगांठ कर षडयंत्रपूर्वक अनुबंध की शर्तो को अनदेखा कर अनुबंध में दिये गये आईटम्स को उनके नाम की जगह उनके स्वरूप का विस्तृत विवरण देकर अतिरिक्त आईटम्स दिखाकर अपने पद का दुरूपयोंग कर अनुचित रूप से गणना कर बढ़ी हुई दरों पर ठेकेदार को अनुचित भुगतान कर अवैध लाभ पहुंचाया गया जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई।

196— साक्षी का यह भी कहना है कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा संग्रहालय को व्यय की विस्तृत जानकारी रेट विश्लेषण समय—समय पर उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे उनके षडयंत्र तथा अवैधानिकता का पता न चल सके और इस प्रकार से न्यूनतम निविदा को अधिकतम निविदा में परिवर्तित कर दिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी0—115 पंजीबद्व की गई, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है ।

197— साक्षी का यह भी कहना है कि उसने दिनांक 3.9.1996 को अनुविभागीय अधिकारी क्रं0—10 राजधानी परियोजना प्रशासन कार्यालय से उक्त निर्माण से संबंधित रिकार्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी0—116 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी दिनांक को अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना कार्यालय से रिकार्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी0—117 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 4.9.1996 को राजधानी परियोजना प्रशासन सब डिवीजन क्रं0—10 के एस.डी.ओ. से एक साइट आर्डर बुक जो म्यूजियम निर्माण भवन से संबंधित थी को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी0—118 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

है।

198— साक्षी का यह भी कहना है कि उसने दिनांक 10.9.1996 को आनंद यादव प्रोपराइटर ''जय वीडियों विजन'' से पंच साक्षियों के समक्ष म्यूजियम भवन की वीडियो शूटिंग कराई थी यह शूटिंग निर्माणाधीन प्रत्येक हिस्से की थी, साक्षियों के समक्ष वीडियो कैमरे में लगी खाली वीडियो कैसिट को चलाकर और विभिन्न अंतरालों में साक्षियों को दिखाकर इस बात की पुष्टि की थी कि वीडियों कैसिट उपयोग के पूर्व खाली थी । निर्माणाधीन भवन के वीडियोंग्राफी के उपरांत कैसेट मौके पर चलाकर दिखाई गई थी जिसका उल्लेख पंचनामें में किया गया तथा इस वीडियों कैसिट को एक कपडे में रखकर मौके पर सीलबंद कर हस्ताक्षरित कराया गया था इस वीडियोग्राफी कार्यवाही के संबंध में मेरे द्वारा साक्षियों के समक्ष एक पंचनामा प्रपी0—119 भी तैयार किया गया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

199— साक्षी का यह भी कहना है कि उसने दिनांक 03.9.1996 को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से उक्त निर्माण से संबंधित रिकार्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी0—120 तैयार किया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि उसने तीन सदस्यीय समिति का प्रतिवेदन प्रपी0—04 अनुसंधान के दौरान प्राप्त किया था ।

200— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—15—ए, पी—16 व पी—17 के दस्तावेज म्यूजियम भवन फेस—1 के निर्माण के प्रारंभिक इस्टीमेट से संबंधित है जिन्हें तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री अमर एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री कौशिक द्वारा तैयार किया गया है जिस पर ए से ए भाग पर श्री अमर के हस्ताक्षर है जिन्हें वह पहचानता है। प्रपी0—18 का पत्र दिनांक 19.8.1991 इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के श्री भटट् द्वारा अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना को

लिखा गया पत्र है जिसमें राजधानी परियोजना को निर्माण एजेंसी के रूप में प्रस्तावित कर कंसेन्ट मांगी गई है।

201— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—19 का पत्र दिनांक 10—8—1992 इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के श्री भटट द्वारा अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना को लिखा गया पत्र है जिसमें राजधानी परियोजना तथा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के मध्य प्रस्तावित अनुबंध तथा निर्माण के संबंध में विशेष शर्तो का समावेश व वास्तुविद के अधिकार व कर्तव्य की जानकारी दी गई थी ।

202— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—20 का पत्र मानव संग्रहालय के निदेशक श्री भटट् द्वारा 15.00 लाख रूपयें म्यूजियम भवन निर्माण से संबंधित प्रथम किश्त के रूप में कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना के पक्ष में जारी करने के संबध में है । इस पत्र में स्पष्टतः उल्लेखित है कि यह निक्षेप कार्य डिपाजिट वर्क वास्तुविद द्वारा प्रदत्त डिजाइन स्पेसिफिकेशन व बिल आफ क्वांटिटीज का कठोर अनुसरण करते हुए किया जावे एवं कार्य का मासिक प्रतिवेदन तथा खर्चे का विस्तृत ब्यौंरा राजधानी परियोजना को प्रतिमाह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को देना होगा ।

203— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—21 का पत्र दिनांक 20—05—1993 इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के निदेशक द्वारा अधीक्षण यंत्री श्री अमर राजधानी परियोजना को लिखा गया पत्र है इस पत्र के साथ साइट प्लान, लोअर ग्रांउड फ्लोर प्लान एवं अपर ग्राउंड फ्लोर प्लान की ड्रांईग जो वास्तुविद से प्राप्त हुई थी संलग्न कर भेजी गई थी तथा ड्रांईग की एक्यूरेंसी कन्फर्म करने हेतु कहा गया था ।

204— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—121 का पत्र तत्कालीन

कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा डायरेक्टर सूचना एवं प्रकाशान विभाग को इस निर्माण से संबंधित टेंडर नोटिस विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में लिखा गया है इसके साथ ही प्रपी0–121–ए, का टेंडर नोटिस संलग्न है इसमें उल्लेखित है कि यह आईटम रेट टेंडर होगा तथा कॉमन शर्तो पर स्वीकृत किया जावेगा ।

205– इसी साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–87 का पत्र दिनांक 21–09–1993 आरोपी दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा तत्कालीन अधीक्षण यंत्री श्री एन0 के0 जैन को लिखा गया पत्र है जिसमें संबंधित आफर्स में से मे0 एम0 संस की निविदा को सर्वाधिक न्यूनतम रेट होने की वजह से स्वीकृति हेतु अनुशंसा की है।

206– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–92 कम्पोजिट मॉडीफाई चैकलिस्ट है जिसमें टेंडर केसेस के प्रोफार्मा को सम्मिलित किया गया है इस चैक लिस्ट पर तत्कालीन अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन के ए से ए भाग पर तथा दिनेश नारायण अग्रवाल के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर है। यह कम्पोजिट चैक लिस्ट लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश के इंजीनियर इन चीफ को भेजी गई थी इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि जिन दरों पर ठेकेदार ने कार्य करना प्रस्तावित किया है वे दरें औचित्यपूर्ण है तथा स्वीकृति के योग्य है।

207– साक्षी का यह भी कहना है कि इस पत्र के साथ प्रपी0–93 का टेंडर स्क्रूटनी नोट भेजा गया था जिसके अंतिम पृष्ठ पर कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन डी0एन0अग्रवाल तथा तत्कालीन अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन के हस्ताक्षर है। इस पत्र में मे0 एम0 संस का न्यूनतम टेंडर जो कि 5,41,97,520.30 रूपयें का है, की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है ।

208— साक्षी का यह भी कहना है कि इस चैकलिस्ट व स्क्रूटनी के आधार पर तत्कालीन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ने दिनांक 25.09.1993 को सचिव मध्यप्रदेश आवास व पर्यावरण विभाग को पत्र लिखा था जिसमें निविदा आमंत्रण की सूचना की अनुमोदन संबंधी जानकारी चेक लिस्ट के सरल क्रं. 2, 3 व 5 में दर्शाई गई है। निविदा आमंत्रण की सूचना जनसंपर्क भोपाल के माध्यम से तीसरी बार दिनांक 21.09.1993 को आमंत्रित की गई थी, निविदाकारों से प्राप्त दरों को भी इस पत्र में शामिल किया गया तथा उल्लेखित किया गया कि राजधानी परियोजना प्रशासन ने में0 एम0 संस की न्यूनतम निविदा की स्वीकृति की अनुशंसा की है ।

209— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रमुख अभियंता ने भी शासन को भेजे गये पत्र में स्वीकृति की अनुशंसा के वहीं कारण दर्शाये है जो राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रमुख अभियंता को भेजे गये थे जो पत्र के साथ संलग्न स्क्रूटनी लिस्ट तथा कम्पोजिट मॉडीफाइड लिस्ट में उल्लेखित है। प्रमुख अभियंता ने शासन को भेजी गई अनुशंसा में भवन के प्लिन्थ एरिया की दर रूपयें 3788/—रू0 प्रति वर्गमीटर, आगरा व धौलपुर के पत्थरों का भवन निर्माण की बाह्यता में प्रयोग होना, कोटा स्टोन का फर्श हेतु प्रयोग होना, उच्च मापदंड की विद्युत साज—सज्जा तथा विशेष प्रकार के ओव्हर लेपिंग डोम जिनकी उंचाई 11.5 मीटर होना तथा इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के 12265.30 वर्गमीटर के क्षेत्रफल का विभिन्न मंजिलो पर अलग—अलग उंचाईयों पर निर्माण कार्य प्रस्तावित होना उल्लेखित किया है।

210— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—47 का पत्र दिनांक 25—09—1993 में प्रमुख अभियंता ने राजधानी परियोजना प्रशासन के अधीक्षण यंत्री के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए निविदा की शीघ्र स्वीकृति हेतु राज्य

शासन को प्रेषित किया था । साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–49 का पत्र दिनांक 20–01–1994 उपसचिव म0 प्र0 शासन आवास व पर्यावरण विभाग द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है जिसकी प्रति प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग व कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को दी गई है, इस पत्र में इंडोर म्यूजियम भवन निर्माण के संबंध में मे0 एम0 संस की निविदा राशि 5,41,97,520–30 की स्वीकृति दी गई है ।

211– साक्षी का यह भी कहना है कि आर्टिकल–ए का दस्तावेज आईटम रेट टेंडर हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा जारी किया टेंडर डाक्यूमेंट है जो में0 एम0संस को डी0 एन0 अग्रवाल द्वारा जारी किया गया था । इस टेंडर डाक्यूमेंट के अनुसार प्रोजेक्ट का नाम इंदिरा गांधी रा0 मा0 सं0 इंडोर में म्यूजियम बनाना था इस डाक्यूमेंट पर ए से ए भाग पर दिनेश नारायण अग्रवाल के तथा मुख्य पृष्ठ पर बी से बी भाग पर में0 एम0 संस की ओर से आरोपी दयाल डेटानी के हस्ताक्षर है ।

212– साक्षी का यह भी कहना है कि टेंडर डाक्यूमेंट के द्वितीय पृष्ठ प्रपी0–14 पर निर्माण कार्य वास्तुविद के रूप में श्री राम शर्मा एंड एसोसियेट नई दिल्ली तथा तृतीय पृष्ठ पर कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा में0 एम0 संस को दिया गया वर्क आर्डर प्रपी0–13 है जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर डी0 एन0 अग्रवाल के हस्ताक्षर है ।

213– साक्षी का यह भी कहना है कि पृष्ठ 5 से लेकर 176 तक विस्तृत नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर है जिसमें 1 लगायत 160 पृष्ठ है जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर राजधानी परियोजना की ओर से दिनेश नारायण अग्रवाल ने ए से ए भाग पर एवं मे. एम. संस की ओर से ठेकेदार दयाल डेटानी ने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किये है ।

214— साक्षी का यह भी कहना है कि यह निविदा आईटम रेट निविदा थी खर्च नियंत्रण में रहे इसलिए निविदा में सामान्य शर्त के अतिरिक्त विशेष शर्तो को भी निम्नानुसार समावेश किया गया था :—

1. विशेष शर्त कं.—3 के अनुसार ठेकेदार द्वारा निविदा में भरी हुई दरें आइटम के पूर्णकार्य फिनिस्ड वर्क के लिए थी जिसमें समस्त लीडस लिफट स्केफोल्डिंग स्टेजिंग पर निर्माण का समावेश था ।

2. विशेष शर्त कं.—2 व 6 के अनुसार यह माना जावेगा कि निविदा देने के पूर्व ठेकेदार ने समस्त ड्रांईग स्टेंडर्डस तथा स्पेसिफिकेशन का परीक्षण कर लिया है, प्रावधानित किया गया है ।

3. विशेष शर्त कं.—12 के अनुसार इस निर्माण कार्य के वास्तुविद द्वारा प्रदत्त ड्रांईग डिजाइन व स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य करने के लिए ठेकेदार बाध्य है।

4. एन0आई0टी0 (नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर) के पैरा—2.32 के अनुसार ठेकेदार निविदा में उसके द्वारा दी गई एवं अनुबंधित दरों को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

5. एन0आई0टी0 (नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर) के पैरा—2.6 के अनुसार वह आइटम जो आइटम रेट टेंडर में नहीं दिये गये है और कार्य के दौरान कराये जाते है उनकी दरें अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन के द्वारा निर्धारित की जावेगी जो कि ठेकेदार को बंधनकारी होगी, लेकिन इस प्रकार के कार्य की मात्रा अनुबंध के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर ठेकेदार तथा विभाग के मध्य सहमति होने पर ही कार्य किया जा सकता है ।

6. एन0आई0टी0 (नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर) के पैरा–5.4.1 के अनुसार ठेकेदार को प्रचलित स्पेसिफिकेशन–77 अथवा विशेष स्पेसिफिकेशन जो पृथक से संलग्न किये गये है, के अनुरूप एवं अनुमोदित ड्रांईग के अनुसार कार्य निष्पादित करना था ।

7. अनुबंध की शर्तो के क्लॉज–13 के अनुसार यदि ऐसा कार्य कराया जाता है जिसके लिए अनुबंध में कोई दरें नहीं दी गई है तब यह कार्य जिलें में प्रचलित दरों की अनुसूची जो अनुबंध के समय प्रभावशील थी, में दी गई दर के अनुसार किया जावेगा ।

215– साक्षी का यह भी कहना है कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा यह कार्य निक्षेप कार्य के रूप में किया जा रहा था निक्षेप कार्य का नियमन कार्य विभाग नियमावली म0प्र0 के पैरा–2.162 से 2.173 के प्रावधानों के अनुसार होता है। पैरा–2.163 के अनुसार एस.डी.ओ. को स्वीकृत प्राकलन के अतिरिक्त पूर्वानुमानित आधिक्य की जानकारी कार्यपालन यंत्री को देना चाहिए और यदि कार्यपालन यंत्री संतुष्ट है कि आधिक्य अपरिहार्य है तब उसे अंशदाता को सूचना देना चाहिए और अतिरिक्त राशि प्राप्त करना चाहिए और प्राकलन का पुनरीक्षण करना चाहिए। लेकिन प्रकरण में न तो आधिक्य की सूचना कार्यपालन यंत्री द्वारा न तो अंशदाता इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को दी गई और न ही पुनरीक्षित प्राकलन ही बनाया गया ।

216– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–122 का पत्र दिनांक 09.2.1993 इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के निदेशक द्वारा कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग को लिखा गया है जिसमें राजधानी परियोजना प्रशासन को निर्माण कार्य की मासिक प्रोग्रेस रिपोर्ट तथा मासिक विस्तृत पत्रक भेजने के संबंध में लेख है, पत्र में यह भी उल्लेखित है कि इंदिरा गांधी मानव

संग्रहालय द्वारा जो फण्ड निर्माण कार्य के संबंध में रिलीज किया जाता है उसका उपयोग केवल इनडोर म्यूजियम के निर्माण में ही किया जाये न कि इस फण्ड को किसी अन्य निर्माण कार्य में लगाया जावे।

217— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—123 का पत्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना को 20.00 लाख रूपयें (आदेश प्रपी0—123 में 30.00 लाख रूपयें मंजूर किये जाने का उल्लेख है) के भुगतान की जानकारी के संबंध में लिखा गया है, इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य वास्तुविद द्वारा दी गई डिजाइन स्पेसिफिकेशन व बिल आफ क्वाटिंटीज के कठोर अनुसरण में किया जाये।

218— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—124 दि0 23.8.1994 का पत्र इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के क्यूरेटर विकास भटट् द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है जिसमें निर्माण कार्य की प्रगति व व्यय विवरण संबंधी रिपोर्ट प्राप्त न होने के संबंध में लिखा गया है तथा ग्वालियर आडिट दल द्वारा गंभीर आपत्ति जताया जाना लेख किया गया है ।

219— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—125 का पत्र मुख्य अभियंता श्री व्ही.आर.सरवटे द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है जिसमें वास्तविक व्यय बिलों की कापी चाही गई है तथा यह भी चाहा गया था कि यदि कोई आईटम टेंडर के अतिरिक्त हो तो इसका रेट एनालेसिस भेजे इसके बाद ही आगे फण्ड रिलीज किया जाना संभव होगा ।

220— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—126 दि0 25.1.1994 का पत्र इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के कार्यकारी निदेशक विकास भटट् द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है जिसमें पुराने पत्रों का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय एवं राजधानी परियोजना

प्रशासन के मध्य निर्माण संबंधित एग्रीमेंट का निष्पादन न होने संबंधी उल्लेख किया गया है तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एग्रीमेंट निष्पादित कर लिया जाये।

221— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—127 दि0 17.10.1994 का पत्र अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है जिसमें प्रपी0—126 का संदर्भ देते हुए अनुबंध निष्पादित करने हेतु लिखा गया है। साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—128 दि0 30.3.1995 का पत्र इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय द्वारा संस्कृति विभाग भारत सरकार को लिखा गया है जिसमें इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय व राजधानी परियोजना प्रशासन के मध्य अनुबंध निष्पादन व फण्ड रिलीज करने के संबंध में है ।

222— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—129 का पत्र अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है जिसमें अनुबंध तैयार कर प्रारूप शासन को अनुमोदनार्थ भेजे जाने का लेख है इसकी प्रति संग्रहालय को भी दी गई है ।

223— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—98 दि0 28.6.1995 का पत्र इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के कार्यकारी निदेशक द्वारा प्रमुख सचिव आवास व पर्यावरण विभाग को एग्रीमेंट के संबंध में लिखा गया है तथा इस पत्र के साथ प्रपी—98—ए संलग्न है जो अनुबंध के प्रावधानों के संबंध में राजधानी परियोजना प्रशासन और संग्रहालय के बीच मतभिन्नता को प्रदर्शित करता है।

224— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—8 दि0 11—5—1992 का पत्र इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय द्वारा अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है जिसमें वास्तुविद द्वारा तैयार ड्राईंग पूर्व में भेजे जाने एवं शीघ्र

एग्रीमेंट तैयार करने के सबंध में लेख है। साक्षी के अनुसार अनुसंधान में यह पाया गया कि राजधानी परियोजना प्रशासन तथा संग्रहालय के बीच म्यूजियम भवन निर्माण के संबंध में संग्रहालय द्वारा बार–बार लिखने व उच्च स्तरीय प्रयासों के बाबजूद एग्रीमेंट नहीं हुआ ।

225– साक्षी का यह भी कहना है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के द्वारा जब 20 वें रनिंग बिल की स्कूटनी की गई तो पाया गया कि 17 आईटमों का भुगतान राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा बढ़ी हुई दरों पर किया गया जिनकी स्वीकृति नहीं ली गई इस वजह से ठेकेदार को 1.37,32,121 रूपयें का अधिक भुगतान किया गया है।

226– साक्षी का यह भी कहना है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के मुख्य अभियंता ने अपने पत्र दिनांक 29.02.1996 द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया कि टेंडर में दिये आइटमों को एक्स्ट्रा की तरह भुगतान किया गया है जबकि यह दरें एवं वित्तीय प्रावधान संग्रहालय द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये है। 22 वें रनिंग बिल के उपलब्ध होने पर संग्रहालय द्वारा उसकी स्कूटनी करने पर ठेकेदार दयाल डेटानी को 1.42 करोड़ रूपयें अधिक भुगतान होना पाया गया ।

227– साक्षी का यह भी कहना है कि इंदिरा गांधी संग्रहालय द्वारा इस संबंध में सचिव आवास व पर्यावरण को अवगत कराये जाने पर उनके द्वारा यह सलाह दी थी कि वे चाहे तो तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह लें इस सुझाव से सहमत होते हुए संग्रहालय ने लोक निर्माण विभाग के तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को कुछ आईटम की दरों में बृद्वि की युक्ति–युक्तता, वैधानिकता एवं औचित्य के संबंध में राय देने के लिए अनुबंधित किया था। समिति में श्री बी.एस.गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता एवं पूर्व सदस्य म0 प्र0 आर्बीट्रेशन अधिकरण, श्री जी0

एस0 पलनीतकर सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंताा एवं पूर्व सदस्य म0 प्र0 आर्बीट्रेशन अधिकरण, व श्री सी0 व्ही0 कांड, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता एवं कंसल्टेंट थे इनमें से प्रत्येक सदस्य को दो हजार मानदेय भुगतान भी किया गया ।

228– साक्षी का यह भी कहना है कि समिति ने प्रकरण का अध्ययन कर प्रतिवेदन दिनांक 16.4.1996 को प्रपी0–4 का प्रस्तुत किया गया। निदेशक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय द्वारा समिति के प्रतिवेदन सहित पत्र दिनांक 19.4.1996 के अनुसार राजधानी परियोजना के कुछ अधिकारी–गण द्वारा षडयंत्र कर अधिक भुगतान देकर शासन को क्षति पहुंचाई तथा इनके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं अवैधानिक रूप से किये गये भुगतान का समायोजन करने हेतु लिखा गया।

229– साक्षी का यह भी कहना है कि राजधानी परियोजना प्रशासन ने अपने स्तर पर एक पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर प्रकरण की समीक्षा करवाई जिसमें श्री एस0 के0 श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, श्री पी.के.राहतेकर सेवानिवृत्त मुख्य वास्तुविद, श्री आर.के.,खरे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता पी.एच.ई., श्री जी.डी.राव. व श्री नवीनचंद्र सदस्य थे।

230– साक्षी का यह भी कहना है कि इस समिति में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिसकी प्रतिष्ठा, पद व स्तर तथा अनुभव इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय द्वारा गठित की गई तीन सदस्यीय समिति के समकक्ष या उससे उच्चतर हो । समिति के एक सदस्य एस0 के0 श्रीवास्तव ठेकेदार आरोपी डी.एम.डेटानी के वेतनभोगी कर्मचारी रहे है। साक्षी के अनुसार इस समिति के कुछ सदस्य वास्तुशिल्पी फर्म से जुडे रहे है तथा इस फर्म की तलाशी लिये जाने पर इस फर्म से आरोपी दिनेश नारायण अग्रवाल के इंकम टेक्स रिटर्न की प्रतियां तथा अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए थे जिन्हें प्रपी0–95 के जप्ती पंचनामा अनुसार जप्त

किया गया।

231— साक्षी का यह भी कहना है कि इस समिति का प्रतिवेदन जिन अवधारणाओं पर आधारित था वह पूर्णतः गलत थी जो निम्नानुसार हैः—

प्रथमः समिति के अनुसार प्राकलन वास्तुविद द्वारा तैयार किया गया जबकि प्राकलन राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था।

द्वितीय—समिति के अनुसार इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय व राजधानी परियोजना प्रशासन के मध्य अनुबंध निष्पादित हुआ था,जबकि वस्तुतः ऐसा कोई अनुबंध नहीं हुआ था ।

तृतीयः समिति के अनुसार अतिरिक्त आईटम की दरें निर्णित करने में अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन अंतिम प्राधिकारी है और यदि राजधानी परियोजना प्रशासन तथा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के मध्य कोई विवाद पैदा होता है तो प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन का निर्णय न सिर्फ अंतिम होगा बल्कि बाध्यकारी होगा जबकि ऐसा कोई अनुबंध नहीं हुआ था ।

232— साक्षी का यह भी कहना है कि नस्ती क्रं0 10 व 11 में वह पत्र संलग्न है जो इस निर्माण कार्य के संबंध में एक्स्ट्रा आईटम प्रस्तावित करने तथा उनके स्वीकार करने के संबंध में है। पत्र क्रं. 4986 दि0 6—8—1994 दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा एक्स्ट्रा आईटम के संबंध में तत्कालीन अधीक्षण यंत्री जी0एम0 कृपलानी को लिखा गया है तथा इसके साथ प्रत्येक आईटम के रेट एनालेसिस भी संलग्न है, जिसके अनुसार 49,51,41500 रूपयें का वित्तीय भार आना बताया गया है। साक्षी के अनुसार नस्ती क्रं0 11 के पृष्ठ क्रं. 22 पर दिनांक 10—7—1994 को अभियुक्त ठेकेदार दयाल डेटानी द्वारा नान—एग्रीमेंटेड

आईटम को स्वीकार करने के संबंध में लिखा गया पत्र है तथा इस पत्र के संदर्भ में दिनांक 20.7.1994 को प्रपी0–130 का पत्र अनुविभागीय अधिकारी निर्माण उपसंभाग क्रं0–10 सी.पी.ए. भोपाल द्वारा संविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर विश्लेषण के संबंध में कार्यपालन यंत्री निर्माण संभाग क्रं0–1 सी.पी.ए. भोपाल को लिखा गया है।

233– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–131 का पत्र दिनांक 12–8–1994 को अधीक्षण यंत्री कृपलानी द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को उसके पत्र के संदर्भ में वैफल्स स्लेब की सेंटरिंग, शटरिंग को एक्स्ट्रा आईटम के रूप में स्वीकृत करते हुए 17.70 लाख रूपयें की स्वीकृति प्रदान की गई है, इस पर ए से ए भाग पर श्री कृपलानी के हस्ताक्षर है। इस पत्र की प्रति प्रपी0–132 है जिस पर ए से ए भाग पर श्री दिनेश नारायण अग्रवाल के हस्ताक्षर है।

234– साक्षी का यह भी कहना है कि अधीक्षण यंत्री कृपलानी ने पत्र प्रपी0–45 के द्वारा कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को एक्स्ट्रा आईटम के संबंध में 24.90 लाख रूपयें स्वीकृत किये जाने की सूचना दी गई है।

235– साक्षी का यह भी कहना है कि अधीक्षण यंत्री कृपलानी द्वारा वैफल स्लेब की सेटरिंग के लिए जो एक्स्ट्रा आईटम मानकर आदेश प्रपी0–131 में दर स्वीकार की गई है, वह सभी उंचाईयों के लिए थी, इसी प्रकार प्रपी0–45 के द्व ारा जो अष्टकोणीय सजावटी कालम के कार्य वर्क के लिए इन्हें एक्स्ट्रा आईटम मानकर कृपलानी द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई है वह भी सभी उंचाईयों के लिए थी।

236— साक्षी का यह भी कहना है कि मे0 एम0 संस की ओर से दिनांक 20.10.1994 को कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को नान—एग्रीमेंट आईटम दरें स्वीकार हेतु पत्र के साथ रेट एनालेसिस प्रपी0—134 भेजा गया था इसके साथ आरोपी दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रपी0—135 भी भेजा गया था।

237— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—136 डी. एन. अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित एक्स्ट्रा आईटम एवं प्रपी0—137 एक्स्ट्रा आईटम सार्टिफिकेट है, प्रपी0—138 रेट एनालेसिस है, प्रपी0—139 एक्स्ट्रा आईटम संबंधी सार्टिफिकेट है जो डी0 एन0 अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित है जिसके साथ प्रपी0—140 दर विश्लेषण संलग्न है। प्रपी0—141 का पत्र आरोपी डेटानी द्वारा दिनांक 25.4.1996 को कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को डोम्स की सेंटरिंग व शटरिंग को एक्स्ट्रा आईटम मानने हेतु लिखा है उसके साथ दर विश्लेषण संलग्न है। प्रपी0—142 का पत्र मे. एम0 संस की ओर से कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को नान—शेडयूल आईटम की दरें स्वीकार करने हेतु लिखा गया है तथा मे0 एम0 संस द्वारा प्रेषित दर विश्लेषण प्रपी0—143 है। दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रपी0—146 पर ए से ए भाग पर श्री अग्रवाल के हस्ताक्षर है।

238— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—145 का पत्र एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को होम्स व शेटरिंग की सेंटरिंग के रेट एनालेसिस को एक्स्ट्रा आईटम मानने के संबंध में लिखा गया है। प्रपी0—146 का पत्र एम0 संस की ओर से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा गया है जिसमें विशेष प्रकार के स्टील सेटरिंग जो आरसीसी शैल के निर्माण के संबंध में तथा आर्किटेक्ट द्वारा दी ड्रांईग अनुसार एक्स्ट्रा आईटम है की दरें

2957.35 रूपयें की दर से स्वीकार करने हेतु लिखा गया है। साक्षी के अनुसार प्रपी0–146 वस्तुतः स्थिति के विपरीत है।

239– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–147 का पत्र मे. एम0 संस की ओर से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा गया है जिसमें वास्तुविद की ड्रांईग अनुसार कुछ कार्य संपादित किये है जो टेंडर शेडयूल में नहीं है इसलिए दूसरें निर्माण के संबंध में अधीक्षण यंत्री ने जो रेटस दिये है उसी अनुसार वहीं रेटस उसे भी दिये जावे।

240– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–148 की नोटशीट में सीपीडव्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन–77 व एसओआर. के स्पेसिफिकेशन का हवाला देते हुए एग्रीमेंट के आईटम नं0–4 तथा 9 को एक्स्ट्रा आईटम मानकर इन कार्यो की सेटरिंग 3.5 मीटर से अधिक होना बताते हुए इनके अलग से भुगतान की अनुशंसा कार्यपालन यंत्री डी. एन. अग्रवाल द्वारा की गई है।

241– साक्षी का यह भी कहना है कि नोटशीट प्रपी0–39 में अधीक्षण यंत्री कृपलानी द्वारा आयटम नं0 1, 2 व 4 को एस.ओ.आर.की दर से एक्स्ट्रा आयटम मानते हुए दर स्वीकृत की गई है तथा यह भी लेख है कि आयटम नं0–5 को पूर्व में दिनांक 30–4–1994 को सभी उंचाईयों के लिए दिये गये दर के हिसाब से स्वीकृत किया गया है। नोटशीट में अधीक्षण यंत्री कृपलानी द्वारा कार्यपालन यंत्री से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि आयटम नं0–3 अनुबंध में किस प्रकार सम्मिलित नहीं है ।

242– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–36 की नोटशीट में कार्यपालन यंत्री ने वैफल स्लेब के फार्म वर्क को एक्स्ट्रा आईटम मानकर 17,77,55,000 रूपयें स्वीकृति की अनुशंसा की है तथा अधीक्षण यंत्री कृपलानी ने इसके ए से ए भाग में स्वीकृति प्रदान की थी इस पर बी से बी भाग पर

कृपलानी के हस्ताक्षर है। इसी नोटशीट के तीसरे भाग में एम–25 ग्रेड सीमेंट कांक्रीट कोटा स्टोन लगाने व उसमें पालिश करने, आर्किटेक्ट की डिजाइन अनुसार बासोदा स्टोन लगाने, कापर स्लेब की रिब्स पर सिक्स एम.एम. सीमेंट प्लास्टर, प्रोवाइडिंग इरेक्टिंग फिक्सिंग सेंटरिंग व शटरिंग ऐज पर आर्किटेक्ट डिजाइन व ड्राईंग, प्रोवाइडिंग एवं फिक्सिंग एक्सपन्सन ज्वाइंट शीट पेज डायरेक्टेड कम्प्लीट की दर विश्लेषण करते हुए एक्स्ट्रा आईटम मानकर 43,72,800/–रू0 की अतिरिक्त लागत की अनुशंसा की है।

243– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षी बसंतराव सरवटे, आर.सी.जैन, श्रीराम शर्मा, सी.व्ही.कांड, नरेंद्र कुमार जैन, जी.एस.पलनीतकर, विनोद कुमार कौशिक, विजय कुमार अमर, बनवीर सिंह गुप्ता, वेदप्रकाश सरना, संतोष कुमार खरे, श्यामलाल यादव, विकास भटट, श्रीराम शर्मा, कल्याण कुमार चक्रवर्ती के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्व किये गये थे ।

244– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–149 में मे0 एम0 संस के द्वारा कालम का नाम बदलकर अष्टकोणीय आर्नामेन्टल कालम बताते हुए एक्स्ट्रा आईटम के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की थी। इस पत्र के साथ प्रपी0–150 नक्शा, प्रपी0–151, रेट एनालेसिस, प्रपी0–152 व पी0–153 का प्लान, सेक्शन का नक्शा संलग्न किया गया है जिन पर ए से ए भागों पर दिनेश नारायण अग्रवाल के हस्ताक्षर है ।

245– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–154 का पत्र दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा जी.एम.कृपलानी को संबोधित कर लेख किया है कि वेफल स्लेब को नान–एग्रीमेंट आईटम मानते हुए अतिरिक्त आईटम मानने की अनुशंसा की है, इस पत्र के साथ रेट एनालेसिस के साथ 17.77 लाख वित्तीय भार आना

उल्लेखित किया है । प्रपी0–155 डी.एम.डेटानी द्वारा किया गया दर विश्लेषण है जिस पर अ से अ भाग पर दयाल डेटानी के तथा ब से ब भाग पर दिनेश नारायण अग्रवाल के हस्ताक्षर है ।

246– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–24 का पत्र दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन को लिखा गया है, जिसमें पांच आईटम जो कि नये है जिनकी रेट एनालेसिस सर्पोटिंग कोटेशन्स के साथ संलग्न है तथा तीन आईटम जो नये है इस प्रकार 08 आईटम के रेटस स्वीकार किये जावे, इस पत्र में यह भी उल्लेखित किया है कि यह सभी नान–एग्रीमेंट आईटम आर्किटेक्ट द्वारा दी गई ड्रांईग व कार्य की आवश्यकता को देखते हुए तैयार किये गये है एवं इनका कार्य भी शुरू कर दिया गया है । इस पत्र के साथ प्रमाणपत्र प्रपी0–25 दर विश्लेषण प्रपी0–26 संलग्न किया है जिस पर तत्कालीन अधीक्षण यंत्री श्री यादव द्वारा ''एप्रूव विथ व्हेरिफिकेशन आफ लेबर'' अंकित किया है।

247– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–27 का प्रमाणपत्र डी.एन. अग्रवाल द्वारा कोटा स्टोन फलोरिंग के संबंध में दिया गया है, प्रपी0–28 दर विश्लेषण पत्रक है तथा प्रपी0–28 में स से स भाग पर 13,30,900 रूपयें के फायनेन्शियल इम्प्लीकेशन की गणना की गई है । प्रपी0–29 प्रमाणपत्र आरोपी दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा बासोदा स्टोन के संबंध में दिया है जिसके साथ दर विश्लेषण पत्रक प्रपी0–30 है, जिस पर तत्कालीन अधीक्षण यंत्री श्री यादव ने ''मे वी एप्रूव विथ व्हेरिफिकेशन आफ लेबर'' अंकित किया है तथा स से स भाग पर 1,91,250 रूपयें के फायनेन्शियल इम्प्लीकेशन की गणना की गई है ।

248– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–30–ए, में 6 एम.एम. प्लास्टर काफर स्लेब की रिब्स पर करने के संबंध में दिया गया प्रमाणपत्र है

जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि–यह आईटम एग्रीमेंट का आईटम नहीं है, इस एक्स्ट्रा आईटम के रेट ठेकेदार के व्हाउचर व बाजार से कन्फर्म किये गये है, मटेरियल की मात्रा वास्तविक है तथा मेंने स्वयं लेबर जो कार्य में इन्बाल्व है की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की है इन प्रमाणपत्रों में दिनेश नारायण अग्रवाल ने संबंधित आईटम पर कितना वित्तीय भार आयेगा इसकी भी गणना की है।

249– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–31 दर विश्लेषण पत्रक पर अ से अ भाग पर दिनेश नारायण अग्रवाल के हस्ताक्षर है तथा इस पर स से स भाग पर पर तत्कालीन अधीक्षण यंत्री श्री यादव ने ''मे वी एप्रूव आफटर व्हेरिफिकेशन आफ लेबर'' अंकित किया है तथा 9,62,500 रूपयें के फायनेन्शियल भार की गणना की गई है । प्रपी0–31 डी0एन0अग्रवाल द्वारा वाल्ट शटरिंग व सेटरिंग के संबंध में दिया गया प्रमाणपत्र है जिसके साथ प्रपी0–32 दर विश्लेषण पत्रक है जिसमें वाल्ट शटरिंग को एक्स्ट्रा आईटम मानते हुए दर विश्लेषण की गई है ।

250– साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0–33 का प्रमाणपत्र दिनेश नारायण अग्रवाल ने डोम, वाल्ट, कालम, अंदर स्लेब की सेंटरिंग व स्टेजिंग को प्रोवाइड करने व रिमूव करने को एक्स्ट्रा आईटम मानते हुए दिया गया है जिसमें 16,27,500 रूपयें का वित्तीय भार बताया है। प्रपी0–34 का प्रमाणपत्र सेटरिंग व शटरिंग के संबंध में दिया है जिसमें 99,750 रूपयें वित्तीय भार की गणना की है। प्रपी0–35 का प्रमाणपत्र आरोपी डी. एन.अग्रवाल द्वारा बीम व कालम के फ्रेम स्ट्रक्चर के संबंध में दिया है जिसमें 40400 रूपयें वित्तीय भार की गणना की है।

251— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—156 का पत्र इंदिरा गांधी संग्रहालय की ओर से इंजीनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग को लिखा गया है जिसमें विभिन्न आइटम में अत्यधिक भुगतान बिना सूचना निर्माण राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया गया है, जो आईटम टेंडर एग्रीमेंट में थे उन्हें क्यों अनुबंधित दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया गया तथा इसमें यह भी आपत्ति की गई थी कि आरोपी कार्यपालन यंत्री ने पुनरीक्षित प्राकलन क्यों प्रस्तुत नहीं किया । इस पत्र पर ए से ए भाग पर श्री व्ही. आर. सरवटे के हस्ताक्षर है।

252— साक्षी का यह भी कहना है कि प्रपी0—157 का पत्र व्ही. आर. सरवटे द्वारा इंजीनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग को लिखा गया है जिसमें यह लेख किया है कि ठेकेदार ने 22 वें रनिंग बिल में वहीं अतिरिक्त दरें दी गई है जिनके संबंध में 20 वें बिल में आपत्ति लगाई गई थी और जब 23 वां रनिंग बिल प्राप्त हुआ तब पता चला कि इसमें और अत्यधिक दरें ठेकेदार द्वारा लगाई गई है इस पर उन्होने निम्नानुसार आपत्ति की हैः—

1. टेंडर में दिये गये आईटम्स के रेट चेंज नहीं किये जा सकते जबकि कालम्स की शटरिंग व स्टेजिंग की दरें 35 प्रतिवर्गमीटर से बढ़ाकर 414 रू0 दे दी गई है ।
2. वैफल स्लेब को बीम व स्लेब के सम्मिश्रण के रूप में मापना चाहिए टेंडर में बीम की शटरिंग 35 रू0 व स्लेब की 125 रू. प्रति वर्गमीटर दी गई है जबकि ठेकेदार को उंची दर 450 रू पूरे एरिया के लिए दी गई है यह भी उल्लेख है कि पूरे म्यूजियम का टोटल एरिया 10000 वर्गमीटर है। फिर वैफल स्लेब की गणना 14532 मीटर कैसे कर दी है।

3. कोटा स्टोन फलोरिंग का रेट टेंडर में ठेकेदार द्वारा वर्णित रेट के अनुसार देय होना चाहिए जबकि 419 रू का रेट ठेकेदार को किस प्रकार दिया गया जबकि टेराजो स्ट्रिप्स कोटा स्टोन से सस्ती है तथा इसका रेट कोटा स्टोन के लिए 250 रू0 के रेट से भी निम्न रेट से प्रदाय किया जाना चाहिए था ।

4. 22 वें रनिंग बिल में वाल्ट की सेंटरिंग व शटरिंग के लिए 980 रू0 का रेट दिया गया था जबकि इस कार्य के लिए 23 वें रनिंग बिल में रेट बढाकर 1401.50 रूपयें कर दिये गये है । जबकि ठेकेदार द्वारा टेंडर में केवल 200 रू0 के रेट कोड किया गया था ।

5. एम–25 सीमेंट कांक्रीट के कार्य के एडीशन में ही रेटस सी.एस. आर. के अनुसार देने थे लेकिन अकल्पनीय रूप से 2580 रू. रेटस दिये गये है यह अत्यधिक है।

6. अन्य मदों में ठेकेदार को सी.पी.ए. द्वारा अधिक भुगतान करने के संबंध में लिखते हुए यह उल्लेखित किया है कि 22 वें रनिंग बिल तक ठेकेदार को 1.42 करोड़ रूपयें का अधिक भुगतान सी.पी.ए. द्वारा कर दिया गया है जिसकी रिकव्हरी की जाये।

7. यह भी उल्लेख किया है कि राजधानी परियोजना ने एकतरफ म्यूजियम निर्माण कार्य रोक दिया गया है जबकि उनके पास अभी भी 1.11 करोड़ की राशि बची हुई है अतः कार्य पुनः शुरू किया जाये।

253— साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0–158 निर्माण कार्य के संबंध में विभिन्न आयटमों का तुलनात्मक चार्ट है जिसके अनुसार 1,37,32,121 रू0 का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को किया गया है तथा इतनी राशि की शासन को क्षति पहुंचाई है।

254— साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0—159 का पत्र डी. एन. अग्रवाल द्वारा मे0 एम0 संस को जारी किया गया वर्क आर्डर है । प्रपी0—160 दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा एग्रीमंट के संबंध में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को लिखा गया पत्र है इसमें उल्लेख है कि एग्रीमेंट में इस बात पर जोर न दे कि उनके अधिकारियों द्वारा ओव्हरआल सुपरविजन किया जावेगा इसी प्रकार राजधानी परियोजना का आडिट ए.जी.एम.पी. ग्वालियर से किया जाता है इसलिए किसी अन्य आडिट पर जोर न दिया जाये।

255— साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0—161 का पत्र महेंद्र राज कंसल्टेंट द्वारा श्री राम शर्मा को लिखा गया है जिसमें यह उल्लेख है कि राजधानी परियोजना के इंजीनियरों व ठेकेदार ने जो एक्स्ट्रा आईटम निर्माण के दौरान बताया है वे वस्तुतः एक्स्ट्रा आयटम नहीं है ।

256— साक्षी ने यह भी बताया है कि संपूर्ण अनुसंधान से उसके द्वारा आरोपी दिनेश नारायण अग्रवाल, जी0एम0कृपलानी व ए0आर0 जग्गी के विरूद्व धारा 13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा भा0 दं0 वि0 की धारा 420 व 120—बी तथा आरोपी ठेकेदारी दयाल डेटानी के विरूद्व धारा 420 व 120 बी का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से विधि विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर न्यायालय समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया।

257— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन की कंडिका—29 में यह स्वीकार किया है कि जी0 एम0 कृपलानी दिनांक 26—07—1994 से 18—08—1994 तक अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन के रूप में पदस्थ रहे है। साक्षी ने इसी कंडिका में यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त जी0एम0कृपलानी ने प्रपी—39 के माध्यम से बिन्दु क्रमांक—2 में 20 एम.एम.थिक सीमेंट जो एक्स्ट्रा आयटम स्वीकृत किया है वह 1:3 सीमेंट मोर्टार कार्य के लिए

है। साक्षी ने कथन कंडिका–30 में यह भी बताया है कि प्रपी0–39 की नोटशीट में आयटम क्रं–1, 2 व 4 को एस. ओ. आर. के हिसाब से स्वीकृत करने का उल्लेख किया है।

258– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन कंडिका–34 में यह स्वीकार किया है कि लोकायुक्त के तकनीकी सलाहकार को प्रकरण नहीं भेजा गया था, साक्षी के अनुसार प्रकरण सीधा था और निविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया था इसलिए तकनीकी सलाहकार के पास प्रकरण भेजने की आवश्यकता उसे महसूस नहीं हुई।

259– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन कंडिका–39 में इस तथ्य को गलत बताया है कि एक्स्ट्रा आयटम लगाने के लिए म0 प्र0 शासन ने स्वीकृति दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन कंडिका–40 में यह स्वीकार किया है कि निर्माण कार्य के अनुबंध में ऐसा स्पष्ट रूप से लेख है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्पेसिफिकेशन–77 एवं ब्यूरो आफ इंडिया स्टेंडर्ड के स्पेसिफिकेशन रेफर किये जायेगे । साक्षी के अनुसार इस निर्माण कार्य के अनुबंध में विशेष शर्ते भी सम्मिलित की गई थी जिनको केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का स्पेसिफिकेशन–77 सुपरसीड नहीं करता है। साक्षी ने इस तथ्य को भी गलत बताया है कि निर्माण के वास्तुविद तथा इंदिरा गांधी राष्टीय मानव संग्रहालय के प्रोजेक्ट इंजीनियर के सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया गया है ।

260– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन कंडिका–47 में बताया है कि अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल ने कुछ एक्स्ट्रा आयटमों का भुगतान ठेकेदार को स्वीकृति की प्रत्याशा में कर दिया और कुछ एक्स्ट्रा आयटम स्वीकार करने के लिए अधीक्षण यंत्री को अनुशंसा किया था। साक्षी के अनुसार उसने ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं देखा कि दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा किया गया

भुगतान प्रावधिक है।

261— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन कंडिका—61 में बताया है कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रडी—38 के पैरा कं.—13 में उल्लेखित है कि 22 वें बिल जिसका भुगतान हुआ था उसकी स्क्रूटनी कर तुलनात्मक चार्ट तैयार किया गया तथा जिन आयटमों को एक्स्ट्रा आयटम मानकर भुगतान किया गया था वास्तविक रूप से वे एक्स्ट्रा आयटम नहीं थे ।

262— **बलवीर सिंह गुप्ता (व0सा01)** का कहना है कि वह बी.ई.आनर्स सिविल इंजीनियरिंग तथा फैलोशिप आफ इंजन इंस्टीटयूट आफ इंजीनियर होकर वर्ष 1953 से सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ होकर कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता के पद से अक्टूबर 1987 में सेवानिवृत्त हुआ है। इसके बाद वह मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में 03 वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त हुआ वह दिसम्बर 1990 में वहां से सेवानिवृत्त हुआ है।

263— साक्षी ने यह भी बताया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के इंडोर म्यूजियम निर्माण में एक्स्ट्रा आयटम को लेकर कुछ विवाद हो गया था तत्समय तत्कालीन प्रमुख श्री चक्रवर्ती ने उसकी ओपिनियन मांगी थी, जिस पर वह ओपिनियन देने हेतु सहमत हुआ था ।

264— साक्षी ने यह भी बताया है कि इंडोर म्यूजियम का निर्माण सी. पी.ए. के पर्यवेक्षण में हो रहा था, बाद में पता चला था कि डा0 चक्रवर्ती ने दो अन्य व्यक्ति जिसमें एक जी.एस.पलनीतकर एवं दूसरे सी0 व्ही0 कांड को भी शामिल किया है। साक्षी के अनुसार श्री काण्ड विभाग में ज्यादातर डिजाइन का काम करते थे डिजाईन ज्यादातर पुल निर्माण की होती थी डिजाईन का कान्ट्रेक्ट के कार्य के बारे में व भुगतान से कोई संबंध नहीं होता है ।

265— साक्षी ने यह भी बताया है कि श्री पलनीतकर को वर्क कान्ट्रेक्ट के बारे में अनुभव था क्योंकि वह टेरिटोरियल रीजन के इंचार्ज थे। हम तीन लोगो की समिति को श्री सरवेट ने समन्यवय किया था तथा रिपोर्ट देने के एक दिन पूर्व बैठक हुई थी और दूसरे दिन समिति ने रिपोर्ट दे दी।

266— साक्षी ने यह भी बताया है कि बैठक में समिति के समक्ष अनुबंध का दस्तावेज, एस.ओ.आर. शेडयूल आफ रेटस की पुस्तिका, बिल बुक रखे गये थे, समिति के सामने नाप पुस्तिका, रेट एनालेसिस, नक्शा नहीं दिखाये गये थे, समिति को संक्षेप में श्री सरवटे ने तथ्यों के बारे में बताया था ।

267— साक्षी ने यह भी बताया है कि श्री सरवटे ने यह बताया था कि 09 आयटम एक्स्ट्रा आयटम नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख अनुबंध में है, उनके कथन को अनुबंध पत्र व बिल को देखने के बाद हम लोगो ने मान्य किया । समिति की रिपोर्ट प्रपी0—4 है जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है । साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि किसी बिल्डिंग में 3.5 मीटर का नार्मल कालम हो और 11 मीटर के स्टार टाइप अर्नामेंटल कालम हो तो बी.ओ.यू. में ठेकेदार उसका अलग अलग रेट नहीं लिख सकता क्योंकि यदि वह दो रेट देगा तो अयोग्य हो जावेगा ।

268— साक्षी ने यह भी बताया है कि आयटम—9—सी, का स्लेब इसमें कवर्ड नहीं है यदि बिल्डिंग में वैफल छत है तो उसका एक्स्ट्रा आयटम मानकर भुगतान होता है । साक्षी के अनुसार आयटम—9 सी का प्रडी—4 स्पेसिफिकेशन—77 एवं प्रडी—5 के इंडियन स्टेंडर्ड मेथेड आफ मेजरमेंट आफ बिल्डिंग एण्ड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स बुक में उल्लेखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माप का भुगतान होगा। यदि छत के स्पान की चौडाई 4.5 मीटर से अधिक होकर 9 मीटर तक जाये तो उसका भुगतान आर्टिकल—ए, के आयटम

9–सी के अनुसार नहीं होगा ।

269– साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0–4 के प्रतिवेदन में दी गई राय कमांक–5 गलत है। प्रपी–4 के प्रतिवेदन में राय कमांक–4 व 5 का अभिमत समिति ने बिना प्रडी–4 एवं प्रडी–5 के मापदण्ड को देखे दिया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्किटेक्ट की एक्स्ट्रा आयटम के रेट के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति साढ़े सात करोड रूपयें की थी एवं 22 वें रनिंग बिल तक एक्स्ट्रा आयटम के मद में साढ़े चार करोड़ रूपयें का भुगतान हुआ था ऐसी स्थिति में सीपीए को एक्स्ट्रा आयटम के खर्च बाबत उस समय तक अनुमति लेना आवश्यक नहीं था ।

270– साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि छत की उंचाई 3.5 मीटर से ज्यादा 11 मीटर तक जा रही है तो उसका भुगतान आर्टिकल–ए, बी.ओ.यू. के कमांक–9–सी में दिये गये रेट के अनुसार नहीं होगा बल्कि एक्स्ट्रा आयटम के रूप में होगा ।

271– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन की कंडिका–13 में यह स्वीकार किया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के इनडोर म्यूजियम निर्माण के लिए 5,41,97,520–30 रूपयें का टेंडर हुआ था तथा ठेकेदार ने यहीं रेट कोड किया था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि इसी राशि में ड्राईंग के अनुसार निर्माण कार्य होना था । साक्षी ने कथन कंडिका–14 में यह स्वीकार किया है कि टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए के कमांक 09–बी में पिलर के आकार का उल्लेख नहीं है, पिलर किस आकार का होगा इसका उल्लेख ड्राईंग में होगा। साक्षी ने इस प्रश्न के उत्तर में कि अगर रेक्टेंगुलर पिलर बनाने में जितनी सामग्री लगे उतनी ही आक्टागोनल पिलर बनाने में लगेगी सही होना बताया है। साक्षी ने कथन कंडिका–16 में तीन सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट प्रपी0–4

को सही मानकर हस्ताक्षर किया जाना भी स्वीकार किया है ।

272— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन कंडिका—10 में यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल—ए का टेंडर आयटम रेट टेंडर था तथा डिपाजिट वर्क भी था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि हर आयटम रेट टेंडर में विशेष शर्ते होती है उसने भी प्रपी0—4 की रिपोर्ट देने के पूर्व आर्टिकल—ए की विशेष शर्ते पढ़ी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि समिति के किसी सदस्य ने यह नहीं कहा था कि ड्रांईग देखने के बाद ही वह अपना अभिमत देगे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि हर टेंडर के साथ नक्शा संलग्न होता है ओर उसी के अनुसार निर्माण कार्य होता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि समिति के किसी सदस्य ने यह नहीं कहा था कि ड्रांईग एवं डिजाइन देखने के बाद ही अभिमत देगे । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि टेंडर भरने के पूर्व यह माना जावेगा कि टेंडर भरने वाले व्यक्ति ने टेंडर की शर्ते, साइट एवं टेंडर ड्रांईग देख लिया है।

273— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन कंडिका—11 में बताया है कि एक्स्ट्रा आयटम के संबंध में अभिमत देने के पूर्व ड्रांईग देखने की आवश्यकता थी। साक्षी ने कथन कंडिका—14 में यह स्वीकार किया है कि जितनी सामग्री रेक्टेंगुलर पिलर बनाने में जितनी सामग्री लगेगी उतनी ही आक्टागोनल पिलर बनाने में भी लगेगी । साक्षी ने कथन की कंडिका—16 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रतिवेदन प्रपी0—4 को सही मानकर ही हस्ताक्षर किया था ।

274— रमेश चंद्र चुग (व.सा02) का कहना है कि वह इंजीनियरिंग ग्रेज्युट होकर उसे राज्य शासन द्वारा सीधे सहायक यंत्री के पद पर नियुक्त किया था अनुभव के आधार पर उसने सहायक यंत्री रहते हुए बल्लभभवन का निर्माण कराया था । कार्यपालन यंत्री रहते हुए नर्मदा नदी पर पुल समयअवधि

में पूर्ण करवाने पर उसे मुख्यमंत्री का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया तथा अधीक्षण यंत्री के पद पर रहते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण का दस मंजिला भवन निर्माण करवाया था ।

275– साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता के पद पर रहते हुए विभिन्न एस0 ओ0 आर0 जारी किये है। सेवानिवृत्त होने के बाद उसे पी.डब्ल्यू.डी. मेनुअल के टेंडर अध्याय को सुदृढ़ करने के लिए कंसल्टेंसी प्रदान की थी इसके अतिरिक्त वह इंदौर नगर पालिक निगम में तकनीकी सलाहकार का दायित्व निभा रहा है। साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–6 का एस0ओ0आर0 (शेडयूल आफ रेटस) उसने बनाया है जिस पर दिनांक 23–5–1992 को उसने हस्ताक्षर किये थे। एस.ओ.आर. का मूल उददेश्य विस्तृत प्राकलन तैयार करने में होता है यद्यपि कभी कभी परसेंटेज रेट टेंडर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आयटम रेंट टेंडर तैयार करने के लिए एस.ओ.आर. में सम्मिलित विभिन्न आयटम का प्रयोग किया जा सकता है।

276– साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–6 एस.ओ.आर. में क्रमांक–4–बी में कालॅम, पिलर व कालॅम क्रं.4–डी में छत के रेट का हवाला है। आर्टिकल–ए में बी.ओ.यू. का क्रं. 9–बी, एस.ओ.आर. प्रडी–6 के क्रमांक–4 डी, की कापी है।

277– साक्षी ने यह भी बताया है कि उस समय एस.ओ.आर. में दिनांक 1–6–1992 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. की स्पेसिफिकेशन प्रडी–4 लागू थी, यदि एस.ओ. आर. के आयटम स्पेसिफिकेशन से अलग बनाये जायेगे तो उनके रेट पुनः निर्धारित होगे। यदि एग्रीमेंट में दर्शाये बी.ओ.यू. के कार्य स्पेसिफिकेशन से अलग है तो उसमें रेट का पुनः निर्धारण होगा, एस.ओ.आर. के रेटस, प्रडी–39 सेन्ट्रल

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नई दिल्ली का एनालेसिस आफ रेटस वाल्यूम–1 वर्ष 1972 के आधार पर निर्धारित किये गये थे।

278– साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–39 के रेट एनालेसिस के लिए छत कालम की उंचाई 3.5 मीटर होगी यदि इससे ज्यादा उंचाई का कार्य हो तो वह एस.ओ.आर. के अनुसार एक्स्ट्रा आयटम होगा । साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–39 पृष्ठ क्रं0 143 पर 30 सेमी स्कवायर शेप के आधार पर रेट निकाला गया है यदि स्कवायर शेप से हटकर दूसरे शेप में पिलर बनाये जायेगे तो एक्स्ट्रा आयटम होगा। साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–39 में पृष्ठ 181 पर सामान्य आकार की छत की स्लेब तीन मीटर गुणित तीन मीटर के आधार पर रेट दिया गया है, एस.ओ.आर. में छत का रेट वेफल स्लेब के लिए कवर्ड नहीं है उसके रेट का निर्धारण जो अतिरिक्त सामान व लेबर लगेगा उसके आधार पर होगा ।

279– साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल–ए में आयटम –9–बी में स्टारशेप आक्टागोनल कालम का हवाला नहीं है, इसलिए आयटम 9–बी में दी गई रेट स्टारशेप आक्टागोनल कालम के लिए लागू नहीं होती है।

280– साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल–ए में आयटम –9–सी में छत के लिए दी गई दर वेफल स्लेब के लिए लागू नहीं होगी इसकी दर एक्स्ट्रा आयटम के रूप में निकाली जावेगी। साक्षी के अनुसार यदि वैफल स्लेब का स्पान 4.5 मीटर से अधिक 9 मीटर तक व उंचाई 3.5 मीटर से 11 मीटर तक अधिक हो तो उस पर आर्टिकल–ए में आयटम –9–सी में दिये गये रेट लागू नहीं होगे। इसका रेट नया एनालेसिस तैयार कर लगने वाली सामग्री व लेबर के प्रचलित दर को आधार माना जावेगा ।

281– साक्षी ने यह भी बताया है कि कान्ट्रेक्टर के रेट केवल बी.ओ.क्यू.

विवरण व संबंधित स्पेसिफिकेशन जिसके अनुसार कार्य संपादित किया जाना हो एवं मोड आफ मेजरमेंट जिसका उल्लेख स्पेसिफिकेशन में पूर्व से निर्धारित हो, के आधार पर होगा। ड्राईंग का बीओक्यू से संबंध उसी सूरत में होगा जबकि उसका स्पष्ट उल्लेख हो, जैसा आर्टिक्ल–ए के पृष्ठ–8 में दिये गये स्पेसिफिकेशन में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख है। आर्टिकल–ए में क्रमांक–9 बी व 9–सी में किसी भी ड्रांईग का कोई हवाला नहीं है ।

282– साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–40 का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट म0 प्र0 राज्य शेडयूल आफ रेटस फार बिल्डिंग वर्क 2009 में वेफल स्लेब को छत से अलग आयटम के रूप में दर्शाया गया है व 4 मीटर से अधिक उंचाई हो तो उसे भी अलग आयटम के रूप में दर्शाया गया है । साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल–ए की विशेष शर्त क्र0–3 का सेंटरिंग व फार्म वर्क के आयटम रेट से कोई संबंध नहीं है, विशेष शर्त क्र0–03 व क्रं.–12 स्पेसिफिकेशन–77 के विपरीत नहीं है और न ही एक्स्ट्रा आयटम से संबंध है। साक्षी के अनुसार यदि कोई कार्य ड्रांईग में दिखाया गया है परंतु अनुबंध के शेडयूल में उसका उल्लेख नहीं है तो उसे एक्स्ट्रा आयटम माना जावेगा ।

283– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन की कंडिका–08 में यह स्वीकार किया है कि उसने टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए के आयटम क्रं.–09–बी और सी के संबंध में जो मुख्य परीक्षण के समय कथन किया है उस समय उसने केवल आयटम देखा था पूरा डाक्यूमेंट नहीं देखा था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल–ए, के पृष्ठ क्रमांक–141 पर कुछ विशेष शर्ते लेख है जिसमें शर्त क्रमांक–2 के अनुसार यह माना जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व ठेकेदार द्वारा काम के लिए ड्रांईग्स एवं साइट की पहुंच एवं लगने वाली सामग्री की उपलब्धता बाबत् जानकारी प्राप्त कर लिया है।

284— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन कंडिका–08 में बताया है कि आर्टिकल–ए, का डाक्यूमेंट देखने से स्पष्ट है कि यह टेंडर आयटम रेट टेंडर था। साक्षी ने कथन की इसी कंडिका में यह भी बताया है कि सामान्य भाषा में स्टेजिंग एवं स्केफोल्डिंग को भाड़ा एवं चैली कहा जाता है तथा इनका अंश रेट में सम्मिलित रहता है भले वह किसी भी उंचाई में कार्य हो।

285— **विनय कुमार शुक्ला (व.सा03)** का कहना है कि वर्ष 1960 में बीएससी इंजीनियरिंग सिविल और म्यूनिसपल की डिग्री प्राप्त करने के दो माह के अंदर उसकी नियुक्ति म0 प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर हो गई थी। इसके उपरांत वर्ष 1961 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होकर सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ हुआ था । वह वर्ष 1994 में प्रमुख अभियंता व वर्ष 1995 में सचिव लोक निर्माण विभाग के पद पर रहते हुए मार्च 1996 में सेवानिवृत्त हुआ ।

286— साक्षी ने यह भी बताया है कि सेटरिंग व शटरिंग का कार्य आरसीसी कार्य के लिए आवश्यक होता है यह कार्य बहुत सुदृढ़ होना चाहिए अन्यथा दुर्घटना की प्रबल आशंका रहती है । साक्षी के अनुसार स्केफोल्डिंग एवं स्टेजिंग के निर्माण का संबंध है यह मजदूरों के चढ़ने उतरने प्लास्तर के कार्य हेतु रंगाई पुताई के कार्य हेतु आवश्यक है यह लकडी, बांस बल्लियों से बनाई जाती है। सेटरिंग व शटरिंग के कार्य में ऐसा सुदृढ़ सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाता है तो आर.सी.सी. कार्य करते समय अपने स्थान पर यथावत स्थिर रहे,बल्ली टूटे नहीं, झुके नहीं इस सेटरिंग को यथावत रखने के लिए जो समय आवश्यक है वह स्पेन की लंबाई ओर आर.सी.सी. के आकार पर निर्भर रहता है।

287— साक्षी ने यह भी बताया है कि तीन मीटर स्पेन तक सात दिन, 4.5 मीटर स्पेन के लिए 14 दिन तथा उससे बडे स्पेन के लिए 28 दिन तक

यथावत रखना आवश्यक होता है तथा इस अवधि तक कांक्रीट के सेट होने के लिए तराई करना भी आवश्यक होता है। साक्षी ने यह भी बताया है कि सेटरिंग व शटरिंग की दरें आरसीसी कार्य के आकार व उसके लोड पर निर्भर होती है दरे निर्धारित करने में शटरिंग के उपयोग किये जाने के समय व रि–यूज पर निर्भर करता है।

288– साक्षी ने यह भी बताया है कि वर्ष 1992 स 1994 के मध्य सेटरिंग व शटरिंग की दरें 400 से 500 रूपयें प्रति वर्गमीटर थी, यह दरें सामान्य उंचाई 3.5 मीटर ग्राउंड फलोर के लिए लागू थी, जैसे–जैसे उंचाई बढती है वैसे–वैसे लागत बढ़ेगी। 3.5 मीटर से 8 मीटर उंचाई तक दरों में 200 से 250 रूपयें की बढोतरी सामान्यतः होती है ।

289– साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि छत की उंचाई 3.5 मीटर से ज्यादा और स्पेन 4.5 मीटर से ज्यादा है जो सेटरिंग व शटरिंग की लागत में 3 से 4 गुना बढोतरी हो सकती है। साक्षी ने यह भी बताया है कि साधारणतः छत सपाट होता है, वैफल छत उल्टी कटोरी की तरह होता है, यह तभी डाला जाता है तब बडे आकार का कमरा बिना कालम के अवरोध के आवश्यक हो। वैफल स्लेब की सेटरिंग व शटरिंग में एक तो विशेष प्रकार का मोल्ड बनाकर आधार बनाया जाता है वीम्स एक दूसरे से तीन चार फिट दूरी पर क्रास करती है जिस कारण सामग्री अधिक लगती है तथा मजदूर व कारीगर भी अधिक लगते है, सपोर्ट के लिए बल्लियां अधिक लगाई जाती है, लकडी के प्लेट, लोहे के प्लेट काफी अधिक मात्रा में लगते है, 4.5 मीटर के साधारण छत की अपेक्षा 4.5 मीटर के वैफल छत की सेटरिंग व शटरिंग की लागत तुलनात्मक रूप से तीन से चार गुना अधिक आती है ।

290— साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल–ए के पृष्ठ क्र0 32 पर आयटम 9–बी, 9–सी की दरें आर्नामेंटल कालम व सेटरिंग व शटरिंग एवं वैफल स्लेब की सेंटरिंग व शटरिंग को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई है । यह दरें सामान्य कालम के लिए है। साक्षी के अनुसार वैफल स्लेब के सेंटरिंग व शटरिंग की दरें बाजार भाव से विश्लेषण कर एक्स्ट्रा आयटम के रूप में निर्धारित करना होती है।

291— साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल–ए के पृष्ठ–24 में उल्लेखित है कि इस अनुबंध में स्पेसिफिकेशन–77 व व्ही.आई.एस. कोड लागू है। इसमें सी.सी.एम.–10, 20 एम.एम. मोटा 13 प्लास्टर व एम्स–25 की दर उल्लेखित नहीं है। यदि यह दरें आर्टिकल–ए में उल्लेखित नहीं है तो उसका मूल्यांकन बाजार दर से होगा । साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल–ए पृष्ठ 157 की कंडिका–3 की विशेष शर्त क्र0–3 कालम व स्लेब की सेटरिंग से संबंधित नहीं है, बल्कि भाड़ा–चैली, ईट जुड़ाई, प्लास्तर व रंगाई पुताई से संबंधित है ।

292— साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल–ए पृष्ठ 159 की विशेष शर्त क्र0–12 के अनुसार एक्स्ट्रा आयटम रेट तय करते समय व भुगतान करते समय आर्किटेक्ट के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यह उल्लेखित है कि यदि ड्राईंग में बदलाव किये जाते है तभी आर्किटेक्ट के अनुमोदन की आवश्यकता होगी । साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0–41 का म0प्र0शासन का आदेश दिनांक 15.2.1978 अनुसार अधीक्षण यंत्री को प्रमुख अभियंता के विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे।

293— साक्षी ने यह भी बताया है कि डिपाजिट वर्क अंशदाता द्वारा जो लोक निर्माण विभाग को दिया जाता है उसमें निर्माण संबंधी सभी निर्णय हेतु

लोक निर्माण विभाग सक्षम रहता है वशर्ते वे लोक निर्माण विभाग के मेनुअल व फायनेंशियल पावर के अंतर्गत हो, ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा रेट के अनुमोदन की स्वीकृति अंशदाता से लेना आवश्यक नहीं होता ।

294– साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि छत डोम वाल्ट (गुंबद आकार) अथवा शैल (शंख आकार) आकार की हो और उसका स्पेन 4.5 मीटर से अधिक होगा तो एक्स्ट्रा रेट का प्रश्न अवश्य उठेगा । इसी प्रकार यदि हाईट डोम के नीचे जहां पर वह फिक्स्ड होता है वह हाइट 3.5 मीटर से अधिक होगी तो भी तो एक्स्ट्रा रेट का प्रश्न अवश्य उठेगा ।

295– साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन की कंडिका–18 में यह स्वीकार किया है कि बिल्डिंग की ड्रांईग टेंडर डाक्यूमेंट का भाग होती है तथा ड्रांईग में किस जगह पर कितनी उंचाई पर क्या होगा, तथा छत की लंबाई, चौडाई आदि का भी उल्लेख रहता है ।

296– **एस0 आर0 पाण्डेय (व.सा04)** का कहना है कि वह सी.पी. डब्ल्यू.डी. में वर्ष 1973 में ज्वाइन किया और नबम्बर 2007 में एडीशनल डायरेक्टर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। ब्रिज और फ्लाई ओव्हर को छोड़कर सिविल इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रो में उसका अनुभव है। वह पिछले 04 साल से आर्बिट्रेटर की हैसियत से विभिन्न विभागों में कार्य कर रहा है।

297– साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–5 के पैरा–2.6 का सारांश यह है कि टेंडर में जो बिल आफॅ क्वांटिटीज होती है जिसमें सेटरिंग शटरिंग भी शामिल है, का वर्णन ऐसा होना चाहिए ताकि उस आयटम को करने के लिए कैसी सामग्री उपयोग में लाई जावेगी उसकी कार्य गुणवत्ता क्या होगी ताकि टेंडर देने वाले को यह समझ आये कि उसे क्या करना है।

298— साक्षी ने यह भी बताया है कि व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं हो पाता है इसलिए अनुबंध में उल्लेख किया जाता है कि किस आयटम के लिए कौनसा स्पेसिफिकेशन बुक फालो किया जावेगा । यदि बी.ओ.क्यू. में किसी आयटम में उक्त आई.एस. कोड के अनुसार वर्णन नहीं दिया गया है तो कार्य का संचालन अनुबंध में उल्लेखित स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होगा ।

299— साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रपी0—150 की ड्राईग नक्शा को देखने से यह स्पष्ट है कि जिस आकार का कालॅम ड्रांईग में वर्णित है वह बी. ओ.क्यू. के आयटत—9—बी में कव्हर नहीं होता है। प्रपी0—150 में दर्शाए गए कालम को कलात्मक श्रेणी का कालॅम माना जावेगा ।

300— साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि कालॅम की उंचाई 3.5 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो सेटरिंग व शटरिंग का भुगतान अतिरिक्त आयटम के रूप में किया जावेगा। प्रपी0—150 में जो कालॅम दर्शाए गए है उसके निर्माण में 12 पटिये लगेगें इन 12 पटियों की वजह से जोड व जकडन पर अतिरिक्त खर्च आयेगा इनको सीधा रखने के लिए विशेष सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो छोटी—छोटी 03 इंच की पटिटयां है इनका उपयोग सिर्फ इन्ही कालमों के लिए किया जा सकेगा कुल मिलाकर 3.5 मीटर उंचाई के ऐसे कलात्मक कालॅम के लिए सेटरिंग, शटरिंग के लिए दर बहुत अधिक आयेगा ।

301— साक्षी ने यह भी बताया है कि स्टेंडर्ड दर विश्लेषण में पटिटयों का 16 बार उपयोग लिया जाता है इसके बाद वह स्केव समझा जाता है, यदि किसी कार्य में इनका 16 बार उपयोग नहीं हो पाये तो इसका अतिरिक्त भार दर पर आयेगा ।

302— साक्षी ने यह भी बताया है कि जहां तक छत का सवाल है साधारणतः इसे सपाट माना जाता है व उंचाई 3.5 मीटर व स्पान 4.5 मीटर

मानी जाती है यदि इनका आकार सामान्य से भिन्न और अधिक है और इसका अनुबंध में प्रावधान नहीं है तो इसका भुगतान अतिरिक्त आयटम के रूप में होगा।

303– साक्षी ने यह भी बताया है कि आर्टिकल–ए की विशेष शर्त क्रं. 2,3, 6 व 12 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आयटम–9–बी, 12 कोणो वाले कलात्मक और 3.5 मीटर से उंचे कालॅम के लिए लागू है। उक्त शर्तो के अनुसार आयटम–9–सी वैफल स्लेब के लागू नहीं होगा, विशेष शर्त क्रं.–6 से स्पष्ट है कि ठेकेदार निविदा में अपनी दरें कोड करने के पूर्व आयटम का स्टेंडर्ड स्पेसिफिकेशन, शेडयूल आफ रेटस, साइट परिस्थिति का अध्ययन करेगा परंतु इसमें ड्राईंग शामिल नहीं है ।

304– साक्षी ने यह भी बताया है कि किसी भी टेंडर में ठेकेदार आयटम से संबंधित स्पेसिफिकेशन, आईएस कोड, अन्य उल्लेखित स्पेसिफिकेशन को दृष्टिगत रखते हुए रेट कोड करता है । साक्षी ने यह भी बताया है कि वैफल स्लेब दो पद्वति से निर्मित किया जाता है प्री–कास्ट और कास्ट–इन–सीटू. वैफल स्लेब में सेंटरिंग व शटरिंग का खर्च सपाट स्लेब से बहुत अधिक अंदाजन चार गुना होता है ।

305– साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी जानकारी में वैफल स्लेब के लिए अलग से भुगतान किये गये है, प्रडी–42 लगायत डी–45 वैफल स्लेब के लिए अतिरिक्त आयटम के रूप में भुगतान के संबंध में दस्तावेज है।

306– साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रडी–48 का भारत सरकार सेन्ट्रल वर्क्स डिपार्टमेंट दिल्ली दर अनुसूची 1997 है जिसके शेडयूल में सस्पेंड फलोर आयटम नंबर 5, 14, 3 के अलावा वैफल स्लेब का भी अलग से प्रावधान किया गया है जो आयटम नंबर 5.6 है । साक्षी ने यह भी बताया है कि सी.पी.डव्ल्यू.डी.

के आयटम रेट स्पेसिफिकेशन के आधार पर तय होते है विशेष कंडीशन कभी भी स्पेसिफिकेशन को सुपरसीट नहीं करता स्पेसिफिकेशन का संबंध गुणवत्ता से है।

307— साक्षी ने यह भी बताया है कि विशेष शर्त क्रं0—1 व 23 और जनरल रूल्स के क्लॉज—13 को पढ़ा जाये तो ऐसा कोई निषेध नहीं है कि एक्स्ट्रा आयटम नहीं होगा या एक्स्ट्रा आयटम का प्रयोग नहीं होगा । साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि आयटम रेट टेंडर के साथ ड्राईंग नहीं लगी है आयटम का वर्णन ड्राईंग में नहीं है तो ठेकेदार ड्राईंग में दर्शाये सभी कार्य आयटम के अंतर्गत करने हेतु बाध्य नहीं होता। इसी प्रकार यदि टेंडर के साथ ड्राईंग लगी है लेकिन आयटम उसके अनुसार वर्णित नहीं है और आयटम में ड्राईंग उल्लेखित नहीं है तो भी ठेकेदार ड्राईंग में दर्शाये गये सभी कार्य आयटम के अंतर्गत करने हेतु बाध्य नहीं होगा ।

308— साक्षी ने यह भी बताया है कि अगर टेंडर ड्राईंग में कोई कार्य दिखाया गया है लेकिन बी.ओ.क्यू. में आयटम उसके अनुसार नहीं है या उसमें ड्राईंग का उल्लेख नहीं है तो स्पेशल कंडीशन क्रं. 02, 03, 06 व 12 के अनुसार ड्राईंग में दर्शाये गये कार्यो के लिए ठेकेदार बी.ओ.क्यू. की दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है।

309— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन की कंडिका—15 में बताया है कि भवन का निर्माण कार्य आर्किटेक्टर की ड्राईंग और संरचनात्मक ड्राईंग के अनुसार हुआ है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ड्राईंग में बनने वाली इमारत का पूरा खाका उसकी लंबाई, चौडाई, खम्बें आदि का उल्लेख होता है। साक्षी ने कथन की कंडिका—19 में यह स्वीकार किया है कि कॉलम और पिलर ड्राईंग के मुताबिक ही तैयार किये जाते है। साक्षी ने कथन की कंडिका—23 में यह भी बताया है कि उसने जो कुछ भी बयान दिया है वह बी.ओ.क्यू. के

आयटम नंबर 9–बी और 9–सी के परिप्रेक्ष्य में है ।

310– इस प्रकरण के विवादित एक्स्ट्रा आयटम क्रमांक 08, 10, 12, 13, 14, व 15 के संबंध में स्वीकृति मृत आरोपी ए. आर. जग्गी तत्कालीन अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा स्वीकृत आदेश प्रपी0–41 एवं प्रपी0–43 के माध्यम से दी गई है तथा विवादित एक्स्ट्रा आयटम क्रमांक 4, 5, 10 व 13 के संबंध में मंजूरी अभियुक्त जी. एम. कृपलानी तत्कालीन अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन के द्वारा स्वीकृति आदेश प्रपी0–40 व प्रपी0–45 के माध्यम से प्रदान की गई है ।

311– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा विवादित एक्स्ट्रा आयटमों के संबंध में कि वे आयटम एक्स्ट्रा आयटम अनुबंध के अनुसार बनते है या नहीं, जांच हेतु तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति जी0 एस0 पलनीतकर (अ0सा015), बी0 एस0 गुप्ता (व0सा01) एवं सी0 व्ही0 कांड (अ0सा07) की गठित की गई तथा उक्त समिति ने रनिंग बिल क्रमांक–22 (प्रपी0–55) में दिये गये 10 एक्स्ट्रा आयटमों क्रमांक 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, व 17 के संबंध में जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रपी0–4 प्रस्तुत किया गया ।

312– विवादित एक्स्ट्रा आयटमों के संबंध में जांच प्रतिवेदन समिति द्वारा दिया गया प्रतिवेदन प्रपी0–4 निम्नानुसार है :–

(i). **<u>Item No-4</u>**

<u>Form work for Star type,diagonal or ornamental coloums as per art.design 3.50 m.height including all labour material etc complete:</u>

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य अनुबंध की कंडिका 9 (बी) के अंतर्गत आता है जिसके लिए निविदाकार द्वारा 35/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर बताई गई थी जबकि उक्त कार्य के लिए 414/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर से बिल का भुगतान एक्स्ट्रा आयटम क्रमांक–04 के रूप में किया गया है । समिति के मत में इस कार्य के लिए 35/–रू. प्रति स्कवायर मीटर के स्थान पर 414/–रू. प्रति स्कवायर

मीटर की दर से किया गया भुगतान अनुबंध क्षेत्र के बाहर जाकर किया गया है जबकि यह आयटम एक्स्ट्रा आयटम किसी भी परिस्थिति में नहीं कहा जा सकता ।

(ii). **Item No-5**

providing erecting,shuttering including strutting and staging of waffel sleb of bottem planks of size 0.08x0,04m. etc.....

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य अनुबंध की कंडिका–9 (सी) के अंतर्गत आता है जिसके लिए निविदाकार द्वारा 125/–रू. दर बताई गई थी जबकि उक्त कार्य के लिए 450/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर से बिल का भुगतान एक्स्ट्रा आयटम क्रमांक–05 के रूप में किया गया है। समिति के मत में इस कार्य के लिए 125/–रू. प्रति स्कवायर मीटर के स्थान पर 450/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर से किया गया भुगतान अनुबंध क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है ।

(iii). **Item No-8**

providing and laying flooring pattern with Kota stone and terrazzo strips in lower floor

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य के लिए टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए–में आयटम नंबर–42 **पेज नंबर 23 Kota stone slab flooring** के संबंध में निविदाकार द्वारा 250/–रू. प्रति स्कवायर मीटर दर बताई गई थी जबकि उक्त कार्य के लिए 419/–रू. प्रति स्वकवायर मीटर की दर से बिल में भुगतान एक्स्ट्रा आयटम क्रं.–8 के लिए किया गया है। समिति के मत के अनुसार मात्र कोटा स्टोन फ्लोरिंग के लिए है कोटा स्टोन फ्लोरिंग के साथ टेराजो स्ट्रिप कार्य सम्मिलित होता है तब निश्चित ही यह एक्स्ट्रा आयटम होगा तथा एक्स्ट्रा आयटम के निर्धारण के लिए अनुबंध की कंडिका–13 के अनुसार सी.एस.आर. बुक में वर्णित दर देय थी। सी.एस.आर. बुक पृष्ठ क्रं. 78 कंडिका–39 में **Kota stone 25 mm** के लिए 285/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर दी गई है। इसके अनुसार भी उक्त कार्य के लिए 285/–रू. प्रति स्कवायर मीटर से अधिक का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। समिति के मत में इस कार्य के लिए अनुबंध क्रमांक 9–ए में 128/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर निविदाकार द्वारा बताई गई है इसके अतिरिक्त टेराजो

स्ट्रिप कार्य किया गया है, जिसके लिए सी.एस.आर. बुक पृष्ठ क्रं0–73 कंडिका–16 के अनुसार 1.20 रूपयें प्रति स्कवायर मीटर की दर देय है, इस प्रकार यदि 128 रू. में 1.20 रू. जोड़ा जावे तब भी 130.20 रूपयें प्रति स्कवायर मीटर की दर से देय होना चाहिए। समिति के मतानुसार इस आयटम में 419/–रू.प्रति स्कवायर मीटर से किया गया भुगतान अतिरिक्त भुगतान है।

(iv). **Item No-10**

6mm thick cement plaster with 1:3 cm.coffer slab including scaffolding curing ect...

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए– कंडिका–52 **6mm cement plaster** के अंतर्गत आता है जिसके लिए निविदाकार द्वारा 17/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर बताई गई थी जबकि उक्त कार्य के लिए बिल में भुगतान 113/–रू. एक्स्ट्रा आयटम क्रं0–10 के रूप में किया गया है जबकि यह कार्य एक्स्ट्रा आयटम के अंतर्गत नहीं है, समिति ने 17/–रू0 प्रति स्कवायर मीटर के स्थान पर 113/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर से किये गये भुगतान को अतिरिक्त भुगतान बताया है ।

(v). **Item No-12**

providing eracting and striiking steel centering and shuttering for the typical circular vault etc....

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य अनुबंध कंडिका–9 (ई) **Dome and Vaults** के अंतर्गत आता है । जिसके लिए निविदाकार द्वारा 200/–रू0 प्रति स्कवायर मीटर की दर बताई गई थी। उक्त कार्य के अंतर्गत सभी प्रकार की सेंटरिंग,व शटरिंग कार्य शामिल है परंतु उक्त कार्य के लिए 981/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर से आयटम क्रमांक–12 के लिए बिल का भुगतान किया गया है। समिति के मत में इस कार्य के लिए 200/–रू. के स्थान पर 981/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर से किया गया भुगतान अनुबंध के बाहर जाकर किया गया है जबकि यह कार्य एक्स्ट्रा आयटम नहीं है। समिति ने 200/–रू. के स्थान पर 981/–रू. की दर से किये गये भुगतान को अतिरिक्त भुगतान बताया है ।

(vi) **Item No-13**

Reinford cement concrete work with M-25 grade crushed stone aggregate20mm nominal size etc....

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य के लिए 2024/–per cu.m. की दर से बिल का भुगतान किया गया है। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार यह कार्य नान–एग्रीमेंट आयटम है तथा एक्स्ट्रा आयटम की परिधि में आता है तथा इस कार्य के लिए सी.एस.आर. बुक में एम–25 सीमेंट कांक्रीट वर्क के लिए निर्धारित दर पृष्ठ क्रं. 18 उपकंडिका–03 के अनुसार 1800 रूपयें प्रति क्यूबिक मीटर है। जबकि बिल का भुगतान एक्स्ट्रा आयटम क्रं.–13 के रूप में 2024/–रू. प्रति क्यूबिक मीटर की दर से किया गया है जबकि 1800 रूपयें प्रति क्यूबिक मीटर की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था।

(vii) **Item No-14**

Providing erecting striking fixing and centering and shuttering including strutting of approved quality special water tight shuttiring etc...

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य के लिए 299/– **per sq.m.** की दर से भुगतान किया गया है। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार यह कार्य आर्टिकल–ए–अनुबंध कंडिका–9 **centering and shuttering** उपकंडिका (सी) में दिया गया है, जिसके परिधि में उक्त कार्य आता है तथा इस कार्य के लिए निविदाकार द्वारा 125/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर बताई गई है जबकि 299/–रू. की दर से बिल का भुगतान एक्स्ट्रा आयटम क्रं.–14 के रूप में किया गया है जबकि यह कार्य एक्स्ट्रा आयटम नहीं है।

(viii) **Item No-15**

Providing fixing and removing staging for column waffel slab or other slab etc...

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य के लिए **263**/–per sq.m. की दर से भुगतान किया गया है। समिति के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि यह अनुबंध आयटम रेट अनुबंध था और इसके अंतर्गत सेंटरिंग, शटरिंग, स्ट्रटिंग, प्रापिंग एवं रिमूवल आफ फॉम वर्क अनुबंध कंडिका–9 **centering and shuttering** उपकंडिका (ए) लगायत (ई) में दिया गया है, तथा

यह कार्य उक्त अनुबंध की कंडिका की परिधि में आता है। समिति ने इस कार्य को नान–एग्रीमेंट आयटम नहीं माना है। इस कार्य के लिए निविदाकार द्वारा 125/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर बताई गई थी जबकि इस कार्य के लिए 263/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर से बिल का भुगतान किया गया है। समिति का यह निष्कर्ष रहा है कि इस आयटम की बताई गई दर सभी उंचाई के लिए थी।

(ix) **Item No-16**

Providing form work including specially prepared steel centering shuttering strutting and proping upto height 3.5 mt.only etc...

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य सेंटरिंग व शटरिंग के अंतर्गत के अंतर्गत अनुबंध आर्टिकल–ए की कंडिका–9 (ई) **Valuts** के अंतर्गत आता है जिसके लिए निविदाकार द्वारा 200/–रू0 प्रति स्कवायर मीटर की दर बताई गई है। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस कार्य के लिए 1282/–रू0 एवं 1161/–रू0 प्रति स्कवायर मीटर की दर से किया गया बिल का भुगतान अनुबंध का उल्लंघन है।

(x) **Item No-17**

Typical steel centering for casting RCC dome spanning 9.62mts. supported by angle iron frame work on intermediate staging etc...

समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त कार्य सेंटरिंग व शटरिंग "**Dome and Valuts**" के अंतर्गत अनुबंध आर्टिकल–ए की कंडिका–9 (ई) **Valuts** के अंतर्गत आता है जिसके लिए निविदाकार द्वारा 200/– प्रति स्कवायर मीटर की दर बताई गई है। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस कार्य के लिए 1282/–रू0 एवं 1161/–रू0 प्रति स्कवायर मीटर की दर से किया गया बिल का भुगतान अनुबंध का उल्लंघन है।

313– अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के समक्ष भवन निर्माण की ड्रांईग नहीं रखी गई थी तथा स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया था इसलिए

तीन सदस्यीय प्रतिवेदन प्रपी0–4 दूषित व त्रुटिपूर्ण है। तर्क में तीन सदस्यीय समिति के सदस्यों के कथन को भी आधार बनाया गया है जिसमें उन्होनें यह बताया है कि ड्राईग उनके समक्ष प्रतिवेदन के समय प्रस्तुत नहीं की गई थी यदि ड्रांईग प्रस्तुत की जाती तो प्रतिवेदन प्रपी0–4 का परिणाम और होता ।

314– परंतु यह न्यायालय अभियुक्तगण के अधिवक्ता के उक्त तर्को से सहमत नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि कार्य ड्रांईग के अनुसार ही हुआ है, विवाद इस तथ्य पर है कि क्या जिन आयटम को एक्स्ट्रा आयटम बताकर बिल में भुगतान किया गया है वे वास्तव में एक्स्ट्रा आयटम है अथवा नहीं ? एक्स्ट्रा आयटम का निर्धारण अनुबंध (टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए–) में वर्णित शेडयूल्ड आयटम के अंतर्गत आता है अथवा नहीं ? ऐसी स्थिति में समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रपी0–4 देने के पूर्व ड्रांईग का नहीं देखना अथवा स्थल निरीक्षण नहीं करना महत्वहीन है।

315– अभियुक्तगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा गठित पांच सदस्यीय दल की रिपोर्ट प्रडी–12 में प्रपी0–4 में जिन आयटमों को एक्स्ट्रा आयटम नहीं माना गया था उन्हें एक्स्ट्रा आयटम मानते हुए उनका भुगतान एस.ओ.आर. स्पेसिफिकेशन के अनुसार तथा जिनके संबंध में एस.ओ.आर. में दर निश्चित नहीं थी उनका भुगतान चालू बाजार मूल्य के अनुसार किया जाना उचित माना है ।

316– प्रतिवेदन प्रडी–12 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रतिवेदन तीन सदस्यीय समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन प्रपी0–4 का कंडिका वार उत्तर है, साथ ही इस प्रतिवेदन में कुछ ऐसे तथ्य लेख है जैसेः–सी.पी.ए. व मानव संग्रहालय के मध्य अनुबंध हुआ था, जबकि मानव संग्रहालय व सी.पी.ए.के मध्य कोई अनुबंध ही निष्पादित नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए यह कहा जा

सकता है कि प्रतिवेदन प्रडी–12 के सदस्यों द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उन्हें संपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अलावा निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के0 के0 चक्रवर्ती (अ0सा013) द्वारा आवास व पर्यावरण विभाग के सचिव राकेश साहनी को संबोधित पत्र प्रपी0–111 के माध्यम से उसके द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट से भिन्न राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पैनल गठित कर जो रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, के संबंध में कंडिका वार प्रतिवेदन पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रतिवेदन की त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था तथा निश्चित समय पर पुनरीक्षित अभिमत देने के लिए अनुरोध भी किया गया था । परंतु प्रपी0–111 के पत्र के पालन में कोई पुनरीक्षित अभिमत तैयार किया गया इस संबंध में प्रकरण में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन प्रडी–12 पर विश्वास आधारित नहीं किया जा सकता ।

317– अभियुक्त जी0 एम0 कृपलानी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियुक्त ने स्वीकृति आदेश प्रपी0–40 के माध्यम से सेंटरिंग, शटरिंग, स्ट्राटिंग एवं स्टेजिंग की दर 450/–रूपयें स्वीकृत की गई है वे पूर्व अधीक्षण यंत्री नरेंद्र जैन के द्वारा स्वीकृत दर के आधार पर ही की गई है। इसी प्रकार स्वीकृति आदेश प्रपी0–45 के माध्यम से ''स्टार टाइप आक्टागोनल आर्नामेंटल कॉलम'' की दर 414/–रू0 भी पूर्व अधीक्षण यंत्री नरेंद्र जैन (अ0सा011) द्वारा स्वीकृत दरों पर आधारित है क्योंकि उक्त आयटम एक्स्ट्रा आयटम है तथा उनके संबंध में शेडयूल आफॅ रेटस (प्र0डी–6) में कोई दर निर्धारित नहीं की गई है इसलिए उनका रेट बाजार भाव पर आधारित है।

318– नरेंद्र जैन (अ0सा011) ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन कंडिका–12 में यह बताया है कि उसने आदेश प्रडी0–10 द्वारा वैफल्स स्लेब 3.5 मीटर उंचाई

के लिए 450/–रू0 प्रति वर्ग मीटर एवं आदेश प्रडी–11 के द्वारा कालॅम की दर 414/–रू. प्रति स्कवायर मीटर निश्चित किया था। प्रडी–10 एवं प्रडी–11 के आदेश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निर्माण से संबंधित नहीं है। साक्षी द्वारा उक्त दरों का निर्धारण किस प्रकार के ''टेंडर वर्क'' में किया है स्पष्ट नहीं है। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रडी–42 लगायत प्रडी–44 के दस्तावेजों की ओर भी तर्क के दौरान न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया । प्रडी–42 लगायत प्रडी–44 तक के दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपियां है तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निर्माण से भिन्न निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेज है। यह दस्तावेज किस प्रकार के अनुबंधित टेंडर से संबंधित है, स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक टेंडर वर्क टेंडर डाक्यूमेंट में निहित शर्तो के अधीन ही निष्पादित किया जाता है, एक टेंडर वर्क में कोई कार्य एक्स्ट्रा आयटम हो सकता है वही कार्य दूसरे टेंडर वर्क में एक्स्ट्रा आयटम न होकर शेडयूल्ड आयटम की परिधि में आ सकता है। अतः अभियुक्त जी0 एम0 कृपलानी को न तो प्रडी–10, प्रडी–11 अथवा प्रडी–42 लगायत प्रडी–44 के दस्तावेजो से कोई सहायता मिलती है और न ही अभियुक्त अधिवक्ता के तर्क में बल ही है ।

319– अभियुक्तगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि सेंटरिंग, शटरिंग, स्ट्राटिंग, एवं स्टेजिंग के संबंध में टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए में कोई अनुबंधित शर्त निहित नहीं है। इसी प्रकार आक्टागोनल आर्नामेंटल कालॅम की भी टेंडर डाक्यूमेंट में व्यवस्था नही होने से उक्त कार्य एक्स्ट्रा आयटम की श्रेणी में आते है तथा उक्त आयटम के संबंध में जो स्वीकृति आदेश अथवा ठेकेदार को बिल का भुगतान हुआ है वह उचित है, परंतु यह न्यायालय अभियुक्तगण के अधिवक्ता के उक्त तर्क से भी सहमत नहीं है।

320— क्योंकि शेडयूल ऑफ क्वॉटिटी संग्रहालय द्वारा नियुक्त वास्तुविद् द्वारा तैयार की गई व प्रदान की गई ड्राईंग जिसे मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए के सरल कमांक–09 में निम्नानुसार है :–

Centring and Shuttering including strutting,propping etc. removal of form work for

sr.	item	Quantity and unit	Tendered rate	Amount
a	**foundation**	2320 sqm	34	78,880=00
b	**Walls including attached pillasters, buttresses, stringeourse, Lintels, beams girders, bressness and cantilevers columns, pillars,posts and struts stairease etc.**	26620 sqm	35	931,700=00
c	**Suspended floors ,roofs,landings, shelves and supports, Balconies, chajjas**	5770 sqm	125	7,21,250=00
d	**Vertical and horizontal fins individually or forming box louverdi and bands**	550 sqm	122	97,100=00
e	**Dome and Vaults**	6330 sqm	200	12,66,000
			Total-	**30,65,000**

321— कार्यपालन यंत्री अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा **D.O.No. 6744/SAC dt. 21-09-1993 (Ex-p-87)** के माध्यम से मेसर्स एम0संस भोपाल का टेंडर युक्तियुक्त होने से स्वीकार किये जाने की अनुशंसा अधीक्षण यंत्री से की गई है साथ ही अनुशंसा किये गये टेंडर के युक्तियुक्त होने के आधारों की चैक लिस्ट **(Ex-p-88)** स्कूटनी नोट आफ टेंडर **(Ex-p-89)** में अनुशंसित टेंडर की औचित्यतता को भी बताया गया है तथा औचित्यतता के निम्न आधार दर्शित किये गये है:–

1. RCC with star columns and richer mix
2. Special type of domes having two different radius of height 11.5 metre with suspended floors
3. Floors having height ranging between 3.9 metres to 11.5 metres

उपयुर्क्त विवरण से स्पष्ट है कि राजधानी परियोजना प्रशासन के साथ–साथ निविदाकार भी सेंटरिंग,व शटरिंग की प्रकृत्ति जो कार्य में उपयोग लाई जावेगी से भलिभांति भिज्ञ थे, फलतः ठेकेदार से यह अपेक्षा थी कि वह उपयुर्क्त तथ्यों को विचार में लेते हुए टेंडर में दर बताये।

i	**Form work for star type Octogonal columns**	4581.683 sqm	414	18,96,816=00
ii	**Waaffle slab shuttering**	14582.89 sqm	450	65,39,803=00
iii	**providings steel centering for vaults**	3152.729	981	30,92,282=00
iv	**providings, and removing staging for waffle slab ,dome vaults at heights more than 3.5 M upto 7 M and for every additional 3.5 M height**	1873.475 sqm	263	4,92,723=00
v	**Form work of steel centering and shuttering and propping etc. for shells-inner face outer face -**	456.012sqm 83.28 sqm	1775 1665	8,09,421=00 1,37,828=00
vi	**Typicle steel centering and shuttering for casting RCC Domes- inner face outer face -**	783.137 sqm 264.411 sqm	1282 1161	10,03,981=00 3,06,881=00

322– उपयुर्क्त सभी सेंटरिंग एवं शटरिंग आयटम्स अनुबंध के अंतर्गत ही आते है तथा उनका एक्स्ट्रा आयटम के होने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है ।

323— टेंडर आयटम का एक्स्ट्रा आयटम के रूप में भुगतान किये जाने से निम्नानुसार अतिरिक्त भुगतान किया गया है :—

item	quantity	Rate paid	Agree rate	% increase	Difference	Extra payment
i. Form work for star type columns	4581.683 sqm	414	35	1183	379	17,36,458=00
ii- Waaffle slab shuttering	14582.89 sqm	450	125	360	325	47,39,441=00
iii- steel centering vaults	3152.729	981	200	490	781	24,62,281=00
iv- providings, and removing staging for various	1873.475 sqm	263	nil	-	263	4,92,724=00
v-shells-inner face	456.012 sqm	1775	200	887	1575	7,18,219=00
outer face -	83.28 sqm	1665	200	827	1455	1,21,172=00
vi- Typical steel centering for Domes- inner face	783.137 sqm	1282	200	641	1082	8,47.354=00
outer face -	264.411 sqm	1161	200	580	961	2,54,099=00
					Total	1,13,71.748

324– आरोपीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि **Shells** की सेंटरिंग एवं शटरिंग के लिए शेडयूल में कोई उपबंध नहीं रखा गया है इसलिए इसका सेंटरिंग व शटरिंग का कार्य एक्स्ट्रा आयटम के रूप में आयेगा । यह भी तर्क किया गया कि टेंडर डाक्यूमेंट के साथ कोई टेंडर ड्रांईग नहीं थी । परंतु यह न्यायालय आरोपीगण के अधिवक्ता के उक्त तर्को से सहमत नहीं है क्योंकि टेडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए, की विशेष शर्त क्रमांक–02 निम्नानुसार हैः–

> The tenderer must obtain for himself, on his own responsibilities and at his own expenses all the information which may be necessary for the purpose of filling in this tender and for entering into a contract, He is presumed to have examined the drawings and inspected the sites of the works,.....

325– इस प्रकार संविदा की विशेष शर्त क्रमांक–02 निविदाकार पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि वह अपने दायित्व पर और अपने स्वयं के व्यय पर उन समस्त संसूचनाऐं जो टेंडर भरने के लिए आवश्यक है टेंडर भरने के पूर्व जानकारी प्राप्त कर ले । टेंडर के संबंध में यह उपधारणा की जावेगी कि उसने संविदा करने के पूर्व ड्रांईग एवं उस स्थान का जहां पर कार्य किया जाना है उसका निरीक्षण कर लिया है। संविदा की विशेष शर्त क्रमांक–02 के प्रावधानों को देखते हुए अभियुक्तगण के अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि ठेकेदार को टेंडर भरते समय टेंडर ड्रांईग उपलब्ध नहीं थी। जहां तक इस तर्क का सवाल है कि **Shells** की सेंटरिंग एवं शटरिंग शेडयूल्ड आयटम नहीं है, से भी यह न्यायालय सहमत नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा जो सेंटरिंग एवं शटरिंग के संबंध में दर टेंडर डाक्यूमेंट में बताई गई है उसके बारे में यह माना जावेगा कि ठेकेदार ने टेंडर डिजाइन को देखने के बाद ही टेंडर डाक्यूमेंट में दरें बताया है तथा उसके लिए उसे अतिरिक्त भुगतान किया जाना अनियमितता है ।

326– टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए के आयटम नं0–52 शेडयूल्ड आयटम है जिसके अनुसार–6 mm cement plaster to celling on RCC(a)in cm 1:3 रखा गया है परंतु उक्त आयटम का नाम बदलकर निम्नानुसार एक्स्ट्रा आयटम बनाया गया है––

Existing item in schedule	**Extra item created**
6 mm cement plaster to celling on RCC (a) in CM 1:3 contractor quoted a rate of Rs.17 per sqm	6 mm thick cement plaster with 1:3 C.M in any portion for ribs coffer slab including scaffolding curring etc. complete with cost of cement as per architect design pattern. The provisional rate paid was Rs. 113 per sqm

327– अनुबंध की विशेष शर्त क्रमांक–03 में यह उपबंध है कि निविदा में बताई गई दरों में स्काफोल्डिंग, स्टेंजिग एवं शोरिंग सम्मिलित रहेगी। शेडयूल आफ क्वांटिटी के संबंध में निविदा में बताई गई दरें कार्य के समाप्त होने, जिसमें leads and lifts शामिल है, माना जावेगा ।

328– उपयुर्क्त आयटम के लिए कार्यपालन यंत्री द्वारा दर विश्लेषण प्रपी0–31 करते हुए 137.35 रूपयें प्रति स्कवायर मीटर की दर की अनुशंसा की गई है जिसे अधीक्षण यंत्री द्वारा 77/–रू. प्रति स्कवायर मीटर की दर से मंजूरी आदेश प्रपी0–43 दिया गया है। अधीक्षण यंत्री द्वारा उक्त दर मंजूर करने के पूर्व तक ठेकेदार को 113/–रू0 प्रति स्कवायर मीटर की दर से प्रावधिक भुगतान किये जाने से 13.21 लाख रूपयें का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकृत दर 77 रूपयें प्रति स्कवायर मीटर के आधार पर भी निम्नानुसार 4.95 लाख रूपयें का अतिरिक्त भुगतान हुआ है।

Quty.	Rate paid	Rate Sanction	Diffrence	Extra Amount
13763.473 sqm	113	77	36	4,95,485

329— उपयुर्क्त आयटम शेडयूल आयटम में अनुबंध के अंतर्गत आता है, परंतु नाम बदलकर उंची दर से भुगतान मंजूर किया गया है।

330— टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल—ए, में आर.सी.सी. 20—एम. ग्रेड के संबंध में संविदाकार द्वारा 1200 रूपयें प्रति क्यूबिक मीटर की दर बताई गई है, परंतु कार्य करते समय स्पेसिफिकेशन बदलने से आर.सी.सी. एम—25 ग्रेड किया गया।

Item	Rate recommended
RCC with M-25 grade crushed stone aggregate 20 mm nominal size graded excluding cost of centering, shuttering and reinforcement up to floor two level for dome, vaults and other Architectural work.	Rs.3704 per cum

331— कार्यपालन यंत्री द्वारा दर विश्लेषण प्रपी0—26 में उक्त दर की अनुशंसा की गई है, जिसे अधीक्षण यंत्री द्वारा मंजूरी आदेश प्रपी0—43 के अनुसार 2580 रूपयें प्रति क्यूबिक मीटर की दर से स्वीकार किया गया है। कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा डी.ओ. नं0 4986/टी. दिनांक 06—08—1994 प्रपी0—38 के माध्यम से उक्त एक्स्ट्रा आयटम की दर 2165 रूपयें प्रति क्यूबिक मीटर की अनुशंसा की गई थी जिसे अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकृति आदेश प्रपी0—45 के माध्यम से एस.ओ.आर. प्रडी—6 की दर से निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है:—

Item	Rate senctioned
RCC with M-25 grade crushed stone aggregate 20 mm nominal size graded excluding cost of centering, shuttering and re-inforcement up to floor two level for foundation footing base of columns and mass concrete walls including butterses, cantilevers column, pillar, post and struts.	Rs.1800 per cum

332— उपयुर्क्त दोनो की आयटम एक समान है सिवाय उन्हें किस ढांचा में रखा जाना है इसलिए केवल एस.ओ.आर. दर से ही भुगतान योग्य है। उंची दर से मंजूरी देने से 4.68 लाख रूपयें का निम्नानुसार अनियमित भुगतान हुआ है :—

Quantity executed	**Difference in rate**	**Amount**
600 cum	(2580-1800)= 780	4,68,000

333— अधीक्षण यंत्री द्वारा एक्स्ट्रा आयटम की दर स्वीकृत करने वाले आदेश में कार्य कराये जाने की आर्थिक सीमा निश्चित की गई है, परंतु निम्नानुसार कार्यपालन यंत्री द्वारा निश्चित सीमा से अधिक भुगतान किया गया है।

S.No.	S.E.s Sanction No./ Date	Particular	Financial Limit Imposed	Actual Payment
1	1419A/T-vi-A108 Dt. 9-8-94 (Ex-P-45)	4 Items	24.90 Lac	33.20 Lac
2	1424A/T-vi-A-108 Dt. 12-8-94 (Ex-P-40)	Waffel slab shuttering	17.70 Lac	65.40 lac

334— अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल के अधिवक्ता का तर्क है कि जितनें भी एक्स्ट्रा आयटम के भुगतान हुए है वह सभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के क्यूरेटर/प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री सरवटे की जानकारी में हुए है इसके प्रमाण उनकी नोटशीट प्रडी—13 लगायत प्रडी—25 है। प्रडी—13 लगायत प्रडी—25 के नोटशीट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नोटशीटें बिल नंबर 22 (प्रपी—55) में बताये गये किसी भी एक्स्ट्रा आयटम से संबंधित नहीं है तथा इस प्रकरण में जो विवाद है वह विवाद बिल नंबर 22 में बताये गये एक्स्ट्रा

आयटम से संबंधित है तथा उक्त नोटशीटों में बिल नंबर 22 का जिक्र तक नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में प्रडी–13 लगायत प्रडी–25 के दस्तावेजों से अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल को कोई सहायता नहीं मिलती है ।

335– अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सी.पी.ए. द्वारा किये गये कार्य को देखकर ही राशि जारी करती थी ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सी.पी.ए. द्वारा ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया है परंतु यह न्यायालय अभियुक्त अधिवक्ता के उक्त तर्क से भी सहमत नहीं है क्योंकि यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा निर्माण कार्य हेतु अग्रिम में राशि जारी की गई है तो इसका यह कतई तात्पर्य नहीं लगाया जा सकता कि इससे सी.पी.ए. को अनावश्यक भुगतान हेतु अथवा अनुबंधित आयटमों को गैर–अनुबंधित आयटम बताकर अथवा एस. ओ. आर. द्वारा निश्चित दर से बढ़ी हुई भिन्न दर से ठेकेदार को भुगतान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

336– सेंटरिंग एवं शटरिंग कार्य के लिए राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा निम्नानुसार भुगतान किया जाना पाया जाता है :–

Agreemented items	Quantity	Rate	Amount	Item number in running bill no. **22** (Ex-p-**55**)
(a) Foundation	868.823 sqm	34	29,539=00	04
(b) Walls	1663,000 sqm	35	65,220=00	07
(C)Suspended floors	3170.656 sqm 1548.506 sqm	125 200	3,96,332=00 1,85,911=00	15 15
Total- (A) **6,77,002=00**				

Extra items	Quantity	Rate	Amount	Extra Item number in running bill no. **22** (Ex-p-**55**)
(a) From work for star type columns	4561.683 sqm	414	18,96,816=00	04
(b)Waffal slab shuttering	14582.896 sqm	450	65,39,803=00	05
(C)Special water tight shuttering	245.673 sqm	299	73,456=00=00	14
(D)Providing steel centering for vaults	3152.729 sqm	981	30,92,822=00	12
(e)Providing and removing staging for centering	1873.475sqm	263	4,92,723=00	15
(f)Form work for steel centering **inner face-** **outer face-**	 456.012 sqm 83.26 sqm	 1775 1655	 8,09,421=00 1,37,828=00	 16
(g)Typical steel centering **inner face-** **outer face-**	 766.137 sqm 264.411 sqm	 1282 1161	 9,82,187=00 3,06,981=00	 17
		Total-(B)	1,43,53,831=00,	
	Grand Total-	(A+B)	**1,50,030,833**=00	

337— जैसा कि निर्णय की कंडिका—320 में **centering and shuttering including strutting, propping etc. removal of form work** के लिए ठेकेदार द्वारा संपूर्ण कार्य के लिए निविदा दर 30,65,000/—रू. बताई गई थी परंतु निर्णय की

कंडिका–336 में दिये गये विवरण के अनुसार सेंटरिंग एण्ड शटरिंग के कार्य के लिए कुल रूपयें 1,50,030,833 रू. का भुगतान राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा ठेकेदार को किया गया है जो ठेकेदार द्वारा निविदा में बताई गई दर से लगभग पांच गुना अधिक है।

338– अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजधानी परियोजना प्रशासन के तत्कालीन सर्वोच्च अधिकारी राकेश साहनी सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के निर्देशक के. के. चक्रवर्ती को लिखे पत्र प्रपी0–6 में सभी एक्स्ट्रा आयटमों के भुगतान को सही माना है तथा राजधानी परियोजना प्रशासन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के मध्य जो विवाद है वह सिविल प्रकृत्ति का है, यह भी तर्क किया गया है कि विभाग के सर्वोच्च अधिकारी (श्री राकेश साहनी) द्वारा मान्य किया गया है जिस कारण अभियुक्त के विरूद्व भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता है तथा अभियुक्त दोषमुक्त होने का पात्र है ।

339– अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा **एस.पी.भटनागर व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर.1989 (एस.सी.) 826** एवं **मेजर एस.के.काले बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर.1977 (एस.सी.) 822** के न्याय दृष्टांत भी अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत किये गये है। एस.पी.भटनागर (पूर्वोक्त) वाले मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि–

> The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should in the first instance by fully established, and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circumstance should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved, In other

words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probality the act must have been done by the accused.

इसी प्रकार का अभिमत **मेजर एस. के. काले** (पूर्वोक्त) वाले मामलें में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलें में प्रतिपादित किया गया है।

340— उपयुर्क्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्वांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों से प्रभेदनीय होने के कारण बचाव पक्ष को उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है।

341—. जहां तक अभियुक्त अधिवक्ता के तर्को का सवाल है, तो यह न्यायालय उनके तर्को से सहमत नहीं है क्योंकि यदि राजधानी परियोजना प्रशासन के प्रशासक राकेश साहनी द्वारा विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण एवं अनियमित भुगतान को न्यायोचित बताने का प्रयास भी किया गया है तो इससे किया गया अनियमित भुगतान नियमित भुगतान का स्थान नहीं ले सकता है। जहां तक मामलें के सिविल प्रकृत्ति के होने का सवाल है तो, इससे अभियुक्त अपने आपराधिक कृत्य से यह कहकर नहीं बच सकता कि मामला सिविल प्रकृत्ति का है। यदि अभियुक्त द्वारा किये गये किसी कार्य से कोई आपराधिक कृत्य दर्शित होता है तो उसके विरूद्व आपराधिक प्रकरण चलाये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है ।

342— अभियुक्त संविदाकार दयाल डेटानी के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित नहीं कर सका है कि संविदाकार एवं सह अभियुक्तगण के मध्य कोई आपराधिक षडयंत्र रहा है । यह भी तर्क किया गया

है कि संविदाकार द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन के अनुमोदन से ही किया गया है तथा निविदा की शर्तो के अनुसार संविदाकार अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल प्रभारी यंत्री के द्वारा बताये गये कार्य को करने के लिए बाध्य था। अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल व जी. एम.कृपलानी के अधिवक्ता द्वारा भी यह तर्क किया गया कि अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित नहीं कर सका है कि अभियुक्तगण के मध्य कोई आपराधिक षडयंत्र था। इस कारण अभियुक्तगण को धारा 420/120—बी भा0 दं0 सं0 के आरोप के लिए दोषसिद्व नहीं ठहराया जा सकता। अभियुक्तगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण के विरूद्व छल का कोई मामला नहीं बनता है ।

344— अभियुक्त जी0 एम0 कृपलानी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में **आर. बालकृष्णा पिल्लई बनाम कर्नाटक राज्य मनु./एस.सी.0212/2003/ अब्दुल्ला मोहम्मद पागरकर वगैरह बनाम राज्य (केन्द्र शासित गोवा दमन एवं द्वीप) ए.आई.आर. 1980 (एस.सी.) 499, सी.चंगारेडडी व अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य ए.आई.आर.1996 (एस.सी.) 3390, बालकिशनदास बनाम पी. सी.नायर ए.आई.आर.1991 (एस.सी.) 1531, सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य मनु/एस.सी./0359/2002, सी. के. दामोदरन नायर बनाम भारत सरकार मनु/एस.सी./0145/1997, दिल्ली राज्य प्रशासन बनाम एन.एस.ज्ञानी व अन्य ए.आई.आर.1990 (एस.सी.) 1190, म0 प्र0 राज्य बनाम शीतला सहाय व अन्य (2009) 8 एस.सी.सी. 617, इंद्रमोहन गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य व अन्य मनु/एस.सी./7999/2007, अनिल कुमार बोस बनाम बिहार राज्य ए.आई.आर.1974 (एस.सी.) 1560, विजयन उर्फ राजन बनाम केरला राज्य ए.आई.आर. 1999 (एस.सी.) 1086** के न्याय दृष्टांतों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों का मौजूदा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया। प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रभेदनीय होने के कारण इनका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है ।

345— यह न्यायालय अभियुक्तगण के अधिवक्ता के उक्त तर्को से भी

सहमत नहीं है क्योंकि आपराधिक षडयंत्र प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जा सकता है । अधिकांश मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है तथा अभियुक्तगण के कृत्यों के आधार पर ही आपराधिक षडयंत्र के संबंध में न्यायालय को निष्कर्ष लेना होता है। मौजूदा प्रकरण में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के इन्डोर म्यूजियम के निर्माण हेतु मानव संग्रहालय द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया, तथा प्राकलन आदि की कार्यवाही राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्ण करने के पश्चात राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा टेंडर आमंत्रित किये गये। मे0 एम0 संस द्वारा टेंडर डाक्यूमेंट आर्टिकल–ए में वर्णित शेडयूल्ड आयटमों के संबंध में अपनी दरें बताई गई तथा मे0 एम0 संस द्वारा प्रस्तुत टेंडर को न्यूनतम टेंडर बताते हुए कार्यपालन यंत्री अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा एम0 संस की निविदा को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा औचित्यतता को स्पष्ट करते हुए अधीक्षण यंत्री से की गई, जिसे अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकार किया गया । इस प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के इन्डोर म्यूजियम के निर्माण का कार्य निविदाकार मे0 एम0 संस जिसका प्रोपराइटर अभियुक्त दयाल डेटानी है, को प्रदान किया गया।

346– निर्माण कार्य के दौरान शेडयूल्ड आयटमों को नान–शेडयूल्ड आयटमों के रूप में बताते हुए अभियुक्त डी.एम.डेटानी द्वारा उनकी पृथक से दर प्रस्तावित करते हुए उन्हें स्वीकार किये जाने हेतु प्रभारी कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल को भेजा गया, जिन्हें अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा नान–शेडयूल्ड आयटम के रूप में मान्य करते हुए उनकी दरों की अनुशंसा की गई तथा अनुशंसित दरों को मंजूर किये जाने हेतु अधीक्षण यंत्री (अभियुक्त जी.एम.कृपलानी एवं मृत आरोपी ए. आर. जग्गी) के पास भेजा गया जिनके द्वारा

भी शेडयूल्ड आयटमों को एक्स्ट्रा आयटम मान्य करते हुए उनका पृथक से निविदाकार द्वारा पूर्व से बताई गई दर से भिन्न बढ़ी हुई दरें स्वीकृत की गई। इसी प्रकार नान–शेडयूल्ड आयटमों जिनका भुगतान एस.ओ.आर. में दी गई दरों से होना था, उनके संबंध में एस. ओ. आर.में दी गई दर से अधिक दर अधीक्षण यंत्री (मृत आरोपी ए. आर. जग्गी) द्वारा मान्य की गई तथा अभियुक्त संविदाकार दयाल डेटानी को बढ़ी हुई दरों से रनिंग बिल क्रमांक–**22** के माध्यम से प्रभारी कार्यपालन यंत्री अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा भुगतान किया गया ।

347– अभियुक्तगण का शेडयूल्ड आयटमों को नान–शेडयूल्ड आयटम (एक्स्ट्रा आयटम) दिखाना एवं नान–शेडयूल्ड आयटम का भुगतान एस.ओ.आर. की दर से न कर उनका पृथक से उंची दर निर्धारित करना यह दिखाता है कि अभियुक्तगण अवैध भुगतान हेतु आपस में सहमत हुए थे तथा अभियुक्तगण की उक्त विधिविरूद्व सहमति ''आपराधिक षडयंत्र'' के अंतर्गत आती है जो धारा **120–बी** भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय है ।

348– यह न्यायालय अभियुक्तगण के अधिवक्ता के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि अभियुक्तगण **''छल''** के अपराध के दोषी नहीं है क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (भारत शासन) की गैर–जानकारी में कपटपूर्वक टेंडर आयटमों को नान–टेंडर आयटम बताकर, जिस कार्य के लिए निविदाकार द्वारा टेंडर में 30.65 लाख रूपयें बताया गया था उसी कार्य के लिए अभियुक्तगण ने आपराधिक षडयंत्र कर अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल ने संविदाकार अभियुक्त दयाल डेटानी को 1.50 करोड़ रूपयें का भुगतान किया, इस राशि में वह राशि भी शामिल है जिस राशि को अभियुक्त जी0 एम0 कृपलानी द्वारा मंजूर किया गया था, इसके अतिरिक्त अनुबंधित आयटम का नाम बदलकर गैर–अनुबंधित आयटम दिखाते हुए संविदाकार को भुगतान किया गया, साथ ही गैर–अनुबंधित आयटम के लिए एस.ओ.आर. से

भिन्न उंची दर से भी भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप संविदाकार अभियुक्त दयाल.डेटानी को सदोष लाभ एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (भारत शासन) को सदोष हानि हुई।

349– उपयुर्क्त संपूर्ण साक्ष्य विश्लेषण के प्रकाश में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व निम्न तथ्यों को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल हुआ है :–

1. अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एवं अभियुक्त जी0 एम0 कृपलानी तत्कालीन अधीक्षण यंत्री ने लोक सेवक के पद पर रहते हुए अभियुक्त संविदाकार दयाल डेटानी के साथ मिलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (भारत शासन) के इन्डोर म्यूजियम के निर्माण कार्य में अनुबंध में निर्दिष्ट कार्य के संबंध में निर्धारित दरों से अत्यधिक बढ़ी हुई दरों से योजनाबद्व तरीके से किये गये कार्यो को अनुचित रूप से एक्स्ट्रा आयटम दर्शाते हुए आपराधिक षडयंत्र किए।

2. संविदाकार अभियुक्त दयाल डेटानी द्वारा शेडयूल्ड आयटम को नान–शेडयूल्ड आयटम (एक्स्ट्रा आयटम) के रूप में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्हें दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा एक्स्ट्रा आयटम के रूप में मान्य करते हुए उनकी दर अनुबंधित दर से अत्यधिक बढ़ी हुई दरों से अनुशंसा कर तत्कालीन अधीक्षण यंत्री जी. एम. कृपलानी (दिनांक 26.7.1994 से 18.8.1994 के मध्य) को स्वीकृति हेतु भेजा तथा जी.एम. कृपलानी द्वारा भी शेडयूल्ड आयटम को नान–शेडयूल्ड आयटम के रूप में मान्य करते हुए उनके भुगतान बाजार दर

से स्वीकृत किया ।

3. अभियुक्त तत्कालीन कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल एवं तत्कालीन अधीक्षण यंत्री जी. एम. कृपलानी द्वारा शेडयूल्ड आयटम को नान–शेडयूल्ड आयटम बताकर अनुबंधित दर से भिन्न बढ़ी हुई दर मंजूर कर अपने–अपने लोकसेवक की पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए अभियुक्त ठेकेदार दयाल डेटानी को आर्थिक लाभ पहुंचा कर आपराधिक अवचार किए ।

4. अनुबंधित आयटम्स में कुछ आयटम्स के नाम आंशिक रूप से परिवर्तित कर अभियुक्त डी.एम.डेटानी द्वारा एक्स्ट्रा आयटम के रूप में प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल के पास प्रस्तुत किया जिसे दिनेश नारायण अग्रवाल ने अनुशंसा कर अधीक्षण यंत्री ए. आर. जग्गी (मृत आरोपी) से मंजूर कराकर अनुबंधित दर से उंची दर से उनके भुगतान संविदाकार दयाल डेटानी को किया ।

5. नान–शेडयूल्ड आयटम जिनका भुगतान अनुबंध के अनुसार एस.ओ.आर. की दर से किया जाना था, न कर तत्कालीन कार्यपालन यंत्री दिनेश नारायण अग्रवाल द्वारा बाजार दर से भुगतान की अनुशंसा किया और संविदाकार डी.एम.डेटानी को भुगतान किया ।

6. अभियुक्तगण ने आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में टेंडर के अनुरूप किये गये कार्यो को ही एक्स्ट्रा आयटम के रूप में दर्शाकर, मान्य कर या अन्यथा रूप से टेंडर की निर्धारित दरों से अत्यधिक बढ़ी हुई दर पर भुगतान हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल (भारत सरकार) से प्रवंचना करते हुए बेईमानीपूर्वक संविदाकार अभियुक्त दयाल डेटानी को राशि 1.43 करोड़ रूपयें से अधिक का भुगतान किये जाने से

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल को सदोष हानि एवं संविदाकार दयाल डेटानी को सदोष लाभ हुआ।

350— फलतः अभियुक्त **दिनेश नारायण अग्रवाल** तत्कालीन कार्यपालन यंत्री व **जी. एम. कृपलानी** तत्कालीन अधीक्षण यंत्री को धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं धारा 420 सहपठित धारा 120—बी भा0दं0सं0 एवं संविदाकार अभियुक्त **दयाल डेटानी** को धारा 420 सहपठित धारा 120—बी भा0दं0सं0 के आरोप के लिए दोषी ठहराया जाता है।

351— अभियुक्तगण दिनेश नारायण अग्रवाल एवं जी.एम. कृपलानी के विरूद्व पद के दुरूपयोग के साथ—साथ आपराधिक षडयंत्र कर छल एवं अभियुक्त दयाल डेटानी के विरूद्व आपराधिक षडयंत्र कर छल करने जिससे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को आर्थिक क्षति हुई है, का मामला प्रमाणित हुआ है, अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा **18** में यह उपबंध रखा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान भ्रष्टाचार अधिनियम के संबंध में लागू नहीं होगें । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ईश्वरदास बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1972 (एस.सी.) 1295 में** यह मत व्यक्त किया गया है कि अपराधी परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में लागू नहीं होते है। अतः अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु दण्डादेश की अवस्था में निर्णय स्थगित किया जाता है ।

दिनांक—20/09/2019

(भागवत प्रसाद पाण्डेय)
विशेष सत्र न्यायाधीश
(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988)
भोपाल

दण्डादेश

352— अभियुक्त दिनेश नारायण अग्रवाल व उसके अधिवक्ता का दण्ड के संबंध में कहना है कि अभियुक्त की पूरे सेवाकाल में साफ सुथरी छबि रही है तथा कई बार उसे अच्छे कार्यो के लिए पुरूस्कृत भी किया गया है । यह भी बताया गया कि अभियुक्त काफी अस्वस्थ रहता है तथा 80—81 वर्ष की उम्र होने के कारण अपना कार्य करने व चलने फिरने में भी असमर्थ है तथा मामला 22—23 वर्ष पुराना है ।

353— अभियुक्त जी.एम.कृपलानी व उसके अधिवक्ता का दण्ड के संबंध में कहना है कि अभियुक्त 80 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है तथा वृद्वावस्था के कारण वह अनेक जटिल बीमारियों से पीड़ित है उसका पूरा सेवाकाल स्वच्छ रहा है तथा वह मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ है तथा उसे सेवाकाल में उसके उत्कृष्ट कार्यो के लिए राज्य द्वारा पुरूस्कृत भी किया गया है।

354— अभियुक्त दयाल डेटानी व उसके अधिवक्ता का दण्ड के संबंध में कहना है कि अभियुक्त उच्च कोटि का संविदाकार है तथा बड़े—बड़े भवनों का निर्माण गुणवत्तापूर्वक ईमानदारी से किया है वर्तमान में अभियुक्त 78 वर्ष का हो चुका है तथा बढ़ी हुई उम्र के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा है तथा उसे उपचार की लगातार आवश्यकता पड़ती रहती है।

355— उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा दण्ड में नरम दृष्टिकोण अपनाये जाने का निवेदन करते हुए न्यूनतम दण्डादेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

356— सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दण्ड के संबंध में कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का आरोप सिद्व हुआ है तथा अभियुक्तगण उंचे पद पर बैठे व्यक्ति थे जिन्होनें शासन के

करोड़ो रूपयें के संबंध में भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए भारत सरकार को क्षति पहुंचाया है तथा अभियुक्तगण का ऐसा कृत्य नहीं है कि उन्हें दण्ड देने में नरम दृष्टिकोण अपनाया जावे। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में **म0प्र0राज्य बनाम शंभूदयाल नागर 2007 (1) जे0एल0 जे0 (एस.सी.) 01** पर विश्वास आधारित किया है। प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित हो जाने पर दण्डादेश में उदारता दिखाना समाज के लिए घातक है ।

357— अभियुक्तगण द्वारा दण्ड के प्रश्न पर बताये गये तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया ।

358— अभियुक्तगण के विरूद्व पूर्व दोषसिद्वी के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख में उपलब्ध न होने से उनके प्रथम अपराधी होने का ही निष्कर्ष निकलता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से उत्पन्न मामलों की गंभीरता को देखते हुए विधायिका द्वारा धारा—**13(2)** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करते हुए न्यूनतम कारावास की सजा **04 वर्ष** निश्चित किया गया है। प्रमाणित अपराध की प्रकृत्ति, अभियुक्तगण की आर्थिक, सामाजिक स्थिति एवं उनकी उम्र एवं साबित अपराध की समाज में पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए सिद्वदोष अपराधों के लिए निम्नानुसार दण्डादिष्ट किया जाता है :—

क.	**अभियुक्त का नाम**	**धारा**	**कारावास**	**अर्थदंड**	**अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास**	**रिमार्क**
1	**दिनेश नारायण**	**420/120—बी** भा.द.वि	**04 वर्ष** (चार वर्ष) के सश्रम कारावास	**5,00,000/—** (पांच लाख) रूपयें	**01 वर्ष** (एक वर्ष) का सश्रम	सभी मूल कारावासीय

	अग्रवाल				कारावास	सजाएं साथ–साथ चलेंगी।
		धारा13(1)(डी) सहपठित धारा **13(2)**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988	**04 वर्ष** (चार वर्ष) के सश्रम कारावास	**1,00,000/–** (एक लाख रूपयें)	**06 माह** (छैः माह) का सश्रम कारावास	
2	**जी0 एम0 कृपलानी**	**420/120–बी** भा.द.वि	**04 वर्ष** (चार वर्ष) के सश्रम कारावास	**5,00,000/–** (पांच लाख) रूपयें	**01 वर्ष** (एक वर्ष) का सश्रम कारावास	सभी मूल कारावासीय सजाएं साथ–साथ चलेंगी।
		धारा13(1)(डी) सहपठित धारा **13(2)**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988	**04 वर्ष** (चार वर्ष) के सश्रम कारावास	**1,00,000/–** (एक लाख रूपयें)	**06 माह** (छैः माह) का सश्रम कारावास	
3	**दयाल एम.डेटानी**	**420/120–बी** भा.द.वि	**04 वर्ष** (चार वर्ष) के सश्रम कारावास	**5,00,000/–** (पांच लाख) रूपयें	**01 वर्ष** (एक वर्ष) का सश्रम कारावास	

358– अभियुक्तगण द्वारा व्यतीत की गई अभिरक्षा की अवधि धारा 428 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत उन्हें दी गई कारावास की सजा में समायोजित की जावे ।

359– अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत व निजि मुचलके पर स्वतंत्र रहे है अतः उनके जमानत एवं निजि मुचलके उन्मोचित किये जाते है ।

360– प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति के रूप में राजधानी परियोजना प्रशासन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के इन्डोर म्यूजियम निर्माण से संबंधित मूल आदेश, नोटशीटस, अनुबंध, आदि दस्तावेज अपील अवधि पश्चात्,

अपील न होने की दशा में उक्त दस्तावेज संबंधित विभाग को वापस किये जावे। अपील होने की दशा में जब्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

मेरे निर्देशन पर निर्णय टंकित किया गया।

(भागवत प्रसाद पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988.)
भोपाल (म.प्र.)

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(भागवत प्रसाद पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988.)
भोपाल (म.प्र.)

स्थान : भोपाल
दिनांक–**20/09/2019**

Digitally signed by
BHAGWAT PRASAD
PANDEY
Date: 2019.09.20
16:31:39 -07'00'